كتاب المسلم – اللغة الهندية

इस्लामी तालीमात

(इस्लामी शिक्षा)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالزلفي

كتاب المسلم – اللغة الهندية

إعداد وترجمة: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى: ٦ / ١٤٣٩

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٣٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

كتاب المسلم – الهندية. / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي . - الزلفي ، ١٤٣٩ هـ

٢٩٤ ص ؛.. سم

ردمك: ٦-٩٤-٨٠١٣-٦٠٣-٩٧٨

١ – الإسلام – مجموعات ٢ – الوعظ والإرشاد أ.العنوان

ب. السلسة

ديوي ٢١٠,٨ ١٤٣٩ / ٥٥٣٩

رقم الإيداع: ١٤٣٩ / ٥٥٤٥

ردمك: ٦-٩٤-٨٠١٣-٦٠٣-٩٧٨

भूमिका

इस्लामी शरीअत एक मध्य धर्म है। उसकी शिक्षाओं से लोगों, परिवारों और समाज की भुमिका को मज़बूती मिलती है। यह मानव जाति को सही रास्ता, स्पष्ट अधिकार, मज़बूत विधि बताते हैं। यह शिक्षाऐं ऐसी विचारों से सम्बन्धित नहीं है जिनहें हम अपने कानों से सुनते हैं और न ही ऐसी बातें हैं जिनसे दिलों को आनन्द मिलता है और इन्सान उनके अर्थों को न समझता हो। अल्लाह ने इस धर्म को मानवजाति के लिए जीवन का संविधान बनाया है ताकि यह परिवार व समाज को संगठित रख सके और यह मानवता के लिए रौश्नी बन सके, मनुष्य को अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर अग्रसर कर सके और अल्लाह तआला के साथ उनकी सहमति को साबित कर सके। चूंकि मानव जीवन एक यात्रा की तरह है जो उसकी मौत के साथ ही समाप्त हो जाती है। परन्तु आदमी पर ज़रूरी है कि वह अपने प्राप्त जीवन को लाभदायक कार्यों में उपयोग करे, जो क़ियामत के दिन उसके लिए तोषा बन सके। चूंकि मानवता की कामयाबी और सआदत इस बात पर निर्भर है कि वह दीनी मामलों में विचार करे, दुनियावी मामलों में सावधानी बरते, अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करे, संसारिक जीवन में अल्लाह तआला की इबादत करे, दुनिया के रहस्य पर सोच विचार करे, दावत की ज़िम्मेदारी निभाए, हर छोटे बड़े काम को अल्लाह तआला

के बताए हुए उसूलों के अनुसार करे और अपने पालनहार से संबन्ध मज़बूत करे। यही कारण है कि हमारे यहां जुल्फी शहर में स्थित शोअबा तौइयतुल जालियात शैक्षिक समुदाय केंद्र ने इस किताब को सरल रूप में प्रकाशित करने के बारे में सोचा ताकि हर उस आदमी के लिए सहायक हो जो हक़ बात मालूम करना चाहते हो। और फायदा ढूंढने वाले के लिए मुफीद बने, तथा धार्मिक शिक्षाओं को सीखने और फाएदे से सजी शरई ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक घराने, इसमें अपनी मुराद पा सकें।

क्योंकि किसी भी आदमी पर यह बात छिपी नहीं है कि एक आदमी शरई ज्ञान सीखने में ही अपनी उम्र का लंबा समय खपाता है। इस लिए अल्लाह तआला के नज़दीक शरई ज्ञान को उंचा स्थान प्राप्त है और इस ज्ञान को सीखना सबसे बेहतर इबादतों और अच्छे कामों में से है। अल्लाह तआला ने ज्ञान और विद्वानों का स्थान ऊंचा किया है और उनके दरजात बुलंद किये हैं अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (المجادلة:١١)

यानी, जो लोग ईमान लाए हैं और जिनहें इल्म दिया गया है, अल्लाह ने उनके दरजात बुलंद किये हैं और तुम लोग जो कुछ भी करते हो अल्लाह तआला को उसकी ख़बर है। (सुरतुल मुजादिला 11)

इसी तरह इबादत करने वाले पर आलिम की फ़ज़ीलत वैसी ही है जैसे चौदहवीं रात के चाँद की फ़ज़ीलत सभी सितारों पर है। इसी तरह उलामाए किराम नबियों के वारिस हैं। क्योंकि अंबियाऐ किराम वरासत में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते बल्कि उनहों ने वरासत में इल्म छोड़ा है। जिसने इल्म सीखा उसने अच्छी चीज हासिल की और अल्लाह जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ देता है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह इस प्रयास को स्वीकृति प्रदान कर और इसे उपयोगी बना, निस्संदेह तू ही दुआवों को सुनने और स्वीकार करने वाला है और दरूद व सलाम और बरकत हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आलो औलाद और तमाम सहाबा.ए किराम पर। आमीन!

अक़ीदा (आस्था) के मूल स्रोत

एकैश्वरवाद (तौहीद) और उसकी क़िस्में

एकैश्वरवाद यह है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को अपने लिए विशेष कर लिया है और इबादत (उपासना) के जिन तरीक़ों को अपने लिए अनिवार्य कर दिया है उनमें हम उसे एक जानें। अल्लाह ने जिन चीज़ों का आदेश दिया है उनमें प्रमुख चीज़ें ये हैं

अल्लाह तआला फ़रमाता है ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ यानी, ऐ अल्लाह के रसूल! आप कह दें कि अल्लाह एक है। दूसरी जगह कहा गया है: [الذاريات ٥٦] ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

मैने ने इंसानों और जिन्नातों को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है (सुरतुज्जारियात 56)

आगे और फ़रमाया: [النساء ٣٦] ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

यानी, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को साझीदार मत बनाओ (सुरतुन्निसा 36)

एकैश्वरवाद को तीन क़िस्मों में विभाजित किया जा सकता है

1.तौहीदे रबूबियत 2. तौहीदे उलूहियत

3. तौहीदे अस्मा व सिफ़ात

1. तौहीदे रूबुबियत

सृष्टि की रचना और उसकी व्यवस्था के मामलों में अल्लाह को एक जानें और अक़ीदा रखें कि अल्लाह ही रोज़ी देने

वाला, ज़िन्दा करने वाला और मारने वाला है। उसी के हाथ में आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है:

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر:٣]

यानी, क्या अल्लाह के सिवा और कोई भी रचयता है जो तूम्हें आकाश व पाताल से रोज़ी पहुंचाए? उसके सिवा कोई माबूद पूज्य नहीं। अतः तुम कहां उलटे जाते हो। (सूरह फ़ातिर आयत–3)

अल्लाह तआला एक दूसरी जगह कहता है:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك ١]

यानी, बहुत बरकत वाला है वह (अल्लाह) जिसके हाथ में बादशाहत है और जो हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। (सूरह अल मुल्क, आयत 1)

अल्लाह की बादशाहत में सृष्टि की प्रत्येक चीज़ शामिल है, और वह उसे जिस तरह से चाहता है, प्रयोग में लाता है

रहा सृष्टि की व्यवस्था के मामले में अल्लाह को एक मानना, तो सृष्टि के संचालन के सिलसिले में अल्लाह का कोई साझेदार नहीं।

﴿أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٤] यानी, याद रखो अल्लाह ही के लिए ख़ास है पैदा करना, हाकिम होना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम दुनिया का पालनहार है। (सूरह अल आराफ, आयत 54)

एकैष्वरवाद के इस क़िस्म का इन्कार शायद ही कोई व्यक्ति करता है। और जिसने किया है उसने भी ज़ाहिर में तो इन्कार किया है लेकिन उसका दिल इस बात को स्वीकार करता है जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل:١٤] यानी, उन्होंने इन्कार कर दिया जुल्म और घमंड की बुनियाद पर यद्यपि उनके दिल यक़ीन कर चुके थे, (सूरह अल.नमल, आयत–14)

एकैश्वरवाद के इस स्वरुप को स्वीकार कर लेना ही हितकारी नहीं होगा, क्योंकि मुश्रिकों (अल्लाह की जात में किसी और को शरीक करने वालों) का स्वीकार कर लेना उनके हक़ में लाभदायक नहीं हुआ। अल्लाह तआला ने उनके बारे में फ़रमाया

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت:٦١]

यानी, यदि आप उनसे पूछें कि ज़मीन और आसमान का रचयता और सूरज और चाँद को काम में लगाने वाला कौन है? तो उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह तआला, फ़िर किधर उलटे जा रहे हैं। (सूरह अल.अंकबूत, आयत–61)

2. तौहीदे उलूहियत

हर प्रकार की इबादत केवल अल्लाह के लिए की जाए। इंसान अल्लाह के साथ किसी को ऐसा साझीदार न बना ले कि उसकी इबादत करने लगे, उसकी निकटता चाहने लगे। एकैश्वरवाद का यह स्वरुप बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक है और इसी वजह से अल्लाह तआला ने सृष्टि की रचना की। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]

यानी, मैं ने इंसानों और जिन्नातों को केवल और केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।(सूरह अज्जारियात 56)

अल्लाह तआला ने नबियों को इसी लिए दुनिया में भेजा था और इसी लिए ग्रन्थों को अवतरित किया था। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

यानी, तुम से पहले भी जो हमने रसूल भेजे उसकी ओर भी यही वही अवतरित की कि मेरे सिवा कोई माबूदेबरहक़ नहीं, अतः तुम सब मेरी ही इबादत करो। (सूरह अल अंबिया, आयत–25)

जब रसूलों ने मुशरिकों को एकैश्वरवाद की इस क़िस्म की दावत दी तो उन्होंने इसे मानने से इन्कार कर दिया। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

यानी, قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا [الأعراف:٧٠]

उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे पास इस लिए आए हैं कि हम केवल अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बापदादा पूजते थे उनको छोड़ दें। (सूरह अलआराफ़, आयत–70)

किसी भी तरह की इबादत को अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए, किसी फ़रिषते, नबी, वली या अल्लाह के सिवा किसी और मख़लूक़ की इबादत करना सही नहीं है। क्योंकि इबादत केवल अल्लाह ही के लिए विषेश है।

3. तौहीदे अस्मा व सिफ़ात

अल्लाह ने जिन नामों और विशेषताओं को अपने लिए ख़ास कर रखा है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिन नामों से पुकारा है उस पर ईमान लाना और बिना किसी हिचकिचाहट और कमी बेशी के उसे इस तरह मानना जो अल्लाह के शायाने शान हो और उन चीज़ों को नकारना जिन चीज़ों को अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात से जोड़ने से मना किया है और जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और जिन चीज़ों के बारे में कोई आदेश नहीं है उनके सिलसिले में भी ख़ामोशी ज़रूरी है। न उसे साबित किया जाए और न उसे नकारा जाए।

अस्मा–ए हुस्ना यानी अच्छे नामों की मिसालों में से एक मिसाल यह है कि अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात को हैय्य्' और क़य्यूम' कहा है तो हमारे लिए यह अनिवार्य है

कि हम उस पर ईमान लाएं कि हय्य्' अल्लाह का एक नाम है। और इस नाम में जो विशेषताएं और गुण शामिल हैं उसपर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इससे अभिप्रेत मुकम्मल ज़िंदगी है जिससे पहले न तो अदम रहा है और न बाद में, उसे समाप्त हो जाना है।

उसी तरह अल्लाह ने अपनी ज़ात को समीअ' यानी सुनने वाला कहा है तो हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम इस बातपर ईमान रखें कि समीअ अल्लाह के नामों में से एक नाम है और सुनना उसकी विशेषता है।

विशेषताओं के उदाहरणों के सिलसिले में अल्लाह फ़रमाता है:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ [المائدة:٦٤]

और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं। और उनके इस कथन के कारण ही उनपर लानत भेजी गयी। बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं और वह जिस तरह चाहता है खर्च करता है।(सूरह अलमायदा, आयत 64)

अल्लाह तआला ने अपने लिए दो हाथों को साबित किया है और उनकी विशेषता बताते हुए कहा गया है कि वे दोनों खुले हुए हैं। यानी वह बहुत नवाज़ने वाला है। इस लिए हम पर वाजिब है कि हम ईमान रखें कि अल्लाह तआला के दो हाथ हैं और दोनों नवाज़िशों और नेमतों के ताल्लुक़ से खुले हुए हैं। लेकिन हम पर यह भी ज़रूरी है

कि हम इन दोनों की कैफ़ियत तक पहुंचने के लिए अपने दिल में कल्पना न करें और न अपनी ज़ुबान से अदा करें कि वह हाथ कैसा है और न मखलूक़ की हाथों से इसकी मिसाल दें। क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشُّورى:١١] यानी, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वह सुनने और देखने वाला है। (सूरह अलशूरा, आयत 11)

एकैश्वरवाद के इस क़िस्म का सारांष यह है कि हम उन नामों और विशेषताओं को अल्लाह के लिए बिना किसी हिचकिचाहट या फेर बदल या कमी–बेशी के साबित करें जिन्हें उसने अपने लिए साबित किया है या जिन्हें उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए साबित किया है। और उसको नकार दें जिसे अल्लाह ने अपने लिए नकारा है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए नकारा है

कलिमए तौहीद

कलिमए तौहीद''ला इलाह इल्लल्लाह दीन की बुनियाद है

इसे दीने इस्लाम में अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह इस्लाम का पहला रुक्न है। इसी कलिमा पर सारे आमाल की कुबूलियत निर्भर करती है। इसे ज़ुबान से अदा करना, उसके अर्थों और भावार्थों को समझना और उसी के अनुसार अमल करना ज़रूरी है।

इस कलिमा का सही भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। इस कलिमा की मांग है कि हम केवल और केवल अल्लाह ही की इबादत करें और उसके सिवा किसी और की इबादत न करें। इसका भाव यह बताता है कि अल्लाह के सिवा कोई ख़ालिक़ रचयता नहीं है। यह कहना ग़लत है कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ शक्ति रखता है या किसी चीज़ को बदल सकता है।

इस कलिमा के दो प्रमुख अंश हैं

1. पहला अंश नकारात्मक है। ''ला इलाहा यानी नहीं है कोई माबूद। इसमें हर चीज़ से उलूहियत यानी खुदाई का इन्कार किया गया है।

2. दूसरा अंष सकारात्मक है। ''इल्लल्लाह मगर अल्लाह। इस अंष में खुदाई के हक़ को केवल अल्लाह के लिए साबित किया गया है, जिसमें उसका कोई भागीदार नहीं है

केवल अल्लाह की ही इबादत की जाए और किसी भी तरह की इबादत अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए न की जाए। जिस किसी ने इस कलिमा के भाव को समझा और उसके तक़ाज़ों को पूरा करते हुए अमल करने की कोशिष की यानी शिर्क को नकारा, अल्लाह की वहदानियत का इक़रार किया और इस कलिमा को व्यापक अर्थों में स्वीकार किया वह वास्तविक अर्थों में मुसलमान हो गया। जो व्यक्ति भरोसे और विश्वास के बग़ैर केवल अमल करेगा, वह मुनाफ़िक़ होगा। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा वह मुशरिक और काफ़िर होगा। यदि वह अपनी जुबान से इस कलिमा को अदा करता हो।

कलिमए तौहीद ''लाइलाहा इल्लल्लाह'' की फ़ज़ीलत

इस कलिमा की अनेक फ़ज़ीलतें और फ़ायदे हैं। उनमें से कुछ फ़ज़ीलतें ये हैं।

1. कलिमए–तौहीद पर यक़ीन करने वाला यानी मुवह्हेदीन में से यदि कोई जहन्नम में जायेगा भी तो इस कलिमे की बरकत से वह जहन्नम से निकाल लिया जायेगा। मुवह्हेदीन हमेशा–हमेश के लिए जहन्नम में नहीं रह सकता। हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ

जिस किसी ने ''ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, और उसके दिल में जौ के बराबर भी भलाई होगी, उसे जहन्नम से निकाला जायेगा। जिसने ''लाइलाहा को पढ़ा होगा और उसके दिल में तिन्के के बराबर भी भलाई होगी तो वह जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। (मुत्तफ़क़ अलैह)

इंसानों और जिन्नातों की रचना का उद्देष्य यही है। अल्लाह फ़रमाता है: وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

यानी, मैने इंसानों और जिन्नातों को केवल और केवल इस

लिए पैदा किया कि वे मेरी इबादत करें। (सूरह अल ज़ारियात, आयत–56)

कुरआन की इस आयत में अल्लाह को एक जानने के अर्थ में प्रयोग किया गया है।

इसी कलिम–ए–तौहीद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रसूलों को भेजा गया और आसमानी किताबों को अवतरित किया गया। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ الأنبياء:٢٥

यानी, तुम से पहले भी हमने जो रसूल भेजे उसकी तरफ यही वह्य नाज़िल फ़रमायी कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं। अतः तुम सब मेरी ही इबादत करो। (सूरह अलअंबिया, आयत–25)

4. रसूलों ने अपनी दावत की शुरुआत इसी कलिमे से की। सबसे पहले इसी कलिम–ए–तौहीद की दावत दी। प्रत्येक रसूल ने अपनी अपनी क़ौम से कहा यानी, ऐ मेरी क़ौम के लोगो! अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद (पूज्य) नहीं है।

कलिमए तौहीद की शर्तें

कलिमए तौहीद ''लाइलाहा इल्लल्लाह की सात शर्तें हैं। जब सभी शर्तें पूरी होंगी, इंसान उन शर्तों की पाबन्दी करेगा और उनमें से किसी शर्त की भी खिलाफ़वर्ज़ी नहीं करेगा, उसी स्थिति में इस कलिमा का इक़रार सही होगा। शर्तें ये हैं।

1. **इल्म (ज्ञान)** नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अर्थों में और कलिमा पढ़ने के बाद जो आमाल अनिवार्य हो जाते हैं, उन सभों की जानकारी ज़रूरी है। जब एक इंसान को मालूम होगा कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है और उसके सिवा किसी दूसरे की इबादत ग़लत है तो मानो वह इस कलिमे के सही अर्थ को समझ गया। अल्लाह तआला फ़रमाता है: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ [محمد:١٩] यानी, सो ऐ नबी आप विश्वास कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। (सूरह मुहम्मद, आयत–19)

हज़रत उस्मान रज़ि बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ जो कोई इस हाल में मरता है कि उसे इस बात का यक़ीन होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वह जन्नत में दाखिल होगा। (सही मुस्लिम–26)

2. **यक़ीन (विश्वास)** कलिमा को इस यक़ीन के साथ पढ़ा जाए कि उसपर पढ़ने वाले का दिल मुत्मइन हो, उसमें शक व सन्देह न हो, जिन्हें इंसानों और जिनों में मौजूद शैतान ज़ेहनों में डालते रहते हैं। बल्कि इसे इंसान पूरे यक़ीन के साथ उसके सम्पूर्ण भाव के साथ, पढ़े। अल्लाह फ़रमाता है: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا [الحجرات:١٥] यानी, मोमिन तो वे हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल

पर ईमान लाएं फिर शक व संदेह में न पड़ें। (सूरह अलहुजरात, आयत–15)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

''मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, और में अल्लाह का रसूल हूं। जो कोई ऐसा इंसान अल्लाह से मिलेगा जिसे उन दोनों मामलों में शक नहीं होगा तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल करेगा (सही मुस्लिम 27)

2. **कुबूलकरना,** इंसान उस कलिमा के सभी तक़ाज़ों को अपने दिल और ज़ुबान से कुबूल करे। कुरआनी धारणों की तसदीक़ करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को लाए हैं, उन सभी पर ईमान लाए, उन सभी चीज़ों को स्वीकार करे और उनमें से किसी चीज़ का इन्कार न करे। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة:٢٨٥]

यानी, रसूल ईमान लाये उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह की ओर से अवतरित हुई और मोमिन भी ईमान लाएं अल्लाह पर, और उसके फ़रिषतों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर और उसके रसूलों में से किसी में विभेद नहीं करते। (सूरह अलबक़रा, आयत 285)

जो लोग शरई आदेशों और हुदूद पर आपत्ति करते हैं, या उनका खंडन करते हैं, ये चीज़ें भी खंडन करने या स्वीकार न करने के समान हैं, जैसा कि कुछ लोग चोरी या बलात्कार की सज़ा पर आपत्ति करते हैं, या एक से अधिक शादी करने, या मीरास आदि के आदेशों पर उन्हें आपत्ति है। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:٣٦]

यानी, और देखो किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके फैसले के बाद अपनी किसी बात का कोई अख़्तियार बाक़ी नहीं रहता। (सूरह अलअहज़ाब, आयत 36)

4. **स्वीकार करना** इंसान ''लाइलाहा इल्लल्लाह को उसके व्यापक अर्थों में स्वीकार करे। मानने और व्यापक अर्थों में स्वीकार करने के बीच यह अन्तर है कि केवल जुबान से इक़रार करने को मानना कहते हैं जबकि उसे व्यवहार में लाना व्यापक अर्थों में स्वीकार करना कहलाता है।

यदि कोई व्यक्ति ''लाइलाहा इल्लल्लाह का अर्थ एवं भाव समझ लेता है, उसपर विश्वास कर लेता है और उसे

क़ुबूल भी कर लेता है लेकिन उसे दिल से नहीं मानता और उसके तक़ाज़ों को पूरा नहीं करता तो समझ लो कि उसने व्यापक अर्थों में स्वीकार नहीं किया। अल्लाह तआला फ़रमाता है: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ [الزُّمر:٥٤]

यानी तुम सब अपने पालनहार के सामने झुक जाओ और उसके आदेश का पालन किये जाओ। (सूरह अलजुम्र, आयत 54)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:٦٥]

यानी, क़सम है तेरे पालनहार की! वे मोमिन नहीं हो सकते, जब तक कि अपने तमाम विरोध भासों में आपको हाकिम न मान लें, जो फ़ैसला आप उनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी न पाएं और फ़रमाबरदारी के साथ क़ुबूल कर लें। (सूरह अलनिसा, आयत 65)

5 सच्चाई इंसान को अपने ईमान और अक़ीदे के मामले में सच्चा होना चाहिए। अल्लाह तआला फ़रमाता है

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩] यानी, ऐ ईमान लाने वालो! अल्लाह तआला से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। (सूरह अलतौबा, आयत 119)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

जिसने सच्चे दिल से इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वह जन्नत में दाख़िल होगा। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है और शैख अलबानी ने इसे सही क़रार दिया है। यदि इंसान ने जुबानी तौर पर गवाही दी, लेकिन उसके तक़ाज़ों से इन्कार कर दिया तो यह चीज़ उसे छुटकारा नहीं दिला सकेगी बल्कि उसकी वजह से वह मुनाफ़िक़ों में गिना जाएगा

सच्चाई से इन्कार यह भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई चीज़ों को झुठलाया जाए। या उनकी लाई हुई कुछ चीज़ों को झुठलाया जाए। अल्लाह तआला ने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने और आपकी तसदीक़ करने का आदेश दिया है और उसे अपनी पैरवी कहा है। अल्लाह फ़रमाता है: قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[النور:٥٤

यानी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! आप कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। (सूरह अलनूर, आयत 54)

6. **इख़्लास** नेक नीयती के साथ इंसान का अपने अमल को शिर्क से पाक रखने को इख़्लास कहते हैं। इसकी कैफ़ियत यह है कि वह अपनी समस्त कथनी और करनी ख़ालिस अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए करें। उसमें दिखावा, नुमाइश, लाभ, व्यक्तिगत उद्देश्य और ज़ाहिरी या गुप्त शहवत न हो या किसी व्यक्ति, धर्म या अल्लाह की अवतरित की हुई दलीलों के बिना जमाअत

की मुहब्बत में उस अमल को कर रहा हो। ज़रूरी है कि इंसान अपने दावती काम के ज़रिया अल्लाह की खुशनूदी और आखिरत की कामयाबी को नज़र के सामने रखे। उसका दिल किसी मख़लूक़ से पूरी तरह या किसी रूप से शुक्रिया की उम्मीद न रखे।

अल्लाह तआला फ़रमाता है ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزُّمر:٣]

यानी, ''ख़बरदार! अल्लाह तआला ही के लिए ख़ालिस इबादत करना है (सूरह अलज़ुम्र, आयत 3)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البيِّنة:٥]

यानी, ''उन्हें उसके सिवा कोई आदेश नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को ख़ालिस रखें (सूरह अलबैयना, आयत 5)

सहीहैन में इतबान की हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

अल्लाह ने उस व्यक्ति पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है जो अल्लाह की खुशनूदी के लिए ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ता हो (मुत्तफ़क़ अलैह)

7. **मुहब्बत** इस कलिमा से, कलिमा के भाव से, और उसके तक़ाज़ों से मुहब्बत होनी चाहिए। इंसान को चाहिए कि वह

अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत करे और मुहब्बत की शर्तों और उसके तक़ाज़ों को पूरा करे। अल्लाह की मुहब्बत के साथ सम्मान, भय, और आशा के पहलू को हमेशा सामने रखे। इसके अलावा अल्लाह जिन जगहों को पसंद करता है जैसे मक्का, मदीना, और मस्जिदों या जिन समयों को पसंद करता है जैसे रमज़ान, ज़िल हिज्जा के आरंभिक दस दिन आदि, या जिन लोगों से लगाव रखता है जैसे नबियों, रसूलों, फ़रिष्तों, सिद्दीकीनं, शहीदों और नेक लोगों और जिन कामों को प्रिय समझता है जैसे नमाज़, ज़कात, रोज़ा, हज आदि और जिन कथनों को चाहता है जैसे ज़िक्र व अज़कार और कुरआन की तिलावत आदि, उन सभी चीज़ों से भी मुहब्बत करे

यह मुहब्बत ही है कि अल्लाह की पसंदीदा चीज़ों को अपने नफ़्स की प्रिय चीज़ों, कामनाओं, इच्छाओं से बढ़ कर समझे और जिन चीजों को नापसंद करता है जैसे कुफ़्र, फ़िस्क़ और गुनाह आदि को अप्रिय समझा जाए। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ [المائدة:٥٤]

यानी, ''ए ईमान वालो! तुम में से जो व्यक्ति अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह तआला बहुत जल्द ऐसी क़ौम को लाएगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वह भी अल्लाह

से मुहब्बत रखती होगी और नर्म दिल होंगे मुसलमानों पर और सख़्त व कठोर होंगे काफ़िरों पर, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे (सूरह अलमायदा, आयत 54)

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का अर्थ

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह से यह मान लिया जाए कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और तमाम लोगों के रसूल हैं और उसी के अनुसार अमल किया जाए यानी आपके आदेशों का पालन किया जाए, आपकी बतायी हुई चीज़ों की तसदीक़ की जाए, जिन.जिन चीज़ों से रोका है, मना किया है, उनसे बाज़ रहा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के जो तरीक़े बताये हैं, उन्हीं के ज़रिया अल्लाह की इबादत की जाए।

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'की गवाही देने के दो मतलब हैं

पहला मतलब यह है कि आप अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। इससे आप की हैसियत सुनिश्चित हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। इन दोनों विषेशताओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख़लूकों में सबसे कामिल और पूर्ण इंसान हैं। यहां अब्द' से अभिप्राय इबादतगुज़ार बन्दा है यानी आप इंसान हैं और उसी चीज़ से पैदा हुए हैं जिससे इंसानों की रचना की गयी है। और अन्य इंसानों

को जिन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है, उनसे आप को भी दोचार होना पड़ता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है [الكهف:١١٠] قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ यानी ''ऐ नबी! आप कह दीजिए कि मैं तुम लोगों की तरह ही एक इंसान हूं। (सूरह अलकहफ़, आयत 110)

यानी ''ऐ नबी! आप कह दीजिए कि मैं तुम लोगों की तरह ही एक इंसान हूं। (सूरह अलकहफ़, आयत 110)

और कहा गया है:

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف:١]

यानी, ''तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बन्दे पर किताब उतारी और उसमें किसी तरह की टेढ़ नहीं है। (सूरह अलकहफ़, आयत 1)

रसूल उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे लोगों की ओर अल्लाह की दावत के साथ खुशख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा गया है। इन दोनों विषेशताओं की गवाही देने की स्थिति में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत सुनिष्चित हो जाती है और उसमें बढ़ाने घटाने की संभावना समाप्त हो जाती है।

बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बताते हैं, लेकिन आपके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और आपकी शान में गुलू से काम लेते हैं। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम को बन्दे के दर्जे से उठाकर अल्लाह के साथ इबादत के दर्जे तक पहुंचा देते हैं।

अतएव अल्लाह को छोड़ कर आप से मदद मांगते हैं। और आपसे ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने और मुसीबतों से छुटकारे के लिए सवाल करते हैं जिसका सामर्थ्य केवल अल्लाह को है। दूसरी ओर कुछ दूसरे लोग आपकी रिसालत का इन्कार करते हैं, आपकी पैरवी में कमी करते हैं और वाजिब अधिकारों में कोताही बरतते हैं, आपकी सुन्नतों पर जुल्म करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं और ऐसे क़थनों पर भरोसा करते हैं जो आपकी लायी हुई शरीयत के खिलाफ़ हुआ करते हैं।

ईमान और उसके अरकान

ईमान कथनी, करनी और अक़ीदे का मिलाजुला स्वरूप है। यह नेकियों की वजह से बढ़ता है और गुनाहों और बुराइयों की वजह से कम होता है। ईमान दिल और ज़ुबान के कथन और दिल ज़ुबान और शरीर के अंगों के आमाल को कहते हैं।

दिल की कथनी का मतलब है कि उस पर अक़ीदा रखा जाए और उसकी तसदीक़ की जाए और ज़ुबान की कथनी का मतलब है कि उसका इक़रार किया जाए।

दिल के अमल का मतलब यह है कि उसको स्वीकार किया जाए। उसके ताल्लुक़ से इख़्लास हो, उससे मुहब्बत की भावना हो और नेक कामों को करने का इरादा हो।

और अच्छे अमल से अभिप्रेत मामूरात की अदाएगी और बुरे कामों से बचना है।

किताब और सुन्नत के मुताबिक़ ईमान की कुछ बुनियादें हैं जो ये हैं अल्लाह पर इमान, आसमानी किताबों पर इमान, रसूलों पर इमान, आख़िरत के दिन पर और तक़दीर (भाग्य) के अच्छे–बुरे होने पर ईमान रखा जाए। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [البقرة:٢٨٥]

यानी ''रसूल ईमान लाये उस चीज़ पर जो उनकी तरफ़ अल्लाह तआला की ओर से उतरी और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह तआला पर और उसके फ़रिषतों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम विभेद नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और पैरवी की। हम तेरी बख़्शिश चाहते हैं ऐ हमारे रब! और हमें तेरी ही तरफ़ लौटना है (सूरह अल–बक़रा, आयत 285)

इसी तरह सही मुस्लिम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ईमान यह है कि आप अल्लाह पर, उसके फ़रिषतों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर और तक़दीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखें (सही मुस्लिम 8)

यही 6 बातें सही अक़ीदे की बुनियादें हैं जो क़ुरआन करीम में मौजूद हैं और जिन्हें देकर रसूलों को भेजा गया। इन्हीं बातों को ईमान का अरकान कहा जाता है।

1–अल्लाह पर ईमान

अल्लाह की उलूहियत, रबूबियत, उसके नाम और विशेषताओं में वहदानियत पर ईमान रखा जाए। अल्लाह पर ईमान में ये चीज़ें शामिल हैं:

इस बात पर ईमान लाया जाए कि अल्लाह ही माबूद है और सही अर्थों में इबादत का मुस्तहिक़ है। उसके सिवा कोई इन चीज़ों का मुस्तहिक़ नहीं है। इसका कारण यह है कि अल्लाह ही बन्दों का ख़ालिक़ (रचयता) है। वही उसके साथ एहसान का मामला करता है। उन्हें रोज़ी देता है। उसके खुले और छुपे भेदों को जानता है। वही नेक बन्दों को सवाब और गुनहगारों को सज़ा देने का सामर्थ्य रखता है।

इसकी वास्तविकता यह है कि इबादत की क़िस्मों में, जिन के ज़रिया अल्लाह की इबादत की जाती है, पूरे सम्मान और ख़ाकसारी के साथ उम्मीद लगाते हुए और डरते हुए

केवल अल्लाह के लिए इबादत की जाए। इबादत करते समय अल्लाह के लिए मुहब्बत का जज़बा हो और उसकी महानता दिल में बैठी हो। कुरआन करीम में कई जगह इसका उल्लेख किया गया है। अल्लाह तआला फरमाता है:

فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۞ أَلَا لِلهِ الدِّينُ الخَالِصُ [الزُّمر٣:٢]

''अतः आप अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को ख़ालिस करते हुए। ख़बरदार! अल्लाह तआला ही के लिए ख़ालिस इबादत करना है (सूरह अल–ज़ुम्र, आयत 2.3)

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء:٢٣]

यानी, ''अल्लाह ने फ़ैसला किया है कि सिर्फ़ उसी की इबादत करो (सूरह अल–इसरा, आयत 23)

فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ۞ [غافر:١٤]

यानी, ''तुम अल्लाह को पुकारते रहो, उसके लिए दीन को ख़ालिस करके चाहे काफ़िर बुरा मानें (सूरह अलग़ाफिर, आयत 14)

इबादत की बहुत सी क़िस्में हैं जिन में दुआ, खौफ़ व रज़ा, तवक्कुल, लालच, भय, अनाबत, इस्तआनत, पनाह चाहना, फ़रियाद करना, कुर्बानी करना, नज्र व नियाज़ करना आदि शामिल हैं। इन इबादतों को अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए अंजाम देना जायज़ नहीं है। और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए अंजाम देना कुफ्र व शिर्क है

दुआ की दलील कुरआन मजीद की वह आयत है जिसमें अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر:٦٠]

यानी, ''और तुम्हारे रब का फ़रमान है कि मुझ से दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कुबूल करुंगा। विश्वास करो जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वे ज़लील होकर जहन्नम में पहुंच जायेंगे। (सूरह अल ग़ाफिर, आयत 60)

नोमान बिन बशीर रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: **الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ** ''दुआ इबादत है। (सुनन तिर्मिज़ी 2969)

भय की दलील यह है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:١٧٥] यानी ''तुम लोग उनसे भयभीत न हो, यदि तुम मोमिन हो तो मुझसे ख़ौफ़ खाओ। (सूरह आलेइमरान, आयत 125)

रजा के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فمن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ الكهف:١١٠

यानी ''तो जिसे भी अपने पालनहार से मिलने की इच्छा हो उसे चाहिए कि नेकी के काम करे और अपने पालनहार

की इबादत में किसी को भी शरीक न करे। (सूरह अलकहफ़, आयत 110)

तवक्कुल के सिलसिले में अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة:٢٣]

यानी "अगर तुम लोग मोमिन हो तो केवल अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा किया करो (सूरह अलमायदा, आयत 23)

अल्लाह तआला दूसरी जगह फ़रमाता है

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطَّلاق:٣]

यानी "जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफ़ी होगा। (सूरह अत–तलाक़, आयत 3)

लालच, डर, और ख़ाकसारी के सिलसिले में अल्लाह का फरमान हैः

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء:٩٠]

यानी "वह बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच और डर व खौफ़ से पुकारते थे। और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। (सूरह अलअंबिया, आयत 90)

ख़शीअत की दलील अल्लाह तआला का वह फ़रमान है जिसमें अल्लाह तआला फ़रमाता है فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي [البقرة:١٥٠]

यानी उनसे न डरो, बल्कि मुझसे डरो (सूरह अलबक़रा, आयत 150

अनाबत के सिलसिले में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ [الزُّمر:٥٤]

यानी ''तुम सब अपने रब की तरफ़ झुक पड़ो और उसकी इबादत किये जाओ। (सूरह अलज़ुम्र, आयत 54)

इस्तेआनत की दलील में अल्लाह तआला का यह फ़रमान है: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة:٥]

यानी, ''हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। (सूरह अलफ़ातिहा, आयत 5)

इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमान है: وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ

यानी ''जब तुम मदद मांगो, अल्लाह से मांगो। (सुनन तिर्मिज़ी 2516)

पनाह मांगने के सिललिसे में अल्लाह तआला फ़रमाता है ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس:١]

यानी ''ऐ नबी! आप कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह मे आता हूं। (सूरह अलअन्नास, आयत 1)

फ़रियाद चाहने की दलील कुरआन करीम की यह आयत है।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُم[الأنفال:٩]

यानी ''उस वक़्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। (सूरह अलअंफ़ाल, आयत 9)

ज़िब्ह की दलील में वह फ़रमाने इलाही है जिसमें कहा गया है

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:١٦٢]

यानी ''आप फ़रमा दीजिए कि निष्चित रूप से मेरी नमाज़ और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना, यह सब ख़ालिस अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। (सूरह अल–अंनआम, आयत 163)

सही हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः यानी ''अल्लाह ने ऐसे व्यक्ति पर लानत भेजी है जो अल्लाह के अलावा दूसरे किसी के नाम पर ज़िब्ह करता है (सही मुस्लिम 1978)

नज्र व नियाज़ के सिलसिले में अल्लाह फ़रमाता हैः

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان:٧]

यानी ''जो नज़्र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चारों ओर फैल जाने वाली है। (सूरह अलइंसान, आयत 7)

यही मामला आदतों का है कि यदि उसके ज़रीया हमारा मक़सद अल्लाह की इताअत पर मज़बूती का हुसूल हो

जैसे सोना, खाना पीना, रोज़ी का हासिल करना, और शरई विवाह आदि, तो ये आदतें नेक नीयती की वजह से इबादत हो जाती हैं और उन पर मुसलमान को सवाब से नवाज़ा जाता है।

ख. अल्लाह पर ईमान लाने में यह भी शामिल है कि उसने इस्लाम के जिन पांच ज़ाहिरी अरकान को अपने बन्दों के लिए वाजिब या फ़र्ज क़रार दिया है, उन सभी पर ईमान लाएं

इस्लाम के अरकान ये हैं

कलिमाए शहादत, ''लाइलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना और जिसके पास सामर्थ्य हो, उसका बैतुल्लाह का हज करना। और इसके अलावा अन्य फर्जों पर ईमान रखना, जिन्हें शरीअत ने वाजिब क़रार दिया है।

ग. अल्लाह पर ईमान में यह भी शामिल है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि अल्लाह तआला पूरी कायनात का खालिक़ और इंसानों के मामलात का वास्तविक मुदब्बिर है और अपने ज्ञान और सामर्थ्य के साथ जिस तरह चाहता है, अपने प्रयोग में लाता है।

वही दुनिया और आख़िरत का मालिक है और दोनों जहान का पालनहार है। उसके सिवा कोई ख़ालिक़ नहीं है और न ही उसके सिवा कोई पालनहार है। उसी ने रसूलों को भेजा और लोगों की इस्लाह और ऐसी चीज़ों की तरफ दावत देने के लिए, जिनमें निजात और दीन व दुनिया की

भलाई है, आसमानी किताबों को नाज़िल किया और उन चीज़ों में उसका कोई शरीक नहीं है अल्लाह फ़रमाता है:

﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزُّمر:٦٢]

यानी, ''अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ का रखवाला है। (सूरह अलज़ुम्र, आयत 62)

घ. अल्लाह पर ईमान में यह भी शामिल है कि हम कुरआन करीम में आयी हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित अल्लाह के अस्माए हुस्ना (अच्छे नामों) और विशेषताओं पर बिना किसी हिचकिचाहट के ईमान लाएं जिनपर अल्लाह के नाम और उनकी विशेषता दलील के तौर पर पेश की जाती है।

क्योंकि अल्लाह तआला की विशेषताओं का उनके शायाने शान संबोधित करें और उन गुणों में किसी को उसके समान न क़रार दें। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشُّورى:١١]

यानी ''और उसके समान कोई और चीज़ नहीं है और वह सुनने और देखने वाला है।(सूरे शूरा 11)

2–फ़रिशतों पर ईमान

फ़रिशतों पर ईमान तफ़सीली भी होगा और इजमाली भी।

इजमाली ईमान यह है कि अल्लाह ने फ़रिशतों को पैदा किया है और अपनी पैरवी का पाबन्द बनाया है। उनकी

बेशुमार किस्में हैं। कुछ फ़रिशते आसमान उठाने पर लगे हुए हैं। कुछ जन्नत के तो कुछ जहन्नुम के दारोग़ा हैं और कुछ बन्दों के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने में लगे हैं

तफ़सीली ईमान से अभिप्राय यह है कि हम उन फ़रिशतों पर ईमान लाएं। अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फ़रिशतों के नाम बताये हैं जैसे जिब्रील, मीकाईल, जहन्नुम के दारोग़ा मालिक, और सूर फूंकने वाले इसराफ़ील अलैहिस्सलाम

अल्लाह तआला ने फरिशतों को नूर से पैदा किया है। उम्मुल मोमेनीन हज़रत आईशा रज़ि से साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

«خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»

फ़रिशतों को नूर से पैदा किया गया है और जिनों को आग की लपट से और आदम को उस चीज़ से जिसे तुमको बयान किया गया है (सही मुस्लिम 2996)

3–आसमानी किताबों पर ईमान

यह ईमान लाना ज़रूरी है कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को हक़ से अवगत कराने और उसकी तरफ़ दावत देने के लिए अनेक नबियों और रसूलों पर आसमानी किताबें उतारीं और हम उन सारी किताबों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह कि जिन किताबों का नाम बयान किया गया है, जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरआन पाक, जो कि

आखिरी आसमानी किताब है और दूसरी आसमानी किताबों की तसदीक़ करने वाली हैं।

उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हदीसों के साथ उसी किताब की पैरवी करना है और उसके आदेशों को मानना है। इसी वजह से अल्लाह तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरआन मजीद देकर इंसान और जिन्नात दोनों मखलूक़ात की तरफ़ भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच फैसला कर सकें। उसे दिल की बीमारियों के लिए शिफा पाने का सामान, हर चीज़ की वज़ाहत का ज़रिया और दुनिया वालों के लिए हिदायत व रहमत बनाया है। अल्लाह तआला फरमाता है

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام:١٥٥]

यानी ''और यह एक किताब है जिसको हमने बड़ी खै़र व बरकत वाली बनाकर भेजा, अतः तुम उसकी पैरवी करो और डरो कि तुम पर रहम हो। (सूरह अलअनआम, आयत 155)

अल्लाह तआला कुरआन पाक में दूसरी जगह फरमाता है:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل:٨٩]

यानी ''और हमने तुम पर यह किताब नाज़िल फरमायी है जिसमें हर चीज़ का संतोषजनक बयान है और हिदायत, और रहमत और खुशख़बरी है मुसलमानों के लिए। (सुरह नहल आएत 89)

4. रसूलों पर ईमान

रसूलों पर इजमाली और तफ़सीली दोनों तौर पर ईमान लाना ज़रूरी है। हम इस बात पर ईमान रखें कि अल्लाह ने अपने बन्दों की ओर अनेक रसूलों को ख़ुशख़बरी सुनाने वाला, डराने वाला, और हक़ की ओर दावत देने वाला बनाकर भेजा। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل:٣٦]

यानी ''हमने हर उम्मत में रसूल भेजे कि केवल अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। (सूरह अलनह्ल, आयत 36)

जिसने उन रसूलों की दावत को स्वीकार किया, उसने सफलता और सलामती पायी और जिसने उनका विरोध किया, उसकी क़िस्मत में नाकामी और नामुरादी है।

हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि सारे नबियों और रसूलों की दावत एक ही है। और वह दावत है कि अल्लाह को एक जाना जाए और केवल उसी की इबादत की जाए। अलबत्ता रसूलों की शरीअतें और आदेश अलग अलग थे।

हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने कुछ रसूलों को कुछ रसूलों पर फ़ज़ीलत बख़्शी है। और रसूलों में सबसे अफ़ज़ल और श्रेष्ठ सबसे आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जैसा कि अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया है:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا [الإسراء:٥٥]

यानी ''हमने कुछ नबियों को कुछ पर फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) प्रदान की है। (सूरह अल इसरा, आयत 55)

दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب:٤٠]

यानी ''लोगो! तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातिमुन्नबीयीन हैं। यानी नुबूवत उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है। (सुरह अहजाब 40)

अल्लाह ने जिन रसूलों के नाम का उल्लेख किया है या जिन रसूलों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं हम उन तमाम रसूलों पर तफ़सीली और विशेष रुप से ईमान लाते हैं, जैसे नूह, हूद, सालेह, इबराहीम, अलैहिमुस्सलाम अजमईन।

5.आख़िरत के दिन पर ईमान

इस ईमान में वे सभी चीज़ें दाख़िल हैं जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वे मृत्यु के बाद घटित होंगे, जैसे क़ब्र का अज़ाब, और उसकी नेमतें और उसी तरह क़ियामत के दिन जिन सख़्तियों एवं कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, पुल सेरात, मीज़ान, हिसाब किताब, सहीफ़ों का प्रसार और लोगों के बीच उसका उड़ना जिसे कुछ लोग अपने दाहिने

हाथ से पकड़ेंगे तो कुछ लोग बायें हाथ से। और इसमें यह भी शामिल है कि हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले हौज़ पर ईमान लाएं और यह मानें कि तमाम नबियों का हौज़ होगा जैसा कि सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है।

उसी तरह उसमें जन्नत व जहन्नम, मोमिनों को अल्लाह का दीदार और अल्लाह तआला से बातचीत आदि पर ईमान लाना भी शामिल है जिनका उल्लेख कुरआन करीम और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किया गया है। अतएव उन सभी चीज़ों पर उस तरीके से ईमान लाना और उनकी तसदीक़ करना ज़रूरी है जैसा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है।

6. क़ज़ा व क़द्र पर ईमान

इस संबंध में चार चीज़ों पर ईमानलाना ज़रूरी है।

क. इस कायनात में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, उन सभों का ज्ञान अल्लाह को है। और बन्दों की परिस्थितियों, उनकी रोज़ी रोटी, उनकी मौत आदि समस्त मामलों का ज्ञान उसे है। और उससे कुछ भी छुपा नहीं है अल्लाह खुद फ़रमाता है: ﴿إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التوبة:١١٥]

यानी, ''अल्लाह तआला हर चीज़ को जानने वाला है
(सूरह अलतौबा, आयत 115)

ख. अल्लाह ने जिन चीज़ों का फैसला किया है, उसे लिख लिया गया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس:١٢]

यानी, ''और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। (सूरह यासीन, आयत 12)

ग. अल्लाह की मर्ज़ी पर ईमान लाएं। यानी अल्लाह जो चाहेगा वह होगा और जो नहीं चाहेगा वह नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है:

﴿قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران:٤٠]

यानी, ''उसी तरह से अल्लाह जो चाहता है, करता है (सूरह आलेइमरान, आयत 40)

घ. अल्लाह ने उन चीज़ों को उनके अस्तित्व में लाने से पहले पैदा किया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصَّفات:٩٦]

यानी, ''यद्यपि तुम्हें और तुम्हारी बनायी हुई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया है।'' (सूरे साफफात–96)

शिर्क और उसकी क़िस्में

शिर्क यह है कि कोई इंसान अल्लाह की रबूबियत, उलूहियत और उसके नामों व गुणों में किसी को उसके बराबरी का समझे।

शिर्क की दो क़िस्में है एक बड़ा शिर्क और एक छोटा शिर्क।

शिर्के अकबर यानी बड़ा शिर्क

अल्लाह को छोड़कर किसी ग़ैर की इबादत करना। शिर्क की इस क़िस्म को करने वाला इंसान यदि बिना तौबा किये हुए मर जाता है तो वह हमेशा–हमेश के लिए जहन्नमी रहेगा। शिर्क की यह क़िस्म सारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह तआला ने कुरआन में एक जगह फरमाया है:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:٨٨]

यानी, ''यदि यह मान लिया जाए कि ये लोग इस तरह का बड़ा शिर्क करते हैं, तो जो कुछ ये आमाल करते थे, वे सब बेकार हो जाते। (सूरह अलअनआम, आयत 88)

शिर्के अकबर को अल्लाह तआला बिना सच्ची तौबा किये कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء:٤٨]

यानी, ''निष्चित ही अल्लाह तआला अपने साथ शिर्क किये जाने को नहीं बख़्शता और उसके सिवा जिसे चाहता है बख़्श देता है और जो अल्लाह के साथ शरीक बनाये उसने बहुत बड़ा गुनाह और बोहतान बांधा। (सूरे निसा–48)

शिर्के अकबर की क़िस्मों में गैरूल्लाह को पुकारना, गैरूल्लाह के लिए नज्रो नियाज़ करना, गैरूल्लाह के लिए

जिब्ह करना आदि। या इंसान अल्लाह को शरीक ठहराकर उनसे ऐसी मुहब्बत करे जैसी अल्लाह से मुहब्बत होनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ [البقرة:١٦٥]

यानी, ''कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औरों को अल्लाह का शरीक ठहराकर उनसे ऐसी मुहब्बत रखते हैं जैसी मुहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। (सूरह अलबक़रा, आयत 165)

शिर्के असग़र यानी छोटा शिर्क

ये उन कर्मों को कहते हैं जिनको किताब व सुन्नत में शिर्क कहा गया है। लेकिन ये बड़े शिर्क नहीं कहलाते। शिर्क की यह क़िस्म इंसान को दीन से ख़ारिज नहीं करती। अलबत्ता तौहीद' में कमी करती है। जैसे थोड़ा बहुत दिखावा या यह कहना कि यदि अल्लाह और आप जो चाहें। या यह कहना कि यदि अल्लाह और आप न होते, यह अक़ीदा रखे बग़ैर कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की क़सम खाना कि अल्लाह के सिवा जिस की क़सम खा रहे हैं, वह अल्लाह के सिवा किसी भी तरह का नफ़ा नुक़सान नही पहुंचाता है।

या जो अल्लाह ने और अमुक व्यक्ति ने चाहा, आदि कहना। इस वजह से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः

''मैं तुम लोगों के सिलसिले में सबसे ज़्यादा छोटे शिर्क से डरता हूं।

आपसे इसके बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि वह दिखावा है। इसे इमाम अहमद ने जैय्यिद सनद से रिवायत किया है।

इसी तरह से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ أَشْرَكَ जिस किसी ने अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिए क़सम खायी, उसने शिर्क किया। (सुनन अबू दाऊद 2829)

तावीज़ बांधना और छल्लों को लटकाना, बीमारियों या मुसीबतों को दूर करने या उससे बचने के उद्देश्य से या धागा पहनना, जैसे आमाल शिर्क के उस क़िस्म में आते हैं। यदि कोई इंसान यह अक़ीदा रखता है कि ये चीज़ें अपनी ज़ात से नफ़ा या नुक्सान पहुचाती हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बड़ा शिर्क हो जाता है।

नाजिया' समुदाय का अक़ीदा

नाजिया' समुदाय का अक़ीदा वही है जो अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि सच्चा मोमिन इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही पालनहार और माबूद बरहक़ है और हर कमाल में मुनफ़रिद है। वह केवल अल्लाह ही की इबादत करता है, उसके दीन को ख़ालिस करते हुए और इस बात पर विश्वास रखता है कि अल्लाह ही पैदा करने वाला, नवाज़ने वाला, रोकने वाला और सभी मामलों की व्यवस्था करने वाला है।

वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि अल्लाह ही माबूद बरहक़ है वही पहला है उससे पहले कोई चीज़ नहीं है और वह आख़िर है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है वह ग़ालिब है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है और वह बातिन है और उससे कोई चीज छुपी नहीं है

अल्लाह हर दृष्टि से बहुत बड़ा और अत्यधिक महान है। ज़ात की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, ताक़त और शक्ति की दृष्टि से।

अल्लाह आसमान पर इस तरह से छाया हुआ है जो उसके शायाने शान है। और उसे सब पर वर्चस्व प्राप्त है। उसका इल्म ज़ाहिर और बातिन, आसमानी दूनिया और जमीनी दूनिया सभी पर छाया हुआ है। वह अपने इल्म की वजह से बन्दों के साथ है। वह बन्दों के हालात को जानता है। वह निहायत ही क़रीब है और दुआओं को कुबूल करता है

अल्लाह तआला अपनी ज़ात में तमाम मख़लूक़ात से ग़नी है और तमाम लोग अपने जन्म और अपनी ज़रूरतों के लिए हर वक़्त अल्लाह तआला के मुहताज हैं। पलक झपकने के बराबर भी कोई इससे बेज़ार नहीं है। अल्लाह तआला बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। बन्दों को दीनी और दुनयावी जोभी नेमतें हासिल हैं, वे सभी अल्लाह की तरफ़ से ही हैं। अल्लाह नेमतों से नवाज़ने वाला और मुसीबतों कोदूर करने वाला है।

अल्लाह की रहमत का हाल यह है कि अल्लाह हर रात को जब रात का एक तिहाई भाग बचा रहता है तो आसमान से आवाज़ लगाता है कौन है जो मुझसे सवाल

करे और मैं उसे दूं? वह कहता रहता है यहां तक कि फ़ज्र का वक़्त हो जाता है। अल्लाह ऐसेही देता है जो उसकी शायाने शान है।

अल्लाह हकीम है। शरीअत और तक़दीर में गहरी हिकमत छुपी है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया। और शरई आदेशों को मस्लिहत की प्राप्ति और फ़साद से बचने का ज़रिया बनाया।

अल्लाह तआला दुआओं को कुबूल करने, दरगुज़र से काम लेने और गुनाहों को बख़्शने वाला है। बन्दों की तौबा को कुबूल करता है, गुनाहों को माफ़ करता है और दरगुज़र से काम लेता है। वह तौबा करने वालों और बख़्शिश मांगने वालों का बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देता है।

अल्लाह शकूर है वह कम अमल करने वालों को भी क़द्र की निगाह से देखता है और उस पर बहुत ज़्यादा सवाब देता है। और शुक्रिया अदा करने वालों को अपने फ़ज़्ल से बहुत ज्यादा नवाज़ता है

सच्चा मोमिन अल्लाह को उन व्यक्तिगत और विषिष्ट गुणों से याद करता है जिन से अल्लाह ने खूद को सूषोभित किया है। या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सम्बोधित किया है। जैसे कामिल ज़िन्दगी, वह देखता है और सुनता है। वह महान और श्रेष्ठ है। सुन्दर और सर्वगुण सम्पन्न है।

एक सच्चा मोमिन किताब और सुन्नत में आई हुई इस बात पर ईमान रखता है कि मोमिन अपनी आंखों से

जन्नत में अपने रब का दीदार (दर्शन) करेंगे। और अल्लाह तआला को देखना और रब की खुशनूदी हासिल करना सबसे बड़ी नेमत और जन्नत की सबसे बड़ी लज़्ज़त है।

जो व्यक्ति ईमान के बगैर मरेगा वह हमेशा–हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा। और मोमिनों में बड़ा गुनाह करने वाले यद्यपि जहन्नम में जायेंगे मगर वे हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेंगे। बल्कि जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान होगा, वह जहन्नम की आग से निकलेगा।

ईमान दिलों के अक़ीदे और उसकी कथनी और करनी के मिले जुले स्वरूप का नाम है। जिसने सच्चे तौर पर इसे अदा किया वही सच्चा मोमिन है। और ऐसा इंसान सवाब का हक़दार होगा।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में सबसे आख़िरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों और जिनों में से हर एक की ओर ख़ूशख़बरी देने वाला और डराने वाला, अल्लाह की अनुमति से उसकी ओर बुलाने वाला और रौशन चिराग़ बनाकर भेजा गया।

अल्लाह ने आप को दीन व दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा ताकि समस्त प्राणी केवल अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को भागीदार न बनायें और अपना रिज़्क़ उसी से चाहें। एक सच्चा और पक्का मोमिन इस बात का अक़ीदा रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त प्राणियों में सर्वाधिक

जानकार, सबसे सच्चे, सबसे अधिक उपदेश देने वाले और सारी चीज़ों की व्याख्या करने वाले हैं।

अतएव वह आप का सम्मान करता है और आपसे मुहब्बत रखता है और आपकी मुहब्बत को समस्त प्राणियों पर मुक़द्दम रखता है। और आपके दीन के उसूल और उसके प्रचार प्रसार की पाबन्दी करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी को तमाम लोगों की कथनी और करनी पर मुक़द्दम रखता है।

एक पक्का मोमिन इस बात का एतिक़ाद रखता है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे गुणों एवं विशेषताओं से नवाज़ा है जिन से किसी दूसरे इंसान को नहीं नवाज़ा है। अतएव मुक़ाम और मर्तबा के लिहाज़ से समस्त प्राणियों में सबसे बुलन्द मर्तबा है और नैतिक दृष्टि से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कामिल हैं। आप ने अपनी उम्मत के लिए भलाई की सभी राहों को बता दिया और हर तरह की बुराइयों से उम्मत को डरा दिया।

एक पक्का मोमिन अल्लाह की अवतरित की हुई तमाम किताबों और उसके भेजे हुए तमाम रसूलों पर जिन्हें जानता है या नहीं जानता, सभी पर ईमान रखता है और ईमान के मामले में उनमें से किसी के बीच विभेद नहीं करता है। और इस बात पर भी ईमान रखता है कि सभी रसूलों का संदेश एक है कि केवल अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को साझीदार न बनाया जाए।

एक मुसलमान हर तरह की तक़दीर पर यक़ीन रखता है और इस बात पर विश्वास करता है कि बन्दे के सभी कर्म अच्छे हों या बुरे अल्लाह के इल्म में हैं। वे सभी लिखे जा चुके हैं। उन में अल्लाह की हिकमत शामिल है।

अल्लाह ने बन्दों को ऐसा सामर्थ्य और ऐसी इच्छा शक्ति प्रदान की है जिससे यह आमाल अंजाम पाते हैं। उन्हें इन में से किसी पर मजबूर नहीं किया है बल्कि उन्हें आज़ाद बनाया है। अलबत्ता अपने अदलो इंसाफ की वजह से मोमिनों की नज़रों में ईमान को महबूब (प्रिय) बनाया है और उससे उनके दिलों को आरास्ता (सुशोभित) किया है। और उनकी निगाहों में कुफ़्र और फिस्को फुजूर को मकरूह क़रार दिया है।

ईमान के उसूल में यह भी शामिल है कि मोमिन अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूलों, मुसलमानों के इमामों और आम मुसलमानों के प्रति नसीहत की भावना रखता हो।

वह भलाइयों का हुक्म देता हो, बुराइयों से रोकता हो, मां,बाप के साथ अच्छा सुलूक करता हो, रिशता नाता जोड़ने, रिशतेदारों, पड़ोसियों, और जिनके हुकूक़ आयद होते हैं के साथ एहसानमन्दी जैसी चीज़ों का ख़्याल रखता हो, और तमाम मख़लूक़ों के साथ बेहतर मामला करता हो। वह उम्दा और बेहतर अखलाक़ की दावत देता हो और बुरे और घटिया आदतों से रोकता हो।

उसका अक़ीदा हो कि ईमान व यक़ीन की दृष्टि से कामिलतरीन मोमिन वह है जिसके आमाल (कर्म) और अख़लाक़ सबसे बेहतर हों। जो बात–चीत में सबसे ज़्यादा

सच्चा हो, जो हर अच्छाई और भलाई से क़रीब और बुराइयों से दूर हो।

उसे मालूम हो कि जिहाद क़ियामत के दिन तक जारी रहेगा। यह दीन का सबसे ऊंचा मर्तबा है। इसमें जिहाद की सभी क़िस्मों, इल्मो हुज्जत के ज़रिया जिहाद हो, या हथियार के ज़रिया, सभी शामिल हैं। हर मुसलमान के लिए यह ज़रूरी है कि वह हर संभव तरीक़े से दीन की रक्षा करे। और जब जिहाद की शर्तें और वजह पाये जाएं तो वह उस मक़सद के लिए नेक इमाम के साथ खड़ा रहे

इसी तरह से ईमान की बुनियादों में यह भी है कि एक मुसलमान कलिमा के इत्तिहाद को बढ़ावा दे, उसका एहतिमाम करे और उसका लालची भी हो। मुसलमानों के दिलों को करीब करने, और उन्हें जोड़ने के ताल्लुक से भरपूर कोशिश करे। गुटबाज़ी, आपसी दुशमनी, और हसद और जलन से डराये।

इसी तरह इत्तिहाद की वजह बनने वाले सभी कामों को अपनाए। इसके अलावा वह लोगों की जानों, मालों, इज़्ज़तों और लोगों को हर तरह की परेशानियों से बचने की कोशिश करे। इसी तरह मुसलमानों और काफ़िरों के साथ तमाम मामलों में अदलो इंसाफ़ करने का आदेश दे।

और इस बात पर भी ईमान हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में सबसे श्रेष्ठ हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी, विषेश कर ख़ुलफ़ा–ए–राशिदीन, अशरा मुबश्शरा बिल जन्नह, अहले बद्र, बैअते रिज़वान में शरीक होने वाले सहाबी, मुहाजिर व

अंसार में शुरु शुरु में इस्लाम कुबूल करने वाले लोग भी उम्मत में श्रेष्ठतम हैं। अतएव एक इंसान सहाबियों से मुहब्बत करता है और उसी को अल्लाह का दीन समझता है। उनके खूबियों की बखान करता है। और उनकी ओर यदि कोई बुराई मंसूब की जाए तो वह खामोश रहता है।

अच्छे आलिमों और हुक्मरानों में इंसाफ़ पसंद इमामों व दूसरे लोग जिन्हें दीन में ऊंचा मुक़ाम हासिल है उन सभी का एहतिराम करता है, और अल्लाह से दुआ करता है कि वह उन्हें शक व सन्देह, शिर्क, नफ़ाक़ और बुरे अखलाक़ से बचाए और दीने इस्लाम पर बाक़ी रखे।

यही वे उसूल हैं जिन पर फिरक़ा नाजिया के पैरवी करने वाले (अनुयायी) ईमान रखते हैं और उन्हीं चीज़ों की दावत भी देते हैं।

तहारत (पाकी) के आदेश

नापाकी का बयान

हिस्सी नजासत (गन्दगी) इस नजासत को साफ़ करना और शरीर के जिस अंग में लग जाए, उसका धुलना ज़रूरी है। यदि कपड़े या शरीर में गन्दगी लग जाए तो उसे साफ़ करने के लिए धोना जरूरी है। यदि वह ऐसी गन्दगी हो जो दिखायी देती हो, जैसे हैज़ (मासिक स्राव) का खून तो यदि धोने के बाद भी निशान बाकी रह जाता है और खत्म नहीं हो पाता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन यदि गन्दगी ऐसी हो जो दिखायी न देती हो तो उसे एक बार धोना ही काफ़ी है।

ज़मीन में अगर गन्दगी लग गयी है तो उसपर पानी बहा देने से वह पाक हो जाऐगी। इसी तरह से यदि गन्दगी तरल पदार्थ हो, तो सूख जाने से ही पाक हो जाती है। लेकिन यदि गन्दगी ठोस हो तो उसको हटाने से ही वह पाक होगी।

पानी का इस्तेमाल पाकी हासिल करने और नजासत को दूर करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर वर्षा का पानी और समुद्र आदि का पानी। उसी तरह इस्तेमाल किया हुआ पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्त यह है कि पानी का रंग, गंध आदि न बदला हो।

उसी तरह से उस पानी का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसमें कोई पाक चीज़ मिलायी गयी हो या मिल गयी हो। शर्त यह है कि वह पानी ही समझा जाए। अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिलायी गयी हो और उसका नाम बदल गया हो, तो पाक होने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

उसी तरह से उस पानी का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है जिसमें निजासत और गन्दगी मिल गयी हो और उससे पानी का स्वाद, सुगंध या रंग बदल गया हो। लेकिन अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं बदली है तो सहीतरीन क़ौल के मुताबिक़ उस पानी का इस्तेमाल जाएज़ है।

पानी पीने के बाद जो पानी बच जाता है उसका इस्तेमाल जायज़ है। अलबत्ता कुत्ता या सुव्वर का जूठा पानी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। क्योंकि वह नापाक हैं।

नजासत की क़िस्में

शरीर से निकलने वाली कुछ निजासतें निम्नलिखित हैं

1. पेशाब और पाखाना

2. वदी . यह एक सफेद, गाढ़ा और गदला क़िस्म का पानी है, जो पेशाब के बाद निकलता है।

3. मज़ी . यह सफ़ेद, चिपचिपा पतला पानी है जो कम इच्छाओं के समय निकलता है।

4. मणी . यह पाक है, लेकिन यह तरल अवस्था मे है तो उसका धुलना और सूख गया हो तो खुरचना मुस्तहब है।

5. जानवरों का पेशाब और गोबर, अलबत्ता माकूलुल लहम (जिनका गोश्त खाया जाता है) जानवरों का पेशाब और गोबर पाक है।

6. हैज़ और नफ़ास

उपरोक्त सभी नजासतों को धोना और शरीर और कपड़ों में लगी हुई नजासत को दूर करना ज़रूरी है।

यदि कपड़े में मज़ी लग जाए तो केवल छींट मारना ही काफी है।

नजासत के तअल्लुक़ से कुछ अहकामात

1. यदि इंसान को कुछ ऐसा लग जाए जिसके बारे में उसे न मालूम हो कि यह पाक है या नापाक? तो बेहतर है उसे धोले,

2. अगर इंसान नमाज़ पढ़कर फ़ारिग़ होता है और अपने बदन पर गन्दगी देखता है, जिसे वह नहीं जानता था या जानता तो था मगर भूल गया था तो वाज़ेहतरीन क़ौल के मुताबिक उसकी नमाज़ सही होगी।

3. जिस व्यक्ति के कपड़ा आदि में नजासत की जगह छुपी रह जाए तो उसपर ज़रूरी है कि वह ढूंढ़े और उस जगह को धोये जिसके बारे में उसका गुमान है कि यहीं नजासत रही होगी। उसका कारण यह है कि नजासत का इसी से पता है कि कोई ठोस चीज़ लगी हो, या उसका रंग बदल गया हो, गंध आ गयी हो। लेकिन यदि ऐसा पता नहीं चलता कि किस जगह नजासत लगी है तो पूरा कपड़ा धोना होगा।

शौच की आवश्यक्ता

शौच जाते समय इन बातों का ख़्याल रखना चाहिए।

1. शौचालय में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर अन्दर रखें और ये दुआ पढ़ें: **बिस्मील्लाह अल्लाहुम्म इन्नी अउजुबिक मिनलखुब्सी वलखबाइस**, यानी, ''ऐ मेरे अल्लाह! मैं ख़बीस जिन्नातों और ख़बीस चूड़ैलों से तेरी पनाह मांगता हूं

और शौचालय से निकलते समय ''**गुफरानक**'' कहते हुये पहले दायां पैर बाहर निकालें।

2. अपने साथ कोई ऐसी चीज़ न ले जाएं जिसमें अल्लाह के नाम का उल्लेख हो। केवल उस स्थिति में ले जा सकते हैं यदि उसके खो जाने का भय हो।

3. खुले में शौच करते समय इस बात का ख्याल रखें कि क़िब्ले का रुख़ न हो और उसकी ओर पीठ करके भी न बैठें। अलबत्ता पाखाना में किब्ला की ओर पीठ करके बैठने की इजाज़त है,

4. लोगों से शर्मगाह को ढकना और उसमें कोताही न बरतना। मर्द के लिए छुपाने की जगह घुटना से लेकर ढोरी (नाफ़) तक है जबकि औरत सरापा छुपाने का सामान है

5. शरीर में पेशाब या पाखाना लगने से बचना चाहिए।

6. शौच के बाद पानी, या पत्थर आदि से सफ़ाई कर लेनी चाहिए। सफ़ाई के लिए बायें हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए

वुज़ू का बयान

वुज़ू के बिना नमाज़ कुबूल नहीं होती है। अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

‘जब तुम में से कोई बेवुजू हो जाता है तो अल्लाह तआला उस की नमाज़ उस वक्त तक कुबूल नहीं करता जब तक दोबारा वुजू न कर ले (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 6954 मुस्लिम 225)

वुजू की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। इंसान को चाहिए कि उन्हें समझे। उन्हीं फ़ज़ीलतों में से एक फ़ज़ीलत इस हदीस में आयी है जिसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजियल्लाहु अन्हु ने उल्लेख किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

‘‘जो व्यक्ति अच्छी तरह वुजू करता है तो उसके गुनाह उसके शरीर से निकल जाते हैं, यहां तक कि उसके नाखून के नीचे से भी निकल जाते हैं (सही मुस्लिम 245)

उस्मान रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

‘‘अल्लाह ने जिस तरह से आदेश दिया है यदि कोई उस तरह से वुजू करता है तो फ़र्ज़ नमाज़ें अपने बीच के गुनाहों का कफ़्फ़ारा होंगी, (सही मुस्लिम 231)

वुज़ू का तरीका

1. इंसान अपने दिल से वुज़ू की नीयत करे। नीयत के शब्द ज़बान से अदा न करे। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। उसके बाद **बिस्मिल्लाह** कहे।

2. फिर तीन बार अपनी हथेलियों को धोए।

3. उसके बाद कुल्ली करे और तीन बार नाक में पानी चढ़ाए।

4. फिर चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक और लम्बाई में बाल उगने की जगह से ठूरी के नीचे तक धुले।

5. उसके बाद तीन बार अपने हाथों की उंगलियों के सिरे से कोहनी समेत धोये पहले दाया हाथ और फिर बायां हाथ धोये,

6. फिर एक बार अपने सिर का मसह करे। इंसान अपना हाथ भिगोए और अपने हाथ को सिर के शुरु हिस्से से अखीर तक ले जाए और फिर शुरु सिर पर वापस लाए।

7. फिर अपने दोनों कानों का एक बार मसह करे। अपनी उंगुली को कान के अन्दर डाले और अंगूठे से कान के ऊपरी हिस्से का मसह करे।

8. उसके बाद तीन बार अपने पांव को उंगुलियों के सिरे से टखनों समेत धोये। पहले दायां पांव धोये फिर बायां पांव धोये।

9. उसके बाद यह दुआ पढ़नी मुस्तहब है। ''**अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अबदुहू वरसूलुह**,

उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

''जो कोई इंसान अच्छी तरह वुजू करता है और फिर यह दुआ पढ़ता है, ''**अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अन्न मुहम्मदन अबदुहू वरसूलुहू** तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। जिस दरवाज़े से चाहेगा वह दाखिल होगा (सही मुस्लिम 234)

मोज़े पर मसह

इस्लाम के आसान दीन होने की एक दलील यह है कि उसने मोज़े पर मसह करने को जायज़ क़रार दिया है। और यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है।

अम्र बिन उमैय्या रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ

''मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पगड़ियों और मोज़ों पर मसह करते देखा, (सही बुख़ारी 205)

मुगीरा बिन शोअबा रजियल्लाहु अन्हु बयान करते है कि

بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

एक रात मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आप उतरे और शौच के लिए गये। फिर आप आए तो मैं ने अपने साथ मौजूद बालटी से पानी उंडेला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और अपने दोनों मोज़ों पर मसह किया, (मुत्तफ़क़ अलैह, बुख़ारी 203, मुस्लिम 274)

अलबत्ता मोज़ों पर मसह के लिए शर्त यह है कि इंसान ने पाकी यानी वुज़ू की हालत में मोज़े पहने हों। मसह की कैफ़ियत यह होगी कि भीगे हुए हाथों को ज़ाहिरी तौर पर फेरा जाए। मोज़ों के भीतरी हिस्सों पर मसह नहीं किया जायेगा

मसह की अवधि मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात है। और मुसाफ़िर (यात्री) किसी ऐसी यात्रा पर हो कि उसके लिए नमाज क़सर करना जायज़ हो तो उसके लिए मसह की अवधि तीन दिन और तीन रात है। मसह की अवधि समाप्त हो जाने या मसह के बाद मोज़ा उतार लेने, या नापाक होने की स्थिति में मसह बातिल हो जायेगा। क्योंकि उस वक्त नहाना ज़रूरी हो जाता है।

वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें

1. शरीर से किसी प्रकार का विकार बाहर आने की स्थिति में वुज़ू टूट जाता है। जैसे पेशाब, पाखाना, हवा, मणि, मज़ी, वदी अथवा खून आदि।

2. नींद यानी सो जाना

3. ऊंट का गोश्त खाना

4. बेहोश हो जाना या होश खो देना

स्नान या नहाना

पाकी की नीयत से पूरे शरीर पर पानी डालने को स्नान कहते हैं। उसके सही होने के लिए ज़रूरी है कि पूरे शरीर को धोया जाए। साथ ही कुल्ली की जाए और नाक में पानी चढ़ाया जाए। पांच कारणों से नहाना अनिवार्य हो जाता है।

1. जागी हुई हालत में या नींद की हालत में या संभोग करते समय तीव्रता के साथ मणि का ख़ारिज होना। यदि मणि बिना संभोग के, किसी बीमारी के कारण या अधिक ठंडक के कारण निकल जाए तो ऐसी हालत में स्नान वाजिब यानी अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी मणि या उसका निशान देखले तो उसपर स्नान वाजिब होगा, चाहे उसे याद हो या न हो।

2. स्त्री और पुरुष के जनांगों का मिलन यानी यदि पुरुष का लिंग स्त्री के शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो फाल हो या न हो स्नान ज़रूरी हो जाएगा।

3. स्त्रियों की माहवारी के समाप्त होने पर।

4. मृत्यू के बाद मय्यत को स्नान कराना ज़रूरी है।

5. काफ़िर जब इस्लाम में दाखिल होगा तो उसपर स्नान वाजिब हो जायेगा।

नापाक होने के बाद कौन कौन सी चीजें हराम हैं

स्त्री और पुरुष जब संभोग की क्रिया से गुज़रें, चाहे मणि बाहर निकले या न निकले, तो उसमें से हर एक को जुन्बी कहेंगे। और उन पर निम्नलिखित चीज़ें हराम हैं

1. नमाज़ पढ़ना।

2. तवाफ़ करना।

3. कुरआन पाक की तिलावत करना, या उसे छूना।

4. मस्जिद में ठहरना। मस्जिद से गुज़रने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ज़रूरी हो तो मस्जिद में ठहरना भी जायज़ है। और वुजू के द्वारा नापाकी को हलका किया जा सकता है।

तयम्मुम

सफ़र में या हज़र में दानों जगहों पर तयम्मुम जायज़ है। शर्त यह है कि निम्नलिखित वजह हो, तो वुजू और स्नान दोनों के लिए तयम्मुम जायज़ है।

1. जब पानी न मिले, या पानी मिले मगर इतना कम हो कि वह पाकी हासिल करने के लिए काफ़ी न हो। अलबत्ता

पहले पानी तलाश करे। उसके बाद भी पानी न मिले तो वह तयम्मुम करेगा या पानी तो उसके पास हो, या पानी के पास पहुंच सकता हो मगर उसे भय हो कि उसकी जान य माल को उससे नुक़्सान पहुंच सकता है।

2. यदि शरीर के कुछ हिस्सों में घाव हो और पानी लग जाने से नुक़्सान की आषंका हो तो उस पर एक बार मसह कर ले। अपने हाथ को भिगा ले और उस हिस्से पर फेर ले। यदि मसह से भी नुक़्सान की आषंका हो तो अन्य अंगो को धो ले मगर उस अंग का तयम्मुम करेगा।

3. यदि पानी या मौसम बहुत ठंडा हो और पानी के इस्तेमाल से बीमारी का भय हो।

4. उसके पास पानी मौजूद हो, लेकिन उसे पीने या खाना बनाने की ज़रूरत हो तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करेगा।

तयम्मुम का तरीक़ा

तयम्मुम का तरीक़ा यह है कि इंसान अपने दिल से नीयत करे और अपने दोनों हथेलियों से एक बार ज़मीन पर मारे। उसके बाद अपने चेहरे पर मसह करे और फिर अपने बायें हाथ की हथेली के अन्दुरूनी हिस्से को दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पर फेरे। और फिर दाहिनी हथेली के अन्दुरूनी हिस्से को बायें हाथ के ऊपरी हिस्से पर फेरे।

तयम्मुम भी उन चीज़ों से टूट जाता है जिन से वज़ू टूट जाता है। उसी तरह जिसके पास पानी न रहा हो, उसे नमाज़ से पहले पानी मिल जाए, या नमाज़ के बीच पानी उपलब्ध हो जाए तो तयम्मुम टूट जायेगा।

यदि नमाज़ पढ़ लेने के बाद पानी मिले तो उसकी नमाज़ सही हो जायेगी और उसका दोहराना ज़रूरी नहीं होगा।

माहवारी और नफ़ास

प्रत्येक स्वस्थ नारी को प्रत्येक माह कुछ निष्चित दिनों के लिए रक्तस्राव होता है जिसे माहवारी कहते हैं। उसी तरह बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक रक्तस्राव जारी रहता है उसे नफ़ास कहते हैं।

ऐसी महिलाओं के लिए जो माहवारी के दिनों में या नफ़ास की हालत में हों नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना जायज़ नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

''जब माहवारी शुरु हो जाए तो नमाज़ पढ़ना छोड़ दे और जब माहवारी आना बन्द हो जाए तो अपना खून धो ले और नमाज़ पढ़े (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 331, मुस्लिम 333)

इस अवधि में जो नमाज़ें छूट जायेंगी उनका क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जितने रोज़े छूटे हों, उनकी क़ज़ा करनी होगी। उसी तरह माहवारी की हालत में खानए काबा का तवाफ़ करना भी जायज़ नहीं है। और माहवारी के दिनों में पति पर हराम है कि वह अपनी पत्नी के साथ संभोग करे।

रक्तस्राव बन्द होते ही औरत पाक हो जायेगी। इस अवसर पर उसके लिए नहाना अनिवार्य है। और अब उसके लिए जो चीज़ें हराम थीं, व हलाल हो जायेंगी।

यदि नमाज़ का समय हो गया और फिर उसकी माहवारी शुरु हुई तो सही क़ौल के अनुसार वह पाकी के बाद उस नमाज़ की क़ज़ा करेगी।

उसी तरह यदि औरत नमाज़ निकलने से (एक रकाअत पढ़ने में जितना समय लगता है), से पहले भी पाक हो जायेगी तो उसको नमाज़ पढ़नी होगी। और मुस्तहब है कि जो नमाज़ जिसके साथ जमा की जाती है, उसकी भी क़ज़ा करे।

मिसाल के तौर पर यदि सूरज डूबने से पहले पाक होती है तो उसे अस्र की नमाज़ भी पढ़नी होगी और ज़ोहर की नमाज़ की क़ज़ा मुस्तहब होगी। इसी तरह अगर आधी रात से पहले पाक होगी तो वह इशा की नमाज़ पढ़ेगी और उसके हक़ में मुस्तहब है कि वह मग़रिब की नमाज़ क़ज़ा करे।

नमाज़ के अहकाम

नमाज़ इस्लाम का दूसरा रुक्न है। यह हर व्यस्क (बालिग) और समझदार मुसलमान पर वाजिब है। आदमी पन्द्रह साल की आयु को पहुंचने पर व्यस्क (बालिग) हो जाता है। उसके नाफ़ के नीचे बाल उग आते हैं। और मणि ख़ारिज होने लगती है। महिलाओं के लिए एक शर्त यह भी है कि उसकी माहवारी स्राव शुरु हो जाता है। यदि

किसी को इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हासिल हो गयी तो वह व्यस्क हो गया।

नमाज़ की अनिवार्यता को नकारने वाला व्यक्ति इजमा की नज़र में काफिर होगा। सुस्ती और काहिली से नमाज़ छोड़ने वाले इंसान के काफ़िर होने के बारे में सहाबियों का इजमा है।

क़ियामत के दिन नमाज़ का ही सबसे पहले हिसाब लिया जायेगा। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:١٠٣]

''नमाज़ मोमिनों पर वाजिब की गयी है तय वक्त पर (सूरह निसा, आयत 103)

अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

''इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, हज करना, और रमज़ान के राज़े रखना। (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 8, मुस्लिम 16)

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हूए सुनाः إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

''मुसलमान और कुफ्र व शिर्क के बीच की सीमा (रेखा) नमाज़ है। (सही मुस्लिम 82)

नमाज़ अदा करने के बेशुमार फ़ज़ाएल हैं। उन्हीं में एक फ़जीलत यह है जिसे अबु हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً»

'जिसने अपने घर में वुजू किया और किसी मस्जिद की तरफ़ गया ताकि अल्लाह के फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज़ को अदा करे तो उसके एक क़दम की वजह से गुनाह ख़त्म होंगे और दूसरे की वजह से उसका दर्जा बुलन्द होगा, (सही मुस्लिम 666)

अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ،

وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

''क्या मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ न बता दूं जिसकी वजह से अल्लाह तआला गुनाहों को मिटा देगा और दरजात को बुलन्द फ़रमा देगा सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि अल्लाह के रसूल! ज़रूर बताइये! आपने फ़रमाया ''नापसंदीदगी के बावजूद पूरी तरह वुजू करना, मस्जिदों की तरफ़ ज़्यादा जाना और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार करना, यह सीमा पर रखवाली करने के समान है, (सही मुस्लिम 666)

अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ

''जो सुबह और शाम मस्जिद जाता है तो जितनी बार सुबह व शाम को वह जाता है, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में मेहमाननवाज़ी तैयार करता है (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 662, मुस्लिम 669)

नमाज़ से संबंधित अहम अहकाम

1. मर्दों के लिए मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। हदीस में आया है 'आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

मैंने इरादा किया है कि मैं आदेश दूं कि नमाज़ क़ायम की जाए और मैं उन लोगों के घरों की तरफ जाऊं जो हमारे साथ नमाज़ में शरीक नहीं होते और उन्हें आग लगा दूं (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 2420, मुस्लिम 651)

2. मुसलमान को चाहिए कि वह मस्जिद में पूरे सम्मान और इत्मिनान के साथ तशरीफ़ लाए।

3. मस्जिद में दाखिल होने वाले व्यक्ति के लिए सुन्नत है कि वह पहले दायां पांव अन्दर करे और यह दुआ पढ़े **''अल्लाहुम्मफ्तह–ली अबवाब रहमतिक**, यानी, ''ऐ मेरे अल्लाह! तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे (सही मुस्लिम 1252)

3. सुन्नत है कि इंसान मस्जिद में बैठने से पहले दो रकअत तहैयतुल मस्जिद अदा करे। हजरत अबु क़तादा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

''जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि बैठने से पहले दो रकआत अदा करे (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 444, मुस्लिम 714)

5. नमाज़ में शर्मगाह का ढकना ज़रूरी है। मर्द की शर्मगाह नाफ़ से घुटना के बीच का हिस्सा है जबकि औरत सरापा छुपाने का सामान है। नमाज़ में चेहरे के सिवा

6. क़िब्ला का रुख़ करना ज़रूरी है और यह दो हालतों के सिवा नमाज़ के क़ुबूल होने की शर्त है। पहली हालत यह है कि कोई रुकावट हो जैसे बीमारी आदि। और दूसरी यह कि इंसान स़फर कर रहा हो। यह हालत नफ़िल नमाज़ों के साथ खास है। इसमें फ़र्ज़ नमाज़ शामिल नहीं है।

7. नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा करना ज़रूरी है। वक़्त से पहले नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी और वक़्त को टालना हराम है।

8. नमाज़ के लिए जल्दी जाना चाहिए और पहली पंक्ति में जगह पाने की कोशिश करनी चाहिए और नमाज़ का इन्तिज़ार करना चाहिए। क्योंकि इसमें बड़ी फ़ज़ीलत है। अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ

''यदि लोगों को मालूम हो जाए कि अज़ान और पहली पंक्ति में कितनी फ़ज़ीलत है तो उन्हें कुरआअन्दाज़ी के बिना उनमें अवसर न मिल सके तो लोगकुरआअन्दाज़ी भी

करेंगे और लोगों को नमाज़ों के लिए जल्दी आने की फ़ज़ीलत मालूम हो जाए तो उसके लिए सबक़त करें (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 615, मुस्लिम–437)

अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ

"इंसान उस वक़्त तक नमाज़ में होता है जब तक कि नमाज़ उसे रोके रखती है। (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 659, मुस्लिम 649)

नमाज़ का समय

1. जुहर का समय सूरज ढलने से लेकर साया की लम्बाई उस चीज़ के बराबर होने तक होता है।

2. अस्र का समय साया की लम्बाई उस चीज़ के बराबर होने से लेकर सूरज डूबने (सुर्यास्त) तक रहता है।

3. मग़रिब की नमाज़ का समय सूरज डूबने से लेकर पष्चिम की लाली समाप्त होने तक होता है।

4. इशा की नमाज़ का समय पष्चिम की लाली समाप्त होने से लेकर आधी रात तक होता है।

5. फ़ज्र की नमाज़ का समय तुलूए फ़ज्र से लेकर सूरज उगने तक रहता है।

ऐसी जगहें जहां नमाज़ सही नहीं होतीं

कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ

''पूरी ज़मीन मस्जिद (सज्दा करने की जगह) है, सिवाए हम्माम और क़ब्रिस्तान के। इसे इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबु दाऊद, तिर्मिज़ी और इमाम नसायी ने रिवायत किया है अलबत्ता क़ब्रिस्तान में जनाज़े की नमाज़ जायज़ है।

2. क़ब्र की ओर रुख़ करके नमाज़ पढ़ना अबू मर्सद गनवी रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

''क़ब्रों का रुख़ करके नमाज़ न पढ़ो और न ही उन पर बैठा करो, (सही मुस्लिम 973)

3. ऊंट का बाड़ा, वह जगहें जहां ऊंट रहते है। इसी तरह नापाक जगहों में नमाज़ नहीं होती है।

नमाज़ की कैफ़ियत

तमाम इबादतों की तरह नमाज़ के वक़्त भी नीयत का होना ज़रूरी है। नीयत दिल से, ज़बान से अदा किये बिना करनी चाहिए। नमाज़ की कैफ़ियत निम्नलिखित हैः

1. नमाज़ी पूरी तरह क़िब्ला की ओर खड़ा हो, टेढ़ा तिरछा होकर खड़ा होना ग़लत है।

2. फिर तकबीर यानी **अल्लाहु अकबर** कहे और तकबीर के समय अपने दोनों हाथों को दोनों मोंढ़ों या दोनों कानों तक उठाए।

3. फिर अपनी दाहिनी हथेली को बायीं हथेली पर रखकर सीने पर रखे।

3. फिर सना पढ़े: **الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ** "**अल्हम्दु लिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीहि** (सही मुस्लिम 600)

या यह पढे: **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**

सुबहानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाह गैरुक, (सुनन अबू दाऊद 775, सुनन तिर्मिजी 242) इसे शैख़ अलबानी ने सही क़रार दिया है।

या इसके सिवा कोई दूसरी दुआ–ए–इस्तफ़ताह पढ़े। बेहतर तो यह है कि यह दुआ बदलबदल कर पढ़े। एक ही दुआ को न पढ़े। क्योंकि इस से खुशू व खूज़ू की कैफ़ियत पैदा होगी।

5. उसके बाद तऊज़ यानी **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** "**अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम,** पढ़े।

इसके बाद **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ** "**बिस्मिल्लाहि र्रहमानिर्रहीम** पढ़े

और फिर सूरह फ़ातिहा की तिलावत करे,

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

टलहमद ुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमा निर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नाबुदु वइय्याक नसतईन, इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल्लजीन अनअमत अलैहिम, गैरिल मगजूबि अलैहिम वलज्ज़ाल्लीन, (आमीन,)

7. उसके बाद जितना हो सके, कुरआन की तिलावत करे

8. फिर रुकूअ करे और रुकूअ के समय अपने हाथों को कंधों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहे। रुकूअ के दौरान अपने हाथों को घुटनों पर रखे। इस दौरान उंगुलियां फैली हुई हों और यह दुआ पढ़नी चाहिए

''**सुब्हान रब्बियल अज़ीम**﴾ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

सुन्नत यह है कि उसको तीन बार पढ़ा जाए उससे ज़्यादा बार भी पढ़ना जायज़ है और यदि एक बार भी पढ़ते हैं तो भी काफ़ी होगा।

9. फिर इमाम और मुन्फरीद में से हर कोई ''समीअल्ला हुलिमन हमिदह कहते हुए रुकूअ से अपना सिर उठाए और रुकूअ से उठने के दौरान दोनों हाथों को मोंढों तक उठाए। मुक़्तदी और मुन्फ़रिद (यानी अकेले नमाज पढने वाला) ''रब्बना व लकल हम्द कहेंगे, और अपने दायें हाथ की हथेली को बायें हाथ की हथेली पर रखकर सीने पर रख लेंगे।

10. रुकूअ से उठने के बाद क़ियाम के दौरान ये दुआ पढ़ेंगे।

اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

''**अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्दु मिल्अस्समावाति व मिल्अल अरजि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शीइत मिन शैयइन बादु**, (सही मुस्लिम 771)

11.फिर पहला सजदा करे और सजदे में जाते समय अल्लाहु अकबर कहे और अपनी सात हड्डियों यानी पेशानी के साथ नाक, दोनों हथेलियों, दोनों घुटनों और दोनों पांवों के किनारों पर सजदा करे। इस बीच अपने बाजू को बग़ल से दूर रखे और अपने पांवों की उंगुलियों के सिरों को क़िब्ला रुख़ करे और सजदा में यह दुआ पढ़े

''**सुब्हान रब्बियल आला**, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

इस बारे में सुन्नत है कि उसे तीन बार पढ़ा जाए, तीन बार से ज़्यादा पढ़ना भी जायज़ है। अलबत्ता एक बार पढ़ना काफ़ी होगा और सजदा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना मुस्तहब है, क्योंकि यह उन जगहों में से है जहां दुआ को कुबूल किया जाता है।

12.फिर इंसान अल्लाहु अकबर' कहते हुए सजदा से अपना सिर उठाए और दोनों सजदों के बीच अपने बायां पांव पर बैठे और दाहिने पांव को खड़ा रखे और अपने दाहिने हाथ को दाहिने रान के किनारे यानी घुटने से करीब रखे और बायें हाथ को बायें रान के किनारे यानी घुटने से क़रीब

रखे और उसके हाथों की उंगुलियां फैली हुई हों और उस जलसे में यह दुआ पढ़े।

रब्बिग़ फिरली, रब्बिग़ फिरली, رب اغفرلي . رب اغفرلي

13.फिर दूसरा सजदा करे और उसमें उन्हीं चीज़ों को अंजाम दे जो उसने पहले सजदा में अंजाम दिया था।

14.फिर दूसरे सजदे से अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा खड़ा हो जाए।

15.दूसरी रकअत में दुआए इस्तिफताह और तऊज़ के सिवा, दूसरे सभी कथनी और करनी को अंजाम देगा जो उसने पहली रकअत में किया है, अलबत्ता इस रकअत के दूसरे सजदा के बाद उसी तरह बैठेगा जिस तरह दोनों सजदों के बीच बैठता है लेकिन यहां दाहिने हाथ की उंगुलियों को समेट लेगा और अंगूठे को बिचली उंगली के साथ जोड़ देगा और शहादत की उंगुली से इशारा करेगा और उस जुलूस में तशह्हुद पढ़ेगा। तशह्हुद की दुआ यह है

التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

‘‘अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यू व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन, अशहदु

अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अबदुहू व रसूलुह, (सही बुख़ारी 831)

इसके सिवा तशहहुद के दूसरे वाक्य भी आए हैं।

यदि तीन या चार रकअत वाली नमाज़ पढ़ रहा हो जैसे मग़रिब, ज़ोहर, अस्र या इशा तो उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए और क़ियाम के समय अपने हाथ को अपने मोंढ़ों तक उठाते हुए खड़ा होगा और बाक़ी नमाज़ को दूसरी रकअत की तरह से पूरा करेगा। अलबत्ता क़ियाम में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़ेगा।

आख़िरी रकअत में दूसरे सजदा के बाद बैठेगा, तशह्हुद के बाद दरूद इब्राहीमी पढ़ेगा।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन, व अला आलि मुहम्मदिन, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नक हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नक हमीदुम मजीद,

इस दुआ को पढ़ने के बाद जितना चाहे दुआ करे। सुन्नत यह है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे और यह दुआ भी पढ़े।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ،و مِنْ عَذَابِ النار ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والمات وَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، **"अल्लाहुम्म इन्नी अऊजु बिक मिन अज़ाबिल क़बरि, वमिन अजाबिन्नार व मिन फितनतिल मह्या वल ममाति व मिन फितनतिल मसीहिद्दज्जाल**

16.उसके बाद दायीं ओर **"अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह** कहते हुए सलाम फेर दे और फिर बायीं ओर भी उसी तरह से करे,

17.जोहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ों में नमाज़ी के लिए तवर्रुक करना मसनून है। उसकी कैफ़ियत यह होगी कि इंसान अपना दाहिना पांव खड़ा कर दे और बायें पांव को अपनी पिंडली के नीचे से निकाले और अपना सुरीन ज़मीन पर रख दे। और पहले तशह्हुद में जिस तरह अपना हाथ रखा था, उसी तरह से रखे।

नमाज़ के बाद की दुआएं

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

''असतग़ फिरुल्लाह, असतग़ फिरुल्लाह, असतग़ फिरुल्लाह, अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम, व मिनकस्सलाम, तबारक्त या जल जलालि वल इकराम, (सही मुस्लिम 591)

''ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहु लाशरीकलहू, लहुलमुल्कु, व लहुलहम्दु, व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्म ला मानिअ लिमा आतैत, वला मुतिय लिमा मनअत, वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकलजद्द (मुत्तफ़क़ अलैह 844, 593)

''ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीकलहू, लहुलमुल्कु, व लहुलहम्दु, व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला इलाह इल्लल्लाहु, वला नाबुदु इल्ला इय्याहू, लहुननेमतु वलहुल फज़्लु, वलहुस्सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लाहु मुख़लिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून (सही मुस्लिम 594)

इसके बाद 33 बार **सुब्हानल्लाह**' سُبْحَانَ الله 33 बार **अल्हम्दुलिल्लाह'** وَالحَمْدُ لِلَّه और 33 बार **अल्लाहु अकबर**' وَاللَّهُ أَكْبَرُ पढ़े और 100 पूरा करने के लिए यह दुआ पढ़ें

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

''ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीकलहू, लहुलमुल्कु, व लहुलहम्दु, व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर,

उसी तरह नमाज़ी को हर नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी, सूरह इख़्लास, सूरह फ़लक़ और सूरह नास पढ़ना चाहिए। इन तीनों सूरतों को फ़ज्र और मग़रिब की नमाज़ों के बाद तीन.तीन बार पढ़ना चाहिए।

मसबूक़ (जिसकी नमाज़ का कुछ हिस्सा छूट गया हो)

जिस की नमाज़ का कुछ हिस्सा छूट गया हो, जैसे एक रकअत या उससे ज़्यादा तो वह इमाम के साथ जितना न पढ़ सका हो, नमाज़ से दूसरा सलाम फेरने के बाद पूरा करेगा और मसबूक़ ने इमाम के साथ जिन रकअतों को पाया होगा, वह उसकी नमाज़ का शुरुआती हिस्सा समझा जायेगा। लेकिन यदि किसी से रुकूअ छूट जाए तो पूरी रकअत छूटी हूई समझी जाएगी।

जब वह व्यक्ति जिसकी नमाज़ छूट रही हो मस्जिद में दाखिल होगा, तो नमाज़ी जिस हालत में भी हों, चाहे खड़े हों, रुकूअ में हों, सजदे में हों, या किसी दूसरी हालत में हों, वह उनके साथ उसी अवस्था में जमाअत में शामिल हो जायेगा। वह नमाज़ियों को अगली रकअत के लिए खड़ा होने का इन्तिजार नहीं करेगा। तकबीर तहरीमा खड़ा होकर ही कहेगा, अलबत्ता यदि वह असमर्थ है, जैसे बीमार आदि तो उसके लिए छूट है।

नमाज़ को बातिल कर देने वाली चीज़ें

1. जानबूझ कर बातें करना, चाहे कम ही क्यों न हों।
2. पूरे शरीर का क़िब्ला रुख से हट जाना।
3. वुज़ू को तोड़ने वाली किसी चीज़ का घटित हो जाना।
4. अकारण लगातार हरकत करना।
5. हंस देना, हंसी कम ही क्यों न हो।

6. जानबूझ कर नमाज़ में रुकुअ, सजदा, क़ियाम या कुऊद का इज़ाफ़ा करना।

7. जानबूझ कर इमाम से सबक़त करना।

जो बातें नमाज़ में वाजिब हैं

1. तकबीर तहरीमा के सिवा अन्य तकबीरें,

2. रुकूअ में एक बार ''सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना।

3. रुकूअ से सिर उठाते समय इमाम का ''समीअल्लाहु लिमन हमिदह कहना। अकेले पढ़ रहा हो तो उसे भी कहना होगा।

4. रुकूअ से सिर उठाने के बाद ''रब्बना व लकल हम्द, पढ़ना

5. सजदा में एक बार ''सुबहान रब्बियल आला पढ़ना

6. दोनों सजदों के बीच रब्बिग़ फिरली कहना।

7. पहला तशह्हुद पढना

8. तशह्हुद के लिए बैठना।

नमाज़ के अरकान

1. फ़र्ज़ नमाज़ों में ताक़त हो तो खड़ा होना, नफ़्ल नमाज़ों में खड़ा होना वाजिब नहीं है, अलबत्ता बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाले की तुलना में आधा सवाब हासिल होगा,

2. तकबीर तहरीमा

3. हर रकअत में सूरह फ़ातिहा की तिलावत करना,
4. हर रकअत में रुकूअ करना,
5. रुकूअ से उठने के बाद सिधा खड़ा होना,
6. हर रकअत में दो बार सातों हड्डियों पर सजदा करना,
7. दोनों सजदों के बीच बैठना,
8. नमाज़ पढ़ते वक़्त सकून और इत्मिनान का ख्याल रखना,
9. आखिरी तशहहुद,
10. आखिरी तशहहुद के लिए बैठना,
11. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना,
12. दोनों तरफ सलाम फेरना,
13. नमाज़ के अरकान के बीच तर्तीब का ख्याल रखना।

सहव का बयान

सहव भूलचूक को कहते हैं। यदि नमाज़ी नमाज़ में सहव का शिकार हो जाए या उससे नमाज़ में कमी हो जाए या कमी बेशी को लेकर सन्देह उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए सजदए सहव करना होगा।

यदि नमाज़ में किसी चीज़ का इज़ाफ़ा हो जाए जैसे क़ियाम, रूकूअ या कुऊद आदि तो ऐसी स्थिति में सलाम के बाद सहव के दो सजदे करे।

यदि नमाज़ी से गलती से कोई कमी रह गयी हो, जैसे नमाज़ के किसी रुक्न का छूट जाना, या किसी चीज़ का पढ़ने से रह जाना, और बाद वाली रकअत के क़िरात शुरु करने से पहले वह याद आया हो तो नमाज़ी उसे दोहरा लेगा और छूटा हुआ रुक्न और उसके बाद के आमाल को अंजाम देगा। इसके अलावा सजदए–सहो भी करेगा। लेकिन यदि उसके बाद वाली रकअत की क़िरात शुरु करने के बाद याद आया हो तो जिस रकअत में रुक्न छूटा हो, वह बातिल हो जायेगी और उसके बाद वाली रकअत उसकी जगह ले लेगी।

यदि छूटे हुए रुक्न का ज्ञान सलाम फेरने के बाद हुआ और समय ज़्यादा नहीं बीता हो तो एक रकअत पूरा करेगा और सजदए सहव करेगा। लेकिन यदि समय ज़्यादा हो गया हो, या वुज़ू टूट गया हो तो नमाज़ को नये सिरे से पढ़ेगा,

यदि किसी वाजिब चीज को भूल गया हो जैसे तशह्हुद के लिए बैठना, या उसी की तरह नमाज़ की कोई दूसरी वाजिब चीज़, तो ऐसी स्थिति में सलाम से पहले दो सजदए सहव करेगा,

सन्देह की स्थिति में, यदि इंसान को रकअतों की संख्या के बारे में सन्देह हो, जैसे उसे सन्देह हो जाए कि उसने दो रकअतें पढ़ी हैं या तीन रकअतें पढ़ी हैं तो इस स्थिति में कम वाली संख्या को बुनियाद बनायेगा। क्यों कि उसकी नज़र में वह संख्या यक़ीनी है। और सलाम से पहले सजदए सहव करेगा,

यदि रुक्न के छूट जाने के सिलसिले में शक हो जाए तो उसे यह मान कर अदा करेगा मानो उसने उस रुक्न को छोड़ दिया है। अतएव वह उस अमल को और उसके बाद के आमाल को अंजाम देगा और सजदए–सहव करेगा।

यदि उसे शक होने लगे कि पता नहीं मैंने यह पढ़ा है कि नहीं, या यह किया है कि नहीं तो जिस तरफ उसका अधिक गुमान हो उसी के अनुसार अमल करेगा और सजदए सहव अंजाम देगा।

सुनन रवातिब

हर मुसलमान, मर्द और औरत के लिए मुक़ीम की हालत में बारह रकअतों का एहतमाम मुस्तहब है।

चार रकअत नमाज़े ज़ुहर से पहले, और दो रकअत नमाज़े ज़ुहर के बाद, दो रकअत मगरिब के बाद, दो रकअत इशा के बाद और दो रकअत फ़ज्र के पहले,

उम्मुल मोमेनीन उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुनाः

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

"जो मुसलमान बन्दा अल्लाह के लिए हर दिन फर्ज़ के अलावा बारह रकअतें नफ़्ल पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में

एक घर का निर्माण करता है या उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाता है, (सही मुस्लिम 728)

सभी रवातिब सुन्नतों और नफ़्ल नमाज़ों के ताल्लुक़ से अच्छा यही है कि उन्हें अपने घर में अदा किया जाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

''जब तुम में से कोई व्यक्ति नमाज़ पढ़ ले तो अपनी नमाज़ों में से अपने घर का हिस्सा भी बनाये। क्योंकि अल्लाह तआला उसके अपने घर में नमाज़ अदा करने को खैर व बरकत का कारण बनाएगा, (सही मुस्लिम 778)

ज़ैद बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु से मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ

''फ़र्ज़ नमाज़ के सिवा, इंसान की बेहतर नमाज़ घर की है, (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 6113, मुस्लिम 781)

नमाज़े वित्र

मुसलमानों के लिए वित्र की नमाज़ अदा करना मसनून है। यह सुन्नते मुअक्किदा है और इसका वक़्त इशा की नमाज़

के बाद से तुलू.ए फज्र तक है और जो जाग सकता हो, उसके लिए बेहतर वक़्त, रात का आख़िरी हिस्सा है।

यह उन सुन्नतों में से है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा बल्कि हमेशा सफ़र में हो या हज़र में, उसे अदा करते रहे,

वित्र की सबसे कम संख्या एक रकअत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ग्यारह रकअतें पढ़ा करते थे जैसा कि उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है कि

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ

अल्लाह के रसूल ;सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ग्यारह रकअतें अदा करते थे। उनमें एक रकअत वित्र की होती थी (सही मुस्लिम 736)

रात की नमाज़ें दो दो रकअतें करके पढ़ी जाती हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

''रात की नमाज़ दो–दो रकअतों में पढ़ी जाती है। जब तुम में से कोई सुबह होने से डरे तो एक रकअत पढ़ ले, जो कुछ पढ़ा होगा, उनके लिए यह वित्र हो जायेगी, (सही मुस्लिम 749)

वित्र में कभी रुकूअ के बाद दुआए–कुनूत पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि हसन बिन अली रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ कलिमे सिखाए और कहा कि उन्हें वित्र में पढ़ा करो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अकसर सहाबियों ने जिन्होंने वित्र के बारे में उल्लेख किया है, उन्होंने आपके कुनूत का उल्लेख नहीं किया है।

उसी तरह जिसकी रात की नमाज़ें छूट गयी हों, उसके लिए मुस्तहब है कि वह दिन में उनका क़ज़ा करे। वह दो रकअत, चार, छे, आठ, दस या बारह रकअतें करके पढ़ ले क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है।

फ़ज्र की दो रकअतें

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सुन्नतों को सफ़र या हज़र, किसी हालत में नहीं छोड़ा करते थे, उनमें फ़ज्र की दो रकअत सुन्नत भी शामिल है।

उम्मुल मोमेनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़्ल नमाज़ों में सुबह से पहले दो रकअत सुन्नत से ज़्यादा किसी दूसरी नफ़्ल नमाज़ पर ज़ोर नहीं देते थे। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 1163, मुस्लिम 724)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं दो रकअतों के बारे में फ़रमाया हैः ''मेरी नज़र में वे दोनों, तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब हैं, (सही मुस्लिम 725)

मसनून यह है कि इंसान पहली रकअत में सूरह **काफिरून** और दूसरी रकअत में सूरह **इख़लास** की तिलावत करे। और कभी पहली रकअत में ''**कूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िल इलैना** और दूसरी रकअत में ''**कुल या अहलल किताबि तआ़लौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम,** की तिलावत करे।

इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से इन दोनों रकअतों को हलकी पढ़ना मसनून है। जो इंसान इन दोनों रकअत को फ़ज्र से पहले न पढ़ सका हो, उसके हक़ में मसनून है कि वह फ़ज्र की नमाज़ के बाद कज़ा कर ले। अलबत्ता सूरज उगने के बाद और सूरज के एक नेज़ा ऊपर उठने के बाद ज़वाले आफ़ताब तक इन दोनों रकअतों का क़ज़ा करना ज़्यादा बेहतर हैं।

चाश्त की नमाज़

चाश्त की नमाज़ को सलाते अव्वाबीन भी कहते हैं। यह सुन्नते मुवक्किदा है और उसके लिए बेशुमार हदीसें आयी

हैं। अबूज़र रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

''तुम में से हर व्यक्ति के ज़िम्मे, उसके शरीर के तमाम जोड़ों की तरफ़ से सदक़ा वाजिब है। अतएव **सुब्हानल्लाह** कहना सदक़ा है। **अल्हम्दुलिल्लाह** कहना सदक़ा है। **लाइलाह इल्लल्लाह** कहना सदक़ा है। **अल्लाहु अकबर** कहना सदक़ा है। भलाई का हुक्म देना सदक़ा है। बुराई से रोकना सदक़ा है। और चाश्त के वक़्त की दो रकअतें इन सब की अदायगी के लिए काफ़ी हैं, (सही मुस्लिम 720)

अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की नसीहत फ़रमायी है और मुझे ताकीद की है कि मैं उन्हें मरते दम तक न छोडूं पहली बात यह है कि मैं हर महीने के तीन दिनों का रोजा रखूं। दूसरी बात यह है कि मैं चाश्त की नमाज़ का एहतिमाम करुं और तीसरी बात यह है कि मैं वित्र पढ़ने से पहले न सोऊं (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 1178, मुस्लिम 721)

चाश्त की नमाज़ का अफ़ज़लतरीन वक़्त यह है जब दिन बुलन्द हो, और धूप तेज़ हो जाए, और ज़वाले आफताब के साथ उसका वक़्त खत्म हो जाता है। यह कम से कम दो रकअतें मसनून हैं और ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है।

जिन औक़ात में नमाज़ पढ़ना मना है

कुछ वक़्त ऐसे हैं जिन में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है,

1. फ़ज्र की नमाज़ के बाद सूरज उगने और उसके एक नेज़ा ऊंचा होने तक।

2. दोपहर के समय जब सूरज सर पर आ जाता है और उसका पता इससे चलता है कि साया रुक जाता है। यहां तक कि सूरज पश्चिम की ओर झुक जाए।

3. अस्र की नमाज़ के बाद से सूरज डूबने तक।

अलबत्ता इन औक़ात में कुछ नमाज़ें अदा की जा सकती हैं। जैसे तहैयतुल मस्जिद, नमाज़े जनाज़ा, नमाज़े ग्रहन, तवाफ़ की दो रकअतें, और वुज़ू के बाद की दो रकअतें आदि।

इसी तरह इन औक़ात में छूटी हुई फर्ज़ नमाज़ों को भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

जो किसी नमाज़ को भूल गया हो, या उसे नींद आ गयी हो, जब उसे याद आए, तभी उसे पढ़ लेगा, (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 597, मुस्लिम 684)

इसी तरह फ़ज्र की सुन्नत के क़ज़ा का मसला है। इसी तरह ज़ुहर की सुन्नत को जो वक़्त पर न पढ़ सका हो, उसके लिए उसे अस्र के बाद क़ज़ा करना जायज़ है

ज़कात के अहकाम

ज़कात इस्लाम का तीसरा रुक्न है और मुसलमान जब निसाब का मालिक होता है तो उसपर ज़कात वाजिब होती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:٤٣]

यानी, नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो। (सूरह अल बक़रा, आयत 43)

ज़कात की व्यवस्था क़ायम होने की बेशुमार हिकमतें हैं, जिनमें से कुछ ये हैं:

1. लालच और बखीली जैसी बुरी आदतों से अपने आप को बचाये रखना।

2. मुसलमान को एहसास का अभ्यस्त बनाना।

3. मालदारों और गरीबों के बीच मुहब्बत की बुनियादों को मज़बूत करना। क्योंकि यह मानव स्वभाव है कि जो उनके साथ अच्छा सलूक करता है, वह उनसे मुहब्बत करते हैं।

4. ग़रीब मुसलमानों की ज़रूरत पूरी होती है।

5. इंसान को गुनाहों और गन्दगियों से पाक व साफ़ करना क्योंकि उसके कारण इंसानों के दर्जे बुलन्द होते हैं और गुनाह मिटते हैं।

किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है?

ज़कात सोना, चांदी, व्यापार का सामान, चौपाये जानवर और ज़मीन से उपजने वाले ग़ल्ले, और खनिज पदार्थों पर वाजिब होते हैं।

सोना और चांदी की ज़कात

सोना और चांदी, चाहे वह जिस रुप में हों, जो निसाब का मालिक होगा, उनपर ज़कात वाजिब होगी। सोना का निसाब 20 मिस्क़ाल है जो 85 ग्राम के बराबर होता है। और चांदी का निसाब 200 नबवी दिरहम है जो 595 ग्राम के बराबर होता है। इस आधार पर जो सोने और चांदी के निसाब का मालिक होगा तो मौजूद हिस्से का 2.5 प्रतिषत ज़कात वाजिब होगी।

यदि वह रुपये पैसे की शक्ल में ज़कात निकालना चाहता हो तो उसे चाहिए कि उसके मौजूद सामान पर जिस समय साल पूरा हो रहा है, उस वक़्त सोना और चांदी के एक ग्राम की क़ीमत मालूम करे और उसकी क़ीमत के हिसाब से नक़द रुपये ज़कात में निकाले।

उसकी मिसाल यह है यदि किसी के पास 100 ग्राम सोना हो तो जब साल पूरा होगा तो उसपर ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि वह निसाब का मालिक है। उसमें 2.5 ग्राम

ज़कात होगी। लेकिन यदि कोई इंसान उसकी ज़कात रुपये पैसे की शक्ल में निकालना चाहता हो तो साल पूरा होने के वक़्त सोने का मूल्य मालूम करे और पूरे माल की क़ीमत निकाले और जो रकम बनी उसका 2.5 प्रतिषत ज़कात निकाल दे। और चांदी के मामले में भी ऐसा ही करे

अब यदि किसी के पास नक़्द पैसा है जो उसे साहिबे निसाब बनाता है, और उसपर साल भी गुज़र जाए तो उसमें ज़कात वाजिब होगी।

यदि किसी के पास इतना रुपया पैसा हो जो 85 ग्राम सोने की क़ीमत के बराबर हो तो उसमें ज़कात वाजिब होगी और 2.5 प्रतिषत के हिसाब से ज़कात अदा करेगा।

अतएव मुसलमान के पास यदि माल हो और उसको एक साल गुज़र जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह सोना बेचने वाले के पास जाए और 85 ग्राम सोने की क़ीमत मालूम करे। यदि उसके पास इतनी रक़म मौजूद हो जितना कि सोनार ने बताया है, तो ज़कात देगा। लेकिन अगर कम है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसकी मिसाल यह है:

यदि किसी इंसान के पास 800 रियाल मौजूद हो और उसपर साल गुज़र जाए तो यदि उसके यहां चांदी को नक़्द का बदला माना जाता है, तो वह चांदी का मूल्य मालूम करेगा। अब यदि 595 ग्राम चांदी का मूल्य 840 रियाल हो तो उसपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्योंकि उसके पास जो माल है वह निसाब को नहीं पहुंचा है। इसी तरह से सोने के साथ किया जाए।

व्यापार के सामान पर ज़कात

जिस मुसलमान व्यापारी के पास धन दौलत हो, जिससे वह व्यापार कर रहा हो तो उसपर अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करने और अपने भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से साल में एक बार ज़कात देना वाजिब है

व्यापार के सामान में कुछ भी हो सकता है। जानवर, गल्ला, खाने पीने का सामान, आदि हर चीज़ शामिल है जिसे लाभ अर्जित करने के लिए बेचा और खरीदा जाता है

इस ज़कात की शर्त यह है कि सोने या चांदी में से किसी से क़ीमत लगाएं तो वह निसाब को पहुंच जाए। उसकी क़ीमत का 2.5 प्रतिषत देना वाजिब होगा।

अब यदि किसी इंसान के पास एक लाख रियाल की क़ीमत के बराबर व्यापार का सामान है तो उसपर 2500 रियाल ज़कात वाजिब होगी। व्यापारियों को चाहिए कि वह हर वर्ष के शुरुआत में उसके पास मौजूद व्यापार के सामान की क़ीमत का अनुमान लगायें और उसकी ज़कात अदा करें।

यदि किसी व्यापारी ने साल पूरा होने से दस दिन पहले कोई सामान खरीदा हो तो दूसरे सामानों के साथ उसमें भी ज़कात वाजिब होगी। क्योंकि व्यापार के पहले दिन से ही उसके साल की शुरुआत हो गयी थी।

ज़कात साल में एक बार वाजिब होती है। अतः हर मुसलमान को हर साल ज़कात अदा कर देनी चाहिए।

वह जानवर जिन्हें चारा खिलाया जाता है यदि उन्हें व्यापार के उद्देष्य से रखा गया हो तो उनपर ज़कात वाजिब होगी। चाहे वह संख्या की दृष्टि से निसाब को पहुंचा हो या न पहुंचा हो। जब उनकी क़ीमत ज़कात की हद को पार कर जायेगी तो उसमें ज़कात वाजिब हो जायेगी

शेयर्स की ज़कात

इस ज़माने में लोगों के पास शेयर्स की शक्ल में सम्पत्ति मौजूद है। कुछ लोग शेयर्स में पूंजी लगाते हैं जो कई वर्षों तक घटता बढ़ता रहता है। इस शेयर्स में भी ज़कात है, क्योंकि इसे भी व्यापार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस लिए लोगों को चाहिए कि हर साल उसकी क़ीमत को देखे और उसकी ज़कात अदा करे।

गल्लों और फलों की ज़कात

उन सभी अनाजों में ज़कात वाजिब है जिन्हें नापा जा सके और जमा किया जा सके। जैसे खजूर, किशमिश, गेहूं, जौ, चावल आदि। अलबत्ता फ़लों और सब्जियों पर ज़कात वाजिब नहीं है।

इन चीज़ों पर तब ज़कात वाजिब होता है जब वह निसाब को पहुंच जाएं। और उनका निसाब 612 किलो ग्राम है। इसमें साल गुज़रने की शर्त नहीं है। बल्कि जब फल पक जाए या अनाज तैयार हो जाए। अब यदि वह वर्षा के पानी से या नहर के पानी से सैराब हुआ हो और किसान का खर्च न हुआ हो तो उसमें दसवां हिस्सा वाजिब होगा।

लेकिन यदि सींचाई में खर्च हुआ हो तो उसमें बीसवां हिस्सा वाजिब है।

इसकी मिसाल यह है कि यदि किसी ने गेहूं की खेती की और उसे 800 किलो ग्राम गेहूं हुआ तो उसपर ज़कात वाजिब होगा। इसका कारण यह है कि गेहूं का निसाब 612 किलो ग्राम है।

यदि खेती बिना किसी तकलीफ़ और खर्च के सींची गयी हो तो उसमें उसे दसवां हिस्सा यानी 80 किलो ग्राम ज़कात वाजिब होगी, अन्यथा 40 किलो ग्राम देना होगा जबकि सींचाई में खर्च हुए हों।

चौपायों की ज़कात

चौपाया (जानवरों) से अभिप्रेत ऊंट, गाय, बकरी, और दुंबे हैं। उनमें निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़कात वाजिब होगी।

1. निसाब को पहुंच जाए। ऊंट का निसाब 5 है बकरी, दुंबे का चालीस और गाय की तीस है। इसके सिवा दूसरी चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं है।

2. मालिक के पास रहते हुए साल गुज़र जाए।

3. वह जानवर चरने वाला हो यानी साल के अधिकांष हिस्सों में मैदानों में चरता हो। अलबत्ता चारा या खरीदी हुई चीज़ों को खाने वाले जानवरों पर ज़कात वाजिब नहीं है

4. वह जानवर काम करने वाला न हो जिसे इंसान खेती के काम में या सामान ढोने के काममें लाता हो

ऊंट की ज़कात

ऊंट जब निसाब को पहुंच जाएं तो उनमें ज़कात वाजिब होगी और ऊंट का निसाब 5 ऊंट है। यदि किसी आदमी के पास पांच से नौ तक ऊंट हों और उनपर साल गुज़र जाए तो उसमें एक बकरी वाजिब होगी।

यदि उसके पास 10 से 14 तक ऊंट हों तो उस पर दो बकरियां वाजिब होंगी। अगर उसके पास 15 से 19 तक ऊंट हों तो उनमें 3 बकरियां वाजिब होंगी।

अगर उसके पास 20 से 24 तक ऊंट हों तो उनमें 4 बकरियां वाजिब होंगी। अगर उसके पास 25 से 35 तक हों तो उनमें ऊंट का एक साल का बच्चा वाजिब होगा। यदि उसके पास एक साल का बच्चा न हो तो वह दो साल तक का बच्चा दे सकता है।

यदि उसके पास 36 से 45 के बीच ऊंट हों तो उसे ऐसा ऊंट का बच्चा ज़कात में देना होगा जिसका दो साल पूरा हो चुका हो। यदि किसी के पास 46 से 60 के बीच ऊंट हों तो उसे तीन साल का ऊंट का बच्चा ज़कात में देना होगा। अगर उसके पास 60 से 75 ऊंट हों तो उसे चार साल का ऊंट ज़कात में देना होगा।

यदि उसके पास 76 से 90 ऊंट हों तो उसे दो साल के दो ऊंट के बच्चे ज़कात में देने होंगे। अगर उसके पास 91 से 120 ऊंट होंगे तो उसे तीन–तीन साल के दो ऊंट के बच्चे ज़कात में निकालने होंगे। और अगर उससे ज़्यादा हों तो हर चालीस पर दो साल का और हर पचास

पर तीन साल का ऊंट का बच्चा देना होगा। नीचे दिये गये नक्शे में ऊंट में वाजिब ज़कात की कैफ़ियत बतायी गयी है।

संख्या		ज़कात	संख्या		ज़कात
से	तक		से	तक	
5	9	एक बकरी	36	45	दो साल का ऊंट
10	14	दो बकरी	46	60	तीन साल का ऊंट
15	19	तीन बकरी	61	75	चार साल का ऊंट
20	24	चार बकरी	76	90	दो साल के दो ऊंट
25	35	एक साल के ऊंट का बच्चा	91	120	तीन साल के दो ऊंट

यदि इससे ज़्यादा हो तो फिर हर चालीस ऊंट में एक दो साल का ऊंट और हर पचास में एक तीन साल का ऊंट वाजिब होगा

गाय की ज़कात

यदि किसी व्यक्ति के पास 30 से 39 के बीच गायें हों तो उनमें एक साल का बछड़ा वाजिब होगा। यदि उसके पास 40 से 59 तक गायें हों तो उनमें दो साल की एक गाय

वाजिब होगी। यदि उसके पास 60 से 69 तक गायें हों तो उनमें एक–एक साल के दो बछड़े वाजिब होंगे। यदि उसके पास 70 से 79 के बीच गायें हों तो उसमें दो साल की एक गाय और एक साल का बछड़ा वाजिब होगा।

उसके के बाद हर तीस गायों पर एक साल का एक बछड़ा और हर चालीस गायों पर दो साल की एक गाय वाजिब होगी। गायों की संख्या जितनी भी ज़्यादा हो जाए, यही फार्मूला अपनाया जायेगा

संख्या		**ज़कात**
से	तक	
30	39	एक साल का एक बछड़ा
40	59	दो साल की एक गाय
60	69	एक साल के दो बछड़े
70	79	दो साल की एक गाय और एक साल का एक बछड़ा

बकरी की ज़कात

यदि किसी व्यक्ति के पास 40 से 120 के बीच बकरियां हों तो उसपर उनमें एक बकरी वाजिब होगी। यदि 121 से 200 तक हों तो उसमें दो बकरियां वाजिब होंगी। यदि उससे एक अधिक हों और 399 के बीच हों तो उसमें तीन बकरियां वाजिब होंगी। उसके बाद एक अधिक हों 499 तक तो उसमें चार बकरियां वाजिब होंगी। उसके बाद एक

भी अधिक हों 599 तक तो उसमें 5 बकरियां वाजिब। और फिर हर सौ में एक बकरी वाजिब होगी, चाहे बकरियों की संख्या जितनी भी पहुंच जाए

संख्या		ज़कात
से	तक	
40	120	एक बकरी
121	200	दो बकरियां
201	399	तीन बकरियां
400	499	चार बकरियां
500	599	पांच बकरियां

ज़कात किन को दिया जाए

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠]

यानी, ''सदक़े केवल फ़क़ीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनको वसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिल रिझाए जाते हैं। और गर्दन छुड़ाने में और कर्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह में और

मुसाफ़िरों के लिए फ़र्ज है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। (सूरह अल तौबा, आयत 60)

अल्लाह तआला ने आठ क़िस्म बयान किये हैं उनमें हरेक को ज़कात दिया जा सकता है। इस्लाम में ज़कात या तो सामाजिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता है या ज़रूरतमन्दों में बांटा जाता है। अन्य धर्मों या दीनों की तरह से यह केवल इस्लामी क़ानूनों के जानकार लोगों के लिए ही ख़ास नहीं हुआ करता है।

1. **फ़क़ीर**: जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें आधे से भी कम हों।

2. **मिस्कीन**: जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें आधे से ज़यादा हों, अलबत्ता उससे उसकी ज़रूरत पूरी न होती हो तो उसे ज़रूरत पूरी करने पर कुछ महीनों तक या एक साल तक ज़कात दी जायेगी।

3. **ज़कात वसूल करने वाले**: ये वे लोग हैं जिन्हें बादशाह ने ज़कात वसूली के लिए नियुक्त किया हो और ये लोग उस काम के लिए वेतन न लेते हों। तो उन्हें उनके काम के अनूसार जो उनकी शान के मुताबिक़ हो, उजरत दी जायेगी। यद्यपि वे लोग मालदार ही क्यों न हों।

4. **जिन का दिल नर्म (तालीफ़े क़ल्ब) करना हो**: इससे अभिप्रेत क़ौम के वैसे सरदार हैं जिनके इस्लाम स्वीकार करने की उम्मीद हो। या मुसलमानों को उनकी दुष्टता से सुरिक्षत करना हो। उसी तरह इस्लाम में नये दाख़िल होने वाले लोगों को भी तालीफ़े क़ल्ब के उद्देश्य से और उनके

दिलों को ईमान पर मज़बूत करने के मक़सद से ज़कात दी जा सकती है।

5. **गुलाम आज़ाद कराने के लिए**: इसी तरह गुलाम को आज़ाद कराने और दुशमनों के चंगुल से क़ैदियों को आज़ाद कराने में भी ज़कात का माल दिया जा सकता है।

6. **कर्ज़दारों को**: इससे अभिप्रेत वे लोग हैं जिनके ज़िम्मे क़र्ज़ हों तो कर्ज़ अदा करने के लिए उन्हें ज़कात दी जा सकती हैं। शर्त यह है कि कर्ज़दार मुसलमान हो और मालदार न हो और अपना कर्ज़ अदा करने का सामर्थ्य न रखता हो। उसने क़र्ज़ गुनाह के काम के लिए न लिया हो। और वह क़र्ज़ मौजूद वक़्त में हो।

7. **अल्लाह की राह में**: इससे अभिप्रेत सवाब की प्राप्ति के लिए जिहाद करने वाले लोग हैं जो वेतन नहीं मांगते तो उन्हें ज़कात दिया जायेगा। या उनके हथियार ख़रीदने के लिए ज़कात का माल खर्च किया जायेगा। जिहाद में इल्म की प्राप्ति भी शामिल है।

अतएव यदि कोई इंसान शरई ज्ञान की प्राप्ति के लिए फ़ारिग़ होना चाहता हो और उसके पास माल न हो तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जिस से वह इल्म हासिल कर सके।

8. **मुसाफिरों को**: इससे अभिप्रेत वह मुसाफिर है जिसका ज़ादेराह खत्म हो गया हो तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जायेगा जिस से वह अपने वतन पहुंच सके। यद्यपि वह अपने वतन में मालदार ही क्यों न हो।

ज़कात को मस्जिदों के निर्माण और रास्तों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

नोटः

1. समुद्र से निकलने वाली चीज़ों में जैसे मोती, मोंगे और मछली आदि में ज़कात वाजिब नहीं है। हां, यदि उनका व्यापार किया जाए तो ज़कात वाजिब हो जायेगी।

2. किराये पर दिये गये मकानों और फैक्ट्रियों आदि में ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता किराये पर यदि साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी।

मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति एक घर किराये पर दे और किराया वसूल करे और उस रक़म पर या उस रक़म के कुछ हिस्से पर एक साल गुज़र जाए तो यदि वह निसाब तक पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में उस पर ज़कात वाजिब होगी।

रोज़े के अहकाम

रमज़ान का रोज़ा रखना इस्लाम के बुनियादी रुक्नों में से एक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर क़ायम है।

''कलिमए–शहादत''लाइलाहाइल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 8, मुस्लिम 16)

अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के उद्देश्य से तुलु–ए–फ़ज्र से सूरज डूबने तक खाने, पीने, संभोग करने और उन तमाम चीज़ों से बाज़ रहने को रोज़ा कहते हैं। इस बात पर सभी सहमत हैं कि रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है क्यों कि अल्लाह तआला फ़रमाता है।

فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:١٨٥]

यानी, ''तुम में से जो कोई रमज़ान का महीना पा ले वह उसका रोज़ा रखे।

रोज़ा प्रत्येक व्यस्क, समझदार मुसलमान पर वाजिब है और इंसान व्यस्क उस समय होगा जब वह 15 साल का हो जाए या नाफ़ के नीचे बाल निकल आए। या एहतिलाम या मणि खारिज होने लगे। और महिलाओं के लिए यह भी एक शर्त है कि उसे माहवारी आने लगे। कोई व्यक्ति इन चीज़ों में से किसी एक से भी दो चार होगा तो मानो वह वयस्क है।

रमज़ान की फ़ज़ीलतें

अल्लाह तआला ने रमज़ान के महीने को बेपनाह फ़ज़ीलतों से नवाज़ा है जो दूसरे औक़ात में नहीं पायी जाती हैं। उनमें से कुछ फ़ज़ीलतें ये हैं:

1. फ़रिशते रोज़ेदारों के लिए बख़्शिश की दुआएं करते हैं, यहां तक कि वह इफ़्तार कर लें।

2. इस महीने में दुष्ट शैतान बेड़ियों में जकड़ दिये जाते हैं।

3. इस महीने में शबे क़द्र है, जो हज़ार रातों से बेहतर है।

इस महीने की फ़ज़ीलतों में ये भी शामिल हैं:

4. रमज़ान की आखिरी रातों में रोज़ेदारों को बख़्श दिया जाता है।

5. अल्लाह कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और यह सिलसिला रमज़ान की सभी रातों में चलता रहता है।

6. रमज़ान के महीने में उमरा का सवाब हज के बराबर हो जाता है।

इस महीने की फज़ीलतों में वह हदीस भी है जो अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

''जिसने रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 38, मुस्लिम 760)

और एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

इब्ने आदम के हर नेक अमल का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना हासिल होगा। अल्लाह कहता है ''सिवाय रोज़े के, क्योंकि बन्दा मेरे लिए रोज़ा रखता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 5927, मुस्लिम 1151)

रमज़ान का महीना

रमज़ानुल मुबारक के महीने की शुरुआत के लिए दो में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है।

1. रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखना। यदि रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिखायी दे दे तो रोज़ा रखना वाजिब होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

''जब तुम चाँद देखो तो रोज़ा रखो और उसे देखो तो रोज़ा तोड़ो। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 1900, मुस्लिम 1080)

रमज़ानु मुबारक के चाँद देखने के लिए एक आदिल गवाह ही काफ़ी है। अलबत्ता ईद के चाँद के लिए दो आदिल गवाहों का होना ज़रूरी है।

शाबान के महीने के तीस दिन पूरे होना। यदि शाबान का महीना पूरा हो गया तो अगला दिन रमज़ान का पहला

दिन होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है: فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

''यदि आसमान में बादल छा जाए तो तीस की संख्या पूरा करो। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 1907, मुस्लिम 1081)

रोज़ा छोड़ने की अनुमति

1. ऐसा बीमार व्यक्ति जिसके स्वस्थ होने की उम्मीद हो और उस पर रोज़ा रखना मुश्किल हो रहा हो तो उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है। अलबत्ता वह जितने दिनों का रोज़ा छोड़ेगा, बाद में उसकी क़ज़ा करेगा। जिस की बीमारी बराबर रहने वाली हो और उसके अच्छे होने की उम्मीद न हो तो उसपर रोज़ा ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता हर दिन के बदले डेढ़ किलो चावल या उस जैसी दूसरी चीज़ एक मिस्कीन को खिलाएगा। या ऐसा भी कर सकता है कि वह खाना बनाकर जितने दिनों का रोज़ा छोड़ा है, उतने मिस्कीनों को खाना खिला दे।

2. **मुसाफ़िर**: मुसाफिर जब अपने घर से निकलेगा, यदि रुकने और रहने की नीयत न हो, तो वापसी तक वह रोज़ा छोड़ सकता है।

3. यदि गर्भवती महिला हो, या दूध पिला रही हो, और उसे यह आषंका हो कि नुक़सान हो सकता है, तो उसके लिए रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। जब वजह समाप्त हो जाए तो जितने दिनों का रोज़ा छोड़ा है, उतने दिनों का क़ज़ा करेगी।

4. बूढ़े लोगों को, जो रोज़ा रखने का सामर्थ्य न रखते हों, रोज़ा छोड़ देने की अनुमति है। ऐसे व्यक्ति पर क़ज़ा भी वाजिब नहीं है बल्कि वह हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा।

जिनसे रोज़ा टूट जाता है

1. जान बूझ कर खाना और पीनाः भूल से खाने या पीने से रोजा नहीं टूटता है क्यों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

''जो रोज़े की हालत में भूलकर खा पी ले तो उसे चाहिए कि वह अपने रोज़े को पूरा करे (सही मुस्लिम 1155)

इसी तरह नाक के रास्ते पेट में पानी पहुंचे, या रग के द्वारा खाने के पदार्थों को लेने या खून चढ़ाने से रोज़ा टूट जायेगा, क्योंकि यह रोज़ेदार को खाना देने के समान है।

2. संभोगः जब रोज़ेदार संभोग करेगा तो उसका रोज़ा ख़राब हो जायेगा। और उस पर कफ़्फ़ारा के साथ क़ज़ा होगी। उसका कफ़्फ़ारा यह है कि एक गर्दन आज़ाद कराये। यदि उसकी शक्ति न हो तो लगातार दो महीनों के रोज़े रखे। और किसी शरई कारण, जैसे ईदैन और तशरीक़ के दिनों में, या बीमार हो जाए, या रोज़ा छोड़ने की नीयत के बिना किसी दूसरे कारण से इन दिनों में रोज़ा न छोड़े।

यदि बिना शरई उज़्र के एक दिन भी रोज़ा छोड़ेगा तो उसपर नये सिरे से रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाएगा ताकि सिलसिला बरक़रार रहे। यदि वह लगातार दो महीने का रोज़ा नहीं रख सकता है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए।

3. इंसान जानबूझ कर ऐसी हरकत करे, या चुम्बन आदि ले, जिसकी वजह से मणि निकल आए तो ऐसी स्थिति में रोज़ा ख़राब हो जाता है और कफ़्फ़ारा के बिना उसकी क़ज़ा वाजिब होगी, अलबत्ता केवल रतूबत ख़ारिज होने पर रोज़ा फ़ासिद नहीं होता।

4. इंजक्शन के ज़रिया रक्तदान करने से रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसी तरह नक्सीर, घाव या दांत गिरने की स्थिति में अनायास ही खून बहने लगे, तो रोज़ा ख़राब नहीं होगा

5. जानबूझ कर उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता यदि अकस्मात उल्टी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है

रोज़ा तोड़ने वाली उन चीज़ों से रोज़ेदार का रोज़ा, उसी स्थिति में टूटेगा जबकि उसने इनका इस्तेमाल जान बूझ कर किया हो। उसे याद हो और जानते बूझते अंजाम दिया हो

यदि वह इन चीज़ों के शरई आदेश से अवगत न हो, जैसे वह समझता हो कि फ़ज्र का समय नहीं हुआ है, या उसके विचार में सूरज डूब चुका है, आदि तो इन अवस्थाओं में रोज़ा नहीं टूटेगा

इसी तरह से उसे याद हो, यदि भूल गया हो तो उसका रोज़ा सही होगा

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ के इस्तेमाल के समय उसे अख्तियार हो, यदि उसे मजबूर किया गया हो तो उसका रोज़ा सही होगा। और उसपर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी।

6. रोज़ा को खराब करने वाली चीज़ों में माहवारी या नफ़ास (जन्म के समय के खून का निकलना) भी शामिल है। जब औरत खून देखेगी तो उसका रोज़ा टूट जायेगा। उसी तरह जब महिला माहवारी की अवस्था में हो तो उसपर रोज़ा रखना हराम है। अलबत्ता जितने दिनों का रोज़ा छोड़ा होगा, वह रमज़ान के बाद उतने दिनों की क़ज़ा करेगी।

जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

1. स्नान करने, या तैरने या पानी के ज़रिया गर्मी से बचने से

2. तुलू–ए–फ़ज्र से पहले खानेपीने या हमबिस्तरी करने से।

3. मिस्वाक करने से, दिन में किसी समय भी मिस्वाक किया जाए, उससे रोज़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यह मुस्तहब कामों में से एक है।

4. हलाल दवा के इस्तेमाल से, शर्त यह है कि उससे गिज़ा हासिल न होती हो। अतएव ऐसा इंजेक्शन लिया जा सकता है, जिसमें गिज़ाइयत न हो। कान या आँख में ड्राप भी डाला जा सकता है यद्यपि इंसान के हलक़ में दवा के मज़ा का एहसास न हो। अलबत्ता इफ़्तार के समय तक इन चीज़ों को टालना बेहतर है।

इसी तरह स्परे का इस्तेमाल भी जायज़ है। खाना चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। शर्त यह है कि इंसान के पेट में कुछ न पहुंचे।

उसी तरह कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में भी कोई हर्ज़ नहीं है। अलबत्ता इन चीज़ों में ज़्यादती नहीं करनी चाहिए ताकि कोई चीज़ इंसान के पेट तक न पहुंच जाए।

खुशबू इस्तेमाल करने और पाकीजा़ खुशबुओं को सूंघने में कोई हर्ज नहीं है।

5. माहवारी से गुज़र रही महिला का खून रात में बन्द हो जाए तो उनके लिए तुलू–ए–फज्र तक स्नान का टालते रहना जायज़ है। उसी तरह से जुनुबी का भी मसला है।

नोटः

1. यदि कोई काफिर रमज़ान के दिन में ईमान लाएगा तो वह उसे दिन का शेष हिस्सा खाने पीने और दूसरी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बाज़ रहेगा। और उसपर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी।

2. फ़र्ज़ रोज़ा और नफ़्ल रोज़ाः शव्वाल के 6 रोज़े अरफ़ा के दिन का रोज़ा, और आशूरा का रोज़ा रखने वालों के लिए यह ज़रूरी है कि वह तुलू–ए–फ़ज्र से पहले रात के किसी हिस्से में उसकी नीयत कर लें।

अलबत्ता मुतलक़ नफ़्ल रोज़ों जैसे हर महीने के तीन रोज़े, उनकी नीयत तुलू–ए–फ़ज्र के बाद दिन के कुछ हिस्से

गुज़रने पर भी की जा सकती है, शर्त यह है कि उससे पहले कुछ न खाया हो।

3. रोज़ेदार के लिए मुस्तहब है कि वह रोज़ा तोड़ने से पहले दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः ''रोज़ेदार की इफ़्तार के वक़्त की दुआ कदापि रद्द नहीं होती है। (सुनन इब्न माजा 1734) और इस बारे में दुआ आई है कि वह कहे **''जहबज्जमउ वब्तल्लतिल उरूक़ो व सबतल अज्र इनशा अल्लाह** 4. जिसे दिन के बीच रमज़ान शुरु होने की ख़बर मिले तो उस पर ज़रूरी है कि वह उस समय से खाना—पीना न खाए और उसकी क़ज़ा करे।

5. जिस व्यक्ति को रोज़ा क़ज़ा करना हो, उसे चाहिए कि ज़िम्मेदारी निभाने के उद्देश्य से उसे अदा करने में जल्दी करे। अलबत्ता इस ताल्लुक़ से देर करना भी जायज़ है और अपनी क़ज़ा को लगातार या अलग अलग भी अदा कर सकता है। अलबत्ता किसी उज्र के बिना दूसरे रमज़ान तक नहीं टाल सकता।

रोजा़ की सुन्नतें

सेहरी खानाः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

''सेहरी खाया करो, क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है। मुत्तफ़क़ अलैह, बुख़ारी 1923, मुस्लिम 1095)

इस ताल्लुक़ से सुन्नत यह है कि सेहरी को रात के अंतिम हिस्से में खाया जाए। क्योंकि हदीस में आया है

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخَّرُوا السُّحُورَ

''मेरी उम्मत उस वक़्त तक भलाई पर क़ायम रहेगी जब तक कि वह इफ़्तार में जल्दी और सेहरी में देर करती रहेगी। (सहीहुल जामे 2835)

2. जब सूरज डूब जाए तो इफ़्तार में जल्दी करना चाहिए और सुन्नत यह है कि रूतब खजूर से इफ़्तार करना चाहिए। यदि रूतब खजूर उपलब्ध न हो तो सूखे खजूर से, वह भी उपलब्ध न हो तो फिर पानी से और यदि उनमें से कोई न हो तो फिर जो उपलब्ध हो, उससे इफ़्तार करे

1. रोज़े में विषेश रुप से इफ़्तार के समय दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

''तीन तरह की दुआएं ऐसी हैं जो कुबूल की जाती हैं एक रोज़ेदार की दुआ, मज़लूम की बददुआ और तीसरी मुसाफ़िर की दुआ। (इसे बेहकी आदि ने उल्लेख किया है।)

रोज़ेदार को रमज़ान की रातों में तरावीह का एहतिमाम करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः

''مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ''जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान में कियाम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी 2009, मुस्लिम 759)

मुसलमान को इमाम के साथ पूरी तरावीह की नमाज़ पढ़नी चाहिए। इस लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

''जो इमाम की घर वापसी तक उसके साथ क़ियाम किया (यानी खड़ा होकर नमाज़ अदा की) तो उसके हक़ में पूरी रात क़ियाम का सवाब लिखा जायेगा। (इसे अहले सुनन ने रिवायत किया है।) इसी तरह से रमज़ान के महीने में इंसान को सदक़ा का अधिक से अधिक एहतिमाम करना चाहिए।

इसी तरह कसरत से कुरआन करीम की तिलावत करनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान का महीना कुरआन का महीना है और कुरआन पढ़ने वाले को हरेक अक्षर के बदले दस नेकी हासिल होती है और एक नेकी का बदला दस गुना मिलता है

तरावीह की नमाज़

रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ रात में नमाज़ पढ़ने (क़ियामुल्लैल) को तरावीह कहते हैं। उसका समय इशा के बाद से तुलू.ए फ़ज्र तक है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामे रमज़ान की ताकीद फ़रमायी है।

सुन्नत यह है कि इंसान ग्यारह रकअतें पढ़े और हर दो रकअतों के बाद सलाम फेरे। और यदि ग्यारह रकअतों से ज़्यादा पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। तरावीह की नमाज़ इत्मिनान और सुकून से पढ़नी चाहिए और इतनी लंबी क़िरअत (कुरआन पाठ) मुस्तहब है जो नमाज़ियों पर बार न हो। और यदि किसी फित्ने की आषंका न हो तो औरतों के तरावीह में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है। शर्त यह है कि पर्दे में हों और श्रृंगार का प्रदर्शन करती हुई खुशबू लगा कर न आएं।

नफ़्ली रोज़े

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निम्नलिखित दिनों के रोज़ों पर उभारा है:

1. शव्वाल के 6 रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो यह उसके लिए साल भर रोज़ा रहने की तरह से होंगे। (सही मुस्लिम 1164)

2. सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े।

3. हर महीने के तीन दिन के रोज़े यदि ये रोज़े अय्यामे बीज़ के रखे तो बेहतर होगा और अय्यामे बीज़ तेरहवें, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन को कहते हैं।

2. आशूरा, यानी दसवीं मुहर्रम के दिन। इस बारे में मुस्तहब यह है कि उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद

(यहूदियों की मुख़ालिफ़त में) रोज़ा रखा जाए। अबू क़तादा रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

आशूरा के रोज़ा के बारे में अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि उसके एक साल पहले का गुनाह माफ़ कर देगा। (सही मुस्लिम 1162)

3. अरफ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा: हदीस में आया है

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

अरफ़ा के दिन के रोज़ा के ताल्लुक़ से, अल्लाह से मेरी उम्मीद है कि वह उससे पहले और उसके बाद वाले साल होने वाली ग़लतियों को माफ़ फ़रमा देगा। (सही मुस्लिम 1162)

जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है

1. ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन।

2. अय्यामे तशरीक़ यानी ज़िल हिज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं तारीख़। अलबत्ता जो व्यक्ति हज्जे क़ेरान कर रहा होगा उसे इस हुक्म से छूट है। उसी तरह से हज्जे तमत्तो करने वाला भी जब उसे कुरबानी का जानवर उपलब्ध न हो।

3. हैज़ (माहवारी) और नफ़ास के दिनों में।

4 महिलाओं का पति की उपस्थिति में, उसकी अनुमति के बिना रोज़ा रखना। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमायाः

لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

कोई औरत रमज़ान के अलावा, अन्य दिनों में अपनी पति की मौजूदगी में उसकी अनुमति के बिना रोज़ा न रखे। (मुत्तफ़क़ अलैह, बुख़ारी 5192, मुस्लिम 1026)

हज के अहकाम

हज का हुक्म और उसकी श्रेष्ठता

हज हर मुसलमान मर्द व औरत पर उम्र में एक बार वाजिब है। यह इस्लाम के अर्कान में पांचवां रुक्न है। अल्लाह का इर्शाद हैः

وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا [آل عمران:٩٧]

''अल्लाह ने उन लोगों पर जो उसकी ओर राह पा सकते हों इस घर का हज फ़र्ज कर दिया है। (सूरह आले इमरान आयत 97)

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद हैः

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। (मुत्तफ़क़ अलैह 8, 16)

हज अल्लाह से करीब करने वाले श्रेष्ठ आमाल में से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है:

مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

जिसने अल्लाह के घर का हज किया और हज के दौरान गुनाह और फ़िस्क़ व फुजूर से बाज़ रहा तो वह गुनाहों से पाक व साफ होकर इस तरह वापस लौटा जैसे वह पैदाइश के दिन गुनाहों से पाक व साफ था। मुत्तफ़क़ अलैह 135 1819)

हज की शर्तें

हज की अदाएगी आक़िल व बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज है जबकि उसे हज करने की ताक़त भी हो, ताक़त से मुराद यह है कि उसके पास सवारी हो और सफ़र खर्च में से खाने पीने की चीज़ें और लिबास इतना उसके पास हो कि वह हज के सफ़र पर निकलने के बाद से लेकर वापसी तक उस पर गुज़ारा कर सके। और सफ़र के ये खर्च उन खर्चों से अधिक हों जो घर के लोगों और दूसरे क़रीबी लोगों के नाते उस पर अनिवार्य है। ताक़त होने में रास्ते का ठीक ठाक होना भी शामिल है और उसका सेहत मन्द होना भी इसमें दाखिल है अर्थात वह किसी तरह की

बीमारी या शरई मजबूरी का शिकार न हो जो हज की अदाएगी में रूकावट हो। औरतों के लिए इन शर्तों के अलावा उसके साथ महरम का होना भी शर्त है अर्थात औरत का पति या उसका कोई दूसरा महरम रिष्तेदार हज के सफ़र में उसके साथ हो।

यदि औरत इद्दत की हालत में है तो वह हज के लिए नहीं निकलेगी, इसलिए कि अल्लाह ने इद्दत गुज़ारने वाली औरत को घरों से निकलने के लिए मना किया है। जिस व्यक्ति के सामने इस तरह की कोई रुकावट हो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है।

हज के शिष्टाचार

1. हज करने वाला सफ़र हज पर निकलने से पहले हज व उमरा के अहकाम को अच्छी तरह समझ ले, चाहे पढ़कर हो या मसाइल मालूम करके हो।

2. सफ़र हज में अच्छे साथियों का साथ हासिल करने की कोशिश करे जो इस राह पर चलने में उसके लिए मददग़ार हों बेहतर यह है कि उसे किसी दीनी आलिम या तालिबे इल्म का साथ हासिल हो।

3. हज से अल्लाह तआला की खुशनूदी और उसकी समीपता मक़्सद हो।

4. बेकार की बातों से जुबान की हिफ़ाज़त करे।

5. अधिकता से ज़िक्र और दुआ में लगा रहे।

6. लोगों की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करे।

7. हज के सफ़र पर निकलने वाली महिला जिस्म ढांपने और पर्दा की पाबन्दी करे और मर्दों के साथ टकराव से बचे।

8. हज करने वाले के ज़ेहन में हर समय यह बात रहे कि वह इबादत की हालत में है न कि सैर सपाटे की हालत में। कुछ हज करने वालों (अल्लाह उन्हें हिदायत दे) को देखा गया है कि वे हज को सैर सपाटे का मौक़ा समझ लेते हैं और हज के दौरान बेकार के सांसारिक कामों में लगे रहते हैं जैसे कैमरे या मोबाइल से तस्वीरें खींचना या वीडियो ग्राफ़ी करना आदि।

एहराम

हज के कामों में दाखिल होने से पहले नीयत करने का नाम एहराम है हज व उमरा का इरादा करने वालों के लिए एहराम वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए मक्का से बाहर से आने वालों के लिए जो मवाक़ीत तै कर दिए हैं वहां से हज या उमरा का इरादा करने वाला अहराम बांधेगा। मक्का से बाहर विभिन्न सिम्तों में निम्न मक़ामात से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीक़ात क़रार दिया है।

1. ज़ुलहुलैफ़ाः यह मदीना के पास है एक छोटी सी बसती है जिसे इस ज़माने में अबयार अली कहा जाता है। यह मदीना वालों की मीक़ात है।

2. जुहफ़ाः यह राबिग के पास एक छोटी सी बस्ती है। आजकल लोग मक़ाम राबिग़ से अहराम बांधते हैं, यह शाम वालों की मीक़ात है।

3. क़र्नुल मनाज़िलः यह जगह ताइफ के पास है। यह नजद वालों की मीक़ात है। इसी तरह ताइफ़ में वादी महरम भी मीक़ात है।

4. यलमलमः यह जगह मक्का से 90 किलो मीटर की दूरी पर है। यह यमन वालों की मीक़ात है।

5. ज़ाते इर्क़ः यह इराक़ वालों की मीक़ात है।

ये मवाक़ीत उन लोगों के लिए हैं जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया और जो लोग भी हज या उमरा के इरादे से इन मक़ामात से गुज़रेंगे उनके लिए भी ये मीक़ात हैं। जो लोग मक्का में रह रहे हैं या जो लोग हरम की हुदूद से बाहर हिल के इलाक़े में रहते हैं वे हज के लिए अपने घरों से एहराम बांधेंगे।

एहराम से पहले इन कामों को अंजाम देना मसनून है

1. नाखुन काटना, बग़ल के बाल साफ़ करना, मूंछें काटना, नाफ़ के नीचे के बालों को साफ़ करना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना खुश्बू केवल जिस्म पर लगाई जाएगी, कपड़े पर नहीं लगाई जाएगी।

2. मर्द सिले हुए कपड़े उतार देंगे और इज़ार (तहबन्द) और चादर पहन लेंगे। औरत जिस्म को ढांपते हुए हर तरह का लिबास इस्तेमाल करेगी जिससे उसकी ज़ेबो जीनत ग़ैर मर्दों के सामने ज़ाहिर न हो। अजनबी मर्दों के सामने चेहरा और हथेलियों को छुपाने की कोशिश करेगी लेकिन मुस्तकिल तौर पर दस्ताने पहनने या चेहरों पर नक़ाब डालने से परहेज़ करेगी।

3. यदि नमाज़ का समय हो तो मस्जिद में जाकर जमाअत के साथ नमाज़ अदा करे। यदि फ़र्ज़ नमाज़ का समय न हो तो दो रकआत सुन्नत वुज़ु पढ़ने के बाद अहराम बांध ले।

हज की क़िस्में

हज की तीन क़िस्में हैं.

1. हज्जे तमत्तोअ़: अर्थात हज का इरादा रखने वाला हज के महीने में केवल उमरा का एहराम बांधे और उमरा करके फिर आठवीं ज़िल हिज्जा को अपने ठहरने की जगह से हज का एहराम बांधेगा लेकिन हज्जे तमत्तोअ़ करने वाला मीक़ात के मक़ाम से इस तरह लब्बैक कहेगा "लब्बैक उमरतन व हज्जन

(ऐ अल्लाह मैं उमरा व हज के लिए हाज़िर हूं।) हज कि इस किस्म मे एक कुर्बानी का जानवर जरुरी है यदी गाय या उँट हों तो उस मे सात आदमी शामिल हो सक्ते हैं

2. हज किरान: इसकी सूरत यह होगी की उमरा व हज करने वाला यौमुन्नहर (दसवीं ज़िल हिज्जा) तक निरंतर एहराम की हालत में रहे। यह हज आम तौर पर वे लोग करते हैं जो हज के असल दिन शुरु होने से बस कुछ वक्त पहले मक्का पहुंचते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे उमरा करके हलाल हो जाएं फिर हज का समय आए तो दोबारा एहराम बांधें या फिर वे लोग हज क़िरान करते हैं जो कुर्बानी का जानवर अपने साथ लेकर आए हों। हज की इस क़िस्म में भी एक कुर्बानी लाज़िम होती है।

3. हज इफ़रादः यह है कि कोई व्यक्ति केवल हज करने की नीयत करे और मीक़ात से एहराम बांध कर लब्बैक हज्जन ऐ अल्लाह! मैं हज के लिए हाज़िर हूं कहे। हज की इस किस्म में कुर्बानी लाज़िम नहीं है।

जब कोई व्यक्ति हवाई सफर कर रहा हो तो उसके लिए मीक़ात के क़रीब पहुंच कर एहराम बांधना वाजिब है। यदि उसके लिए मीक़ात की जगह का पता लगाना मुश्किल हो तो मीक़ात के आस पास पहुंचने से पहले ही एहराम बांध लेगा और एहराम के लिए ज़रूरी तमाम कामों को पहले ही अंजाम दे लेगा, जैसे सफ़ाई सुथराई खुश्बू का इस्तेमाल, नाखून तराशना, वह चाहे तो हवाई जहाज़ में बैठने से पहले एहराम के कपड़े पहन ले या फिर हवाई जहाज़ में बैठने के बाद मीक़ात या उसके आस पास पहुंचने से पहले एहराम के कपड़े पहन कर एहराम की नीयत कर ले।

एहराम का तरीक़ा

एहराम का तरीक़ा यह हैः

क. यदि हज करने वाला हज्जे तमत्तोअ़ का इरादा रखता है तो ''लब्बैक उमरतन मुतमत्तअन बिहा इलल हज ऐ अल्लाह! मैं उमरे के लिए हाज़िर हूं और इसके हज करुंगा कहे।

ख. यदि हज क़िरान का इरादा रखता है तो ''लब्बैक उमरतन व हज्जन ऐ अल्लाह! मैं उमरा व हज दोनों के लिए हाज़िर हूं कहे।

ग. यदि वह हज इफ़राद की नीयत रखता है तो ''लब्बैक हज्जन ऐ अल्लाह! मैं हज के लिए हाज़िर हूं कहे।

एहराम बांध लेने के बाद अल्लाह के घर का तवाफ़ शुरु करने तक तलबिया के कलिमात को दोहराते रहना सुन्नत है। तलबिया के कलिमात यह हैं

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक

एहराम के मनाफ़ी काम: एहराम से पहले जो चीज़ें उसके लिए जायज़ थीं अब एहराम बांधने के बाद उसके लिए हराम हो गयीं, इस लिए कि वह इबादत की हालत में दाखिल हो गया, अतः उसके लिए नीचे दी गयी चीज़ें हराम हो गयीं।

क. सर और जिस्म के अन्य हिस्सों के बालों को साफ़ करना। ज़रूरत हो तो धीरे से सर खुजलाने में कोई हरज नहीं है।

ख. नाखून तराशना, लेकिन यदि कोई नाखून टूट जाए और तकलीफ का सबब बन जाए तो उसे जिस्म से अलग करने में कोई हरज नहीं है।

ग. खुशबू का इस्तेमाल एहराम की हालत में खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता।

घ. मुबाशिरत और उसके निकट के काम जैसे निकाह करना, वासना की निगाह से देखना, मेलजोल और बोसा लेना आदि।

ड. दस्ताने पहनना।

च. शिकार करना।

एहराम की हालत में ये काम मर्द व औरत दोनों के लिए हराम हैं।

मर्दों के लिए ये चीज़ें भी हराम हैं:

1. सिले हुए कपड़े पहनना, लेकिन मुहरिम ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है जैसे घड़ी और चश्मा और इसी तरह की चीज़ें।

2. किसी ऐसी चीज से सर को ढांपना जो बदन से लगी हो। यदि वह चीज़ जिस्म से लगी न हो तो सर के ऊपर उसके रखने में कोई हरज नहीं है। जैसे छतरी, कार आदि।

3. पांव में मोज़े पहनना . यदि जूतियां न हों तो खुफ़ (चमड़े के मोज़े) पहन सकता है।

जिसने इन वर्जित चीज़ों में से किसी का इस्तेमाल किया उसकी तीन हालतें संभव हो सकती हैं।

1. या तो उसने बिना शरई मजबूरी के इनमें से किसी काम को किया होगा, ऐसी सूरत में वह गुनाहगार होगा, उस पर फ़िदया वाजिब है।

2. या तो उसने ज़रूरत के तहत इस तरह का कोई काम किया होगा, तो फिर वह गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन उस पर फ़िदया वाजिब होगा।

3. या फिर वह इस तरह का कोई अमल करने में मजबूर होगा अर्थात न जानने के कारण, या भूल कर किया होगा या उसे किसी ने ज़बर दस्ती कराया होगा तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है और न उस पर फ़िदया वाजिब है।

तवाफ़

मस्जिदे हराम के पास पहुंच कर मस्जिद में दाखिल होने के लिए दाएं पांव को आगे रखना और यह दुआ पढ़ना सुन्नत है।

बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्ला हुम्मग़फ़िरली जुनूबी वफ़तह ली अबवाब रहमतिक

यानी ''अल्लाह के नाम से शुरु करता हूं अल्लाह के रसूल पर रहमत व सलामती हो ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे

यह हुक्म तमाम मस्जिदों में दाखिल होने के लिए है। मस्जिदे हराम में दाखिल होने के बाद तवाफ़ के लिए सीधे बैतुल्लाह (खाना काबा) की तरफ़ चले जाए।

तवाफ़ः इससे मुराद अल्लाह की इबादत की नीयत से खाना काबा के चारों ओर सात बार चक्कर लगाना है। तवाफ़ करने वाले के लिए वुजू से होना वाजिब है। खाना

काबा को अपने बायीं तरफ़ रख कर हजरे असवद के पास से तवाफ़ शुरु किया जाएगा और वहीं पहुंचकर तवाफ़ खत्म होगा।

तवाफ़ करने का तरीक़ा

1. पहले हजरे असवद के पास जाकर उसे बोसा दे और बिस्मिल्लाह वल्लाहु अक्बर कहे। यदि संभव हो तो हजरे असवद को अपने दाएं हाथ से छूकर हाथ को बोसा देगा।यदि यह भी संभव न हो तो हजरे असवद के सामने होकर अपने दाएं हाथ से उसकी ओर इशारा करेगा और अल्लाहु अक्बर कहेगा लेकिन अपने हाथ को बोसा नहीं देगा। फिर काबा को अपनी बायीं तरफ रख कर तवाफ़ शुरु करेगा। तवाफ़ के दौरान अल्लाह से जो चाहे दुआ करता रहे या कुरआन की तिलावत करता रहे। हज करने वाला तवाफ़ के दौरान अपने लिए और अपने जानने वालों के लिए भलाई की जो दुआ कर सकता है करे और अपनी ज़बान में अपने पालनहार से दुआ मांग सकता है। तवाफ़ के दौरान की कोई खास दुआ नहीं है।

2. तवाफ़ करते हुए जब रुक्ने यमानी के पास पहुंचे तो यदि संभव हो तो दाएं हाथ से उस रुकने यमानी को छुए और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर कहे लेकिन अपने हाथ को बोसा न दे और यदि रुकने यमानी को हाथ से छूना संभव न हो तवाफ़ करते हुए आगे बढ़ता रहे और अपने हाथ से रुकने यमानी की ओर ना इशारा करे और ना अल्लाहु अक्बर कहे। बल्कि रुकने यमानी और हजरे असवद के बीच यह दुआ पढ़ेः

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:٢٠١]

"रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतंव वफ़िल आखिरति हसनतवं वक़िना अजाबन्नार यानी "ऐ अल्लाह! तू दुनिया व आखिरत में भलाई प्रदान कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा

3. जब तवाफ़ करते हुए हजरे असवद के पास पहुंचे तो हो सके तो हाथ से उसे छुए और यदि यह न हो सके तो हाथ से उसकी ओर इशारा करे और अल्लाहु अक्बर कहे।

इस प्रकार उसने तवाफ़ का एक चक्कर पूरा किया।

4. तवाफ़ के बाक़ी चक्करों को भी वह इसी तरह से पूरा करेगा। हर बार हजरे असवद के पास से गुज़रते हुए अल्लाहु अक्बर कहेगा और इसी तरह सातवें चक्कर के खात्में पर भी अल्लाहु अक्बर कहेगा। तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में रमल करना भी मसनून है और बाक़ी चक्करों में आम तरीक़े के मुताबिक़ चलेगा। रमल एक खास अन्दाज़ की चाल है जिसमें क़रीब क़रीब क़दम रखते हुए तेज़ी के साथ चला जाता है। पहली बार तवाफ़ करने वाले के लिए इन तमाम चक्करों में इज्तिबाअ़ भी मसनून है और इज्तिबाअ़ यह है कि चादर को दाएं मूंढे के नीचे रखकर चादर के दोनों किनारों को बायीं कंधे पर डाल दिया जाए। रमल और इज्तिबाअ़ उन हाजियों और उमरा करने वालों के लिए है जो मक्का पहुंचकर पहली बार तवाफ़ करते हैं अर्थात हज और उमरा करने वाले लोग जब भी

मक्का पहुंचेंगे वो अपने पहले तवाफ़ में रमल व इज्तिबाअ़ करेंगे, यह सुन्नत है।

तवाफ़ के बाद मक़ामे इबराहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, इस तरह कि मक़ामे इबराहीम उसके और काबा के बीच में हो। नमाज़ से पहले अपनी चादर को अपने कन्धे पर डाल कर उसके किनारे को सीने पर रख लेगा। पहली रकअत में सूरह फ़ातिहा और सूरह काफ़िरून और दूसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इख्लास पढ़ेगा। यदि भीड़ की वजह से मक़ामे इबराहीम के पीछे नमाज़ पढ़ना संभव न हो तो मस्जिदे हराम में कहीं पर भी ये दो रकअत नमाज़ अदा कर सकता है।

सअ़ी

इसके बाद सअ़ी करने की जगह का रुख करेगा और पहले सफ़ा पहाड़ी की ओर जाएगा। सफ़ा के निकट पहुंचकर यह आयत तिलावत करेगाः

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨]

''इन्नस्सफ़ा वलमरवता मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैता अ विअतमर फ़ला जुनाहा अलैहि अयं यत्तव्व फ़ बिहिमा व मन ततव्व अ ख़ैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम (सूरह अल बक़रा आयत 158)

यानी ''सफ़ा व मरवह अल्लाह की निशानियों में से हैं इस लिए बैतुल्लाह का हज व उमरा करने वाले पर उनका

तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह क़दर दान है और उन्हें खूब जानने वाला है। सई करने के लिए पहले सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ेगा यहां तक कि उसे काबा नज़र आने लगे, फिर वह काबा की ओर रुख़ करेगा, अपने दोनों हाथों को उठाएगा, अल्लाह की प्रशंसा बयान करेगा, और जो चाहे दुआएं करेगा। फिर ये कलिमात अपनी ज़बान से अदा करेगा:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

''लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वाअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु

यानि ''अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, उसकी हुकूमत है उसी के लिए हर तरह की प्रशंसा है। वही मारता है, वही ज़िन्दा करता है वही हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह अकेला है उसने अपना वाअदा पूरा कर दिया, उसने अपने बन्दे की मदद की और दुश्मनों की जमाअतों को अकेला पराजय से दोचार किया

फिर वह देर तक दुआ में व्यस्त रहेगा और इसी अमल को तीन बार दोहराएगा।

उसके बाद वह चलते हुए मर्वह की पहाड़ी की ओर जाएगा। सब्ज़ निशान के पास पहुंच कर मर्दों के लिए ताक़त भर तेज चलना मसनून है, यहां तक कि वह दूसरे निशान के पास पहुंच जाए। शर्त यह है कि उसके तेज़ चलने से किसी को तकलीफ न हो (तेज़ चलना मर्दों के साथ खास है। यह हुक्म औरतों के लिए नहीं है) मर्वह पहाड़ी पर पहुंचकर ऊपर चढ़ जाए। क़िब्ला की ओर रुख़ कर ले, दोनों हाथों को उठाए, वही कुछ पढ़े जो उसने सफ़ा पहाड़ी पर पढ़ा है। इस प्रकार उसने सआी का एक चक्कर पूरा कर लिया। दुआ के बाद वह मर्वह पहाड़ी से उतर कर सफ़ा का रुख़ करेगा और पहले चक्कर में जो कुछ किया है उसी अमल को अंजाम देगा। सआी के दौरान अधिकता से दुआ करना मसनून है।

यदि हज करने वाला तमत्तोअ़ कर रहा हो तो वह सआी से निमटने के बाद सर के बाल साफ़ करा के उमरा से फ़ारिग़ हो जाएगा, अपने मामूल के कपड़े पहन लेगा और एहराम की हालत से बाहर आ जाएगा। आठवीं ज़िल हिज्जा के दिन वह ज़ोहर की नमाज़ से पहले अपने निवास स्थल से हज के लिए एहराम बांधेगा और हर उस अमल को दोहराएगा जो उसने उमरा का एहराम बांधते समय अंजाम दिया था। फिर हज की नीयत करते हुए ये कलिमात अदा करेगा

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

लब्बैक हज्जन, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेअमत लक वल मुल्कु ला शरीक लक यानी ''ऐ अल्लाह! मैं हज के लिए हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई साझी नहीं है मैं हाजिर हूं, बेशक प्रशंसा, नेमतें और हुकूमत तेरी ही है तेरा कोई साझी नहीं है

इसके बाद ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़जर की नमाज़ें मिना मे क़स्र अदा करेगा।

ज़िल हिज्जा की आठवीं तारीख़ के आमाल

इस दिन हज करने वाले लोग मिना पहुंचते हैं और वहां ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ें अदा करते हैं। इन में से जो नमाज़ चार रकआत की हैं उन्हें क़स्र करके दो रकआत पढ़ते हैं।

ज़िल हिज्जा की नवीं तारीख़ (यौमे अरफ़ा)

इस दिन हाजियों के लिए नीचे दिए गए आमाल मशरूअ हैं:

1. सूरज निकलने के बाद हाजी मक़ामे अरफ़ा पहुंचते हैं और सूरज डूबने तक वहीं रहते हैं। वहां मैदाने अरफा में ज़वाले आफ़ताब के बाद ज़ोहर व अस्र की नमाजें एक साथ क़स्र करके पढ़ते हैं फिर नमाज़ अदा करने के बाद जिक्र, दुआ व तलबिया पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। क़यामे अरफ़ा के दौरान अधिकता से दुआ करना और अल्लाह के सामने रोना गिड़ गिड़ाना मसनून है। इस दौरान अपने लिए और मुसलमानों के लिए अल्लाह से खैर व भलाई की दुआ करनी चाहिए। यहां पर दुआ के समय हाथ उठाना मुसतहब है। वकूफ़े अरफा हज का एक अहम रुक्न है

जिसने अरफ़ा में वक़ूफ़ नहीं किया उसका हज नहीं हुआ। अरफ़ा में वक़ूफ़ का समय नवीं ज़िल हिज्जा को सूरज उदय हाने से लेकर दसवीं ज़िल हिज्जा की सुबह सादिक़ तक है। जिसने इस मुद्दत के दौरान दिन में या रात में किसी भी समय कुछ देर तक अरफ़ा में क़याम किया उसका हज मुकम्मल हो गया। हज करने वाले के लिए इस बात का यक़ीन हासिल कर लेना ज़रूरी है कि वह वक़ूफ़ के समय अरफ़ा की सीमा में दाखिल था।

2. यौमे अरफ़ा को सूरज डूब जाने के बाद हाजी दिल के सकून, वक़ार और ताज़ा दम के साथ मुज़दलफ़ा के लिए चलेंगे और रास्ते में ऊंची आवाज़ से तलबिया पढ़ते रहेंगे।

मुज़दलफ़ा में: मुज़दलफ़ा पहुंचने के बाद हर काम से पहले मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ जमा करके पढ़ेंगे। इशा की नमाज़ दो रकअत क़स्र अदा की जाएगी। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद ही लोग खाने का आयोजन करने या किसी अन्य ज़रूरी काम में लग जाएंगे। इस रात को खाने आदि से निकल कर जल्द ही सोना बेहतर है ताकि फ़ज्र की नमाज़ के लिए चुस्त फुर्त होकर जाग सकें।

ज़िल हिज्जा की दसवीं तारीख़ (ईद का दिन)

1. फ़ज्र की नमाज़ समय पर अदा करे, फिर अपनी जगह पर बैठा रहे। अधिकता के साथ ज़िक्र व दुआ में व्यस्त रहे, यहां तक कि खूब अच्छी तरह उजाला फैल जाए।

2. चने के बराबर सात छोटी कंकरियां ले ले और सूरज उदय होने से पहले तलबिया पढ़ते हुए मिना की तरफ़ जाए।

3. निरंतर तलबिया पढ़ता रहे, यहां तक कि जमरा उक़बा (बड़े शैतान) के पास पहुंच जाए। जमरा उक़बा पर एक एक करके सातों कंकरियां मारे और हर बार अल्लाहु अक्बर कहे।

4. कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करे, चाहे व मुतमत्तोअ हो या क़िरान उसके लिए मुसतहब यह है कि वह उस कुर्बानी के गोश्त को स्वयं खाए, दोस्तों को तोहफ़ा के तौर पर दे और सदक़ा करे।

5. कुर्बानी करने के बाद या तो पूरे सर के बाल साफ़ करा दे या पूरे सर के बाल छोटे करा दे। सर के बाल साफ़ करा देना अफ़ज़ल है औरतें हर चोटी से एक उंगली के बराबर बाल छोटा करा लें।

इसके बाद एहराम की वजह से लगी कुछ पाबन्दियां खत्म हो जाएंगी, जैसे लिबास, खुश्बू, नाखून तराशने और जिस्म के बाल साफ़ करने या काटने की पाबन्दी, अलबत्ता निकाह और मुबाशरत पर पाबन्दी बराबर रहेगी, यहां तक कि वह बैतुल्लाह के तवाफ़ से फ़ारिग़ हो जाए। उसके बाद उसके लिए गुस्ल, सफ़ाई सुथराई, खुश्बू का इस्तेमाल और अपनी सुविधा के कपड़े पहनना मुसतहब है।

6. उसके बाद हज के तवाफ़ (तवाफ़े इज़ाफ़ा) की अदाएगी के लिए मस्जिद हराम जाएगा। वहां काबा का सात बार तवाफ़ करेगा और तवाफ़ के बाद दो रकअत नमाज़ अदा करेगा। फिर यदि वह हज तमत्तोअ करने वाला है तो तवाफ़ के बाद सअी के मक़ाम पर जाएगा और सफ़ा व मर्वह के बीच सात बार सअी भी करेगा।

और यदि वह हज क़िरान करने वाला है या केवल हज करने वाला है तो वह दो बार सऔी नहीं करेगा इसलिए कि उसने पहली बार के तवाफ़ (तवाफ़े कुदूम) के साथ सऔी कर ली है अतः अब दो बारा उसके लिए सऔी ज़रूरी नहीं है इसलिए कि उसने पहली बार जो सऔी की वही हज की सऔी थी। लेकिन यदि उसने पहली बार के तवाफ़ के बाद सऔी नहीं की है तो उसके लिए सऔी अनिवार्य है।

इस सऔी के बाद एहराम की वजह से लगी सारी पाबन्दियां खत्म हो जाएंगी। अब उसके लिए हर चीज़ हलाल हो जाएगी जो एहराम की वजह से हराम हो गयी थी।

7. हाजी के लिए ग्यारहवीं ज़िल हिज्जा, बारहवीं ज़िल हिज्जा और जो देरी से वापसी का इरादा रखता हो, उसके लिए तेरहवीं ज़िल हिज्जा की रात मिना में गुजारना ज़रूरी है, मिना में रात गुजारने का मतलब यह है कि हज करने वाला रात का अधिकांश हिस्सा मिना में गुज़ारे।

हज के आमाल में तर्तीब बतायी गयी है कि पहले रमी करेगा फिर कुर्बानी करेगा, फिर बाल साफ़ कराएगा, फिर तवाफ़ करेगा। इस तर्तीब से इन आमाल को अंजाम देना सुन्नत है। यदि उसने इन में से एक को दूसरे पर मुक़द्दम कर दिया तब भी कोई हरज नहीं है।

ग्यारहवीं ज़िल हिज्जा: इस दिन हाजी के लिए जमरा पर कंकरियां मारना ज़रूरी है। कंकरियां मारने का अमल सूरज के ज़वाल के बाद शुरु होगा। उस दिन ज़वाल से पहले कंकरियां मारना जायज़ नहीं है। यह सिलसिला

अगले दिन के सुबह सादिक़ तक चलता रहेगा। सबसे पहले जमरा सुग़रा (छोटे शैतान) पर कंकरियां मारेगा, फिर जमरा वुसता (बीच के शैतान) पर, उसके बाद जमरा कुबरा (बड़े शैतान) पर कंकरियां मारेगा। यह अमल ज़वाल आफ़ताब के बाद किसी भी समय अंजाम दिया जा सकता है।

कंकरियां मारने का तरीक़ा यह है किः

1. पहले छोटी छोटी इक्कीस कंकरियां ले ले, फिर छोटे जमरा के पास जाकर सात कंकरियां मारे, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे। कोशिश करे कि कंकरियां हौज़ में गिरें। कंकरियां एक एक करके मारी जाएं। यहां कंकरियां मारने के बाद सुन्नत यह है कि दायीं ओर हट कर ठहर जाएं और देर तक दुआ करें।

2. उसके बाद बीच के शैतान के पास जाए और वहां पर एक एक करके सात कंकरियां मारे हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे उसके बाद सुन्नत यह है कि बायीं ओर हट कर ठहर जाए और देर तक दुआ करे।

3. फिर बड़े शैतान के पास जाए और वहां भी सात कंकरियां मारे। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहे। फिर वहां ठहरे बिना आगे बढ़ जाए।

बारहवीं ज़िल हिज्जाः

1. हाजी ने जो कुछ अमल 11वीं जिल हिज्जा को किया है उसी को 12वीं तारीख़ को भी दोहराएगा। यदि हाजी देर से वापसी का इरादा रखता है और तेरहवीं ज़िल हिज्जा को भी वहां क़याम करता है जो कि अफ़ज़ल भी है

तो वह तेरहवीं तारीख़ को भी वे तमाम आमाल को दोहराएगा जो उसने 11वीं और 12वीं तारीख़ को किया है।

2. बारहवीं और तेरहवीं को रमी से फ़ारिग़ हो जाने के बाद हाजी बैतुल्लाह के विदाई तवाफ़ (तवाफ़े रुखसत) के लिए जाएगा और ख़ाना काबा के सात बार चक्कर लगाएगा। उसके बाद सुन्नत यह है कि यदि संभव हो तो मक़ामे इबराहीम के पीछे वर्ना मस्जिदे हराम में जहां जगह मिले वहां दो रकआत नमाज़ अदा करे। हैज़ व निफ़ास वाली औरत पर यह तवाफे रुख़सत नही है।

हाजियों के लिए तवाफ़े इज़ाफ़ा बारहवीं या तेरहवीं तारीख तक टालना जायज है। ऐसी सूरत में बारहवीं या तेरहवीं तारीख़ को तवाफ़े इफ़ाजा ही उनके लिए काफी होगा। इसके बाद अलग से तवाफ़े विदाअ की ज़रूरत नहीं होगी। यदि उसने आज के दिन तक तवाफ़े इफ़ाजा को टाला है तो यह उसके लिए जायज़ है। फिर तवाफ़े इफ़ाजा की नीयत करके आखिरी तवाफ़ करेगा। तवाफ़ विदाअ की नीयत नहीं करेगा।

3. इसके बाद हाजी के लिए ज़रूरी है कि वह दूसरी चीज़ों में व्यस्त न हो बल्कि वह जिक्र, दुआ और अच्छी बातों को सुनने में समय लगाते हुए मक्का से निकल जाए।

इसी तवाफ़ के बाद थोडें समय के क़याम में कोई हरज नहीं है जिसमें वह अपने साथियों का इन्तिजार कर सकता है, दूसरे ज़रूरी कामों को अंजाम दे सकता है और रास्ते के लिए ज़रूरी सामान खरीद सकता है।

हज के अर्कान

हज के चार अर्कान हैं:

1. एहराम बांधना

2. मैदाने अरफ़ा में वक़ूफ़ करना

3. तवाफ़े इफ़ाज़ा (ईद के दिन का तवाफ)

4. सफ़ा व मर्वह के बीच की सई

यदि किसी ने इनमें से एक रुक्न को भी छोड़ दिया तो उस का हज अदा नहीं होगा।

हज के वाजिबात

1. मीक़ात से अहराम बांधना

2. अरफ़ा में दिन भर वक़ूफ़ करने वाले के लिए सूरज डूब जाने तक वक़ूफ़ करना

3. मुज़दलफा में फ़ज्र के समय तक रात गुज़ारना, यहां तक कि अच्छी तरह उजाला फैल जाए। कमज़ोर लोगों, औरतों के लिए जायज़ है कि वे आधी रात के बाद मुजदलफ़ा से वापस हो सकते हैं।

4. तशरीक़ की रातों में मिना में रात गुज़ारना।

5. अय्यामे तशरीक़ में रमी जमार करना (कंकरियां मारना)

6. सर के बाल साफ़ कराना या बाल छोटे कराना।

7. तवाफ़े विदाअ करना।

यदि किसी ने इन वाजिबाते हज में से किसी एक को छोड़ दिया तो उस पर दम देना वाजिब है। इसके लिए वे या तो एक बकरी ज़बह करे या गाय या ऊंट में से एक हिस्सा ले और गोश्त को हरम के फ़कीरों को बांट दे।

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत

नमाज़ पढ़ने की नीयत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत मुसतहब है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि मस्जिदे नबवी में अदा की गयी एक नमाज़ मस्जिद हराम के अलावा अन्य मस्जिदों में अदा की गयी एक हजार नमाज़ों से अफ़ज़ल है। साल में किसी भी समय मस्जिदे नबवी की ज़ियारत मशरूअ है। इसके लिए कोई खास समय मुक़र्रर नहीं है और न ही मस्जिदे नबवी की ज़ियारत हज का हिस्सा है। एक मुसलमान के लिए यह मुसतहब है कि वह मस्जिदे नबवी में क़याम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों सहाबा अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु व उमर रजियल्लाहु अन्हु की क़ब्रों की ज़ियारत करता रहे। क़ब्रों की यह ज़ियारत केवल मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। क़ब्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले के लिए हुजरा–ए–नबवी की किसी चीज़ को छूना या उसका तवाफ़ करना या दुआ के समय उसकी ओर रुख़ करना जायज़ नहीं है।

खाने पीने के अहकाम

अल्लाह ने अपने बन्दों को पवित्र चीज़ों को खाने का हुक्म दिया है और अपवित्र चीज़ों को खाने से मना किया है। अल्लाह का इर्शाद हैः

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:١٧٢]

''ऐ ईमान वालो! जो पवित्र चीज़ें हम ने तुम्हें दे रेखी हैं उन्हें खाओ पियो (सूरह अल बक़रा आयत 172)

खाने पीने की चीज़ों में असल हिल्लत है अर्थात कुछ चीज़ों को छोड़ कर जिनकी हुर्मत बयान कर दी गयी है बाक़ी चीज़ें हलाल हैं। अल्लाह ने मोमिनों के लिए पवित्र चीज़ों को हलाल किया है ताकि वे उन से लाभ उठाएं अतः गुनाह करके अल्लाह की नेमतों से लाभ उठाना जायज़ नहीं है।

अल्लाह ने खाने पीने की हराम चीज़ों को बयान कर दिया है। अल्लाह का इर्शाद हैः

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:١١٩]

''अल्लाह ने उन सब जानवरों का विस्तार से ज़िक्र कर दिया है जिनको तुम पर हराम किया है मगर वे भी जब तुम को सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। (सूरह अल अनआम आयत 119)

अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम नहीं क़रार दिया है वे हलाल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

अल्लाह ने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं तुम उन्हें बर्बाद न करो। उसने कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी हैं तुम उन सीमाओं से आगे न बढ़ो। उसने कुछ चीज़ों को हराम ठहरा दिया है तुम उनका उल्लंघन न करो, उसने तुम्हारी हमदर्दी में भूले बिना कुछ चीज़ों के बारे में खामोशी अख्तियार की है, तुम उनके बारे में खोद कुरेद न करो। (तबरानी)

हर वह चीज़ जिसका तअल्लुक़ खाने पीने और पहनने ओढ़ने से है और जिसकी हुरमत को अल्लाह ने और उसके रसूल ने स्पष्ट नहीं किया है उसे हराम ठहरा देना जायज़ नहीं है। इस सिलसिले में पूर्ण रूप से क़ायदा यह है कि खाने की वह चीज़ जो पवित्र हो और उसमें कोई हानि न हो वह जायज़ है और खाने की हर वह चीज़ जो अपवित्र हो हानिकारक हो जैसे मुर्दार, खून, शराब, बीड़ी सिगरेट, वह चीज़ जिसमें नापाकी मिल गयी हो, ये सब हराम हैं। इस लिए कि ये खबीस और हानिकारक चीजें हैं।

हराम मुर्दार से मुराद वह जानवर है जो शरअी तौर पर ज़बह किए बिना मर गया हो, खून, से मुराद ज़बीह का बहने वाला खून है। वह खून जो ज़बह करने के बाद गोश्त के खलियों और रगों में बाक़ी रह जाए वह हलाल है।

खाने की मुबाह व जायज़ चीज़ें दो तरह की हैं। एक हैवानात, दूसरी नबातात (बनस्पति)। इनमें से वे चीज़ें

हलाल हैं जिनका कोई नुक़सान नहीं है। हैवानात दो तरह के हैं एक जो ज़मीन के ऊपर खुश्की में रहते हैं और दूसरे वे जो पानी में रहते हैं। जो जानवर समुद्र में या कहीं भी पानी के अन्दर रहते हों वह पूरे तौर पर हलाल हैं। इन पानी के जानवरों के लिए ज़बह करने की भी शर्त नहीं है क्योंकि पानी के जानवरों में से मुर्दार भी जायज़ हैं। खुश्की में रहने वाले जानवर आम तौर पर मुबाह हैं सिवाए उनके जिन्हें इस्लाम ने हराम ठहरा दिया है और वे यह हैं:

1. पालतू गधे, और सुअर

2. वे जानवर जिनके खाने के नोकीले दांत हों जिनसे वह शिकार को फाड़ खाता है इससे गोह मुस्तस़ना है। परिन्दे आम तौर पर मुबाह हैं सिवाए उनके जिनकी हुर्मत को स्पष्ट कर दिया गया है जैसे:

क. वे परिन्दे जो पंजों से शिकार करते हैं। इब्ने अब्बास रजि0 की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नोकीले दांत वाले दरिन्दे और पंजे से शिकार करने वाले परिन्दों को खाने से मना किया है। (सही मुस्लिम 1934)

ख. वे परिन्दे जो मुर्दार खाते हैं जैसे गिद्ध, और कव्वा, क्योंकि ये दोनों खबीस चीज़ों को अपनी खूराक बनाते हैं।

वे जानवर भी हराम हैं जिनसे घिन महसूस होती है जैसे सांप, चूहा और कीड़े मकोड़े। इनके अलावा जो भी जानवर और परिन्दे हैं वे हलाल हैं जैसे घोड़ा, चौपाए, मुर्गी, जंगली गधा, हिरन, शुतुर मुर्ग और खरगोश आदि।

इससे गन्दगी खाने वाली गाय मुस्तस़्ना है क्योंकि इस की ख़ुराक का ज़्यादा तर हिस्सा नापाकी है। इसे खाना हराम है हां अलबत्ता यदि उसे तीन दिनों तक बांध कर रखा जाए और पाक साफ़ चीज़ खाने को दी जाए तो उसे खाना जायज़ है।

नमाज़ के लिए मस्जिद जाने से पहले बदबूदार चीज़ें जैसे प्याज़ लहसुन आदि को खाना मकरूह है। जो व्यक्ति हराम खाने के लिए मजबूर हो जाए जैसे यदि वह उस हराम चीज़ को नहीं खाता है तो उसे जान जाने का डर हो तो केवल जान बचाने की हद तक उसके लिए उस हराम चीज़ को खाना जायज़ है लेकिन ज़हर इससे मुस्तस़्ना है अर्थात किसी भी हाल में ज़हर खाना जायज़ नहीं है।

किसी का गुज़र बाग के फलों के पास से हो, वे फल चाहे पेड़ पर लगे हुए हों या गिरे हुए हों और उसके आस पास दीवार न हो और न कोई चौकीदार या हिफाज़त के लिए कोई इन्सान हो तो उस गुज़रने वाले के लिए उस फल में से खाना जायज़ है लेकिन अपने साथ उन फलों को ले जाना जायज़ नहीं है। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना या कोई पत्थर आदि फेंक कर फल को तोड़ना या इकट्ठा किए हुए फलों में से खाना जायज़ नहीं है, हां अलबत्ता सख़्त ज़रूरत हो तो खा सकता है।

ज़बह के अहकाम

खुश्की में रहने वाले जानवरों के हलाल होने के लिए शर्त यह है कि उसे शरअी तरीक़े से ज़बह किया जाए। इसके लिए खुश्की में रहने वाले उन जानवरों को जिनका गोश्त

खाया जाता है ज़बह करने के लिए उनकी गर्दन और खूराक की नली को काट दिया जाता है और जिस जानवर के साथ ऐसा संभव न हो उसकी कोंचें काट दी जाती हैं।

जिस हैवान को ज़बह करने पर कुदरत हासिल हो उसे ज़बह किए बिना उसका कोई भी हिस्सा हलाल नहीं है इस लिए कि बिना ज़बह हुआ जानवर मुर्दार के हुक्म में रहता है।

ज़बह करने की शर्तें

1. ज़बह करने वाले इस काम के लिए योग्य हो अर्थात यह कि वह आक़िल व मुसलमान या आक़िल और किताब वालों में से हो। अतएव पागल, नशा की वजह से मदहोश और छोटे बच्चे जो समझ ना रखते हों का ज़बह किया हुआ जानवर जायज़ नहीं होगा, इस लिए कि ये लोग होश व हवास और अक़्ल से महरूम होने की वजह से ज़बह की नीयत व इरादा भी सही तौर पर नहीं कर सकते। इसी तरह काफ़िर, मूर्ति पूजक, मजूसी और क़ब्र परस्त का ज़बीहा भी जायज़ नहीं है।

2. ज़बह करने के आले (यंत्र) का मौजूद होना। हर प्रकार के तेज़ धार वाले हथियार से जानवर को ज़बह करना जायज़ है जिससे जानवर का खून बह जाए चाहे वह हथियार लोहे का हो या किसी दूसरी चीज़ का हो, हां अलबत्ता हड्डी या नाखून से जानवर को ज़बह करना जायज़ नहीं है।

3. गर्दन को काटनाः इससे मुराद सांस की गुजरगाह है। ज़बह करते समय गर्दन के साथ खूराक की नाली और दो शह रगों को काटना भी ज़रूरी है।

ज़बह करने के लिए जानवर की इस खास जगह का तै करना और उसके इन खास अंगों को काटने की हिकमत यह है कि इसकी वजह से खून तेज़ी के साथ बह जाता है इस लिए कि यह जगह रगों के इकट्ठा होने का मक़ाम है इन जगहों पर छुरी चलाने से रूह तेज़ी के साथ निकल जाती है इसकी वजह से जानवर का गोश्त बड़ा अच्छा होता है और जानवर को तकलीफ़ भी कम होती है।

पकड़ से बाहर होने की वजह से जिन जानवर को इन जगहों पर ज़बह करना और छुरी चलाना संभव न हो जैसे शिकार आदि तो फिर उसके लिए ज़बह़ यही है कि उसके जिस्म के किसी हिस्सा को घायल किया जाए और जो जानवर घायल हो गया या गला घुटने से या किसी चीज़ के ज़ोर से लगने से या ऊंचाई से गिर पड़ा हो या किसी दूसरे जानवर की सींग से घायल हो गया हो या उसे दरिन्दे ने चीर फ़ाड़ दिया हो तो ऐसे तमाम जानवरों को इस शर्त के साथ खाना हलाल है कि वह ऐसी हालत में मिल जाए जबकि उसके अन्दर ज़िन्दगी की कोई रमक़ मौजूद हो फिर उसे शरअी तरीक़े से ज़बह कर दिया जाए।

4. ज़बह करने वाले जानवर को ज़बह करते समय बिस्मिल्लाह कहे और बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है।

ज़बह के शिष्टाचार

1. ऐसे हथियार से जानवर को ज़बह करें जो तेज़ हो।

2. हथियार को जानवर के सामने तेज़ करना मकरूह है।

3. ज़बह करते समय जानवर को किब्ला रुख़ करना अफ़ज़ल है।

4. जानवर की गर्दन तोड़ना और जान निकल जाने से पहले उसका चमड़ा उतारना मकरूह है। सुन्नत यह है कि गाय और बकरी को बाएं पहलू पर लिटा कर ज़बह किया जाए और ऊंट को खड़ा करके उसके अगले बाएं पांव को बांध कर नहर किया जाए।

शिकार का हुक्म

ज़रूरत के तहत शिकार करना जायज़ है लेकिन खेल तमाशे व मनोरंजन के लिए शिकार करना मकरूह है। शिकार के घायल हो जाने और पकड़ लिए जाने के बाद उसकी दो हालतें हो सकती हैं।

1. शिकार इस हाल में पकड़ा जाए जबकि उसके अन्दर ज़िन्दगी की रमक़ मौजूद हो। ऐसे शिकार को ज़बह करना ज़रूरी है।

2. या फिर शिकार ऐसी हालत में मिले जबकि वह मर चुका हो या फिर उसके अन्दर ज़िन्दगी की मामूली रमक़ हो तो वह इस हालत में भी हलाल होगा।

शिकार के लिए भी वही शर्तें हैं जो ज़बह के लिए हैं।

1. अर्थात यह कि वह आक़िल, मुसलमान या किताबी हो। मुसलमान के लिए उस शिकार को खाना जायज़ नहीं है जिसे पागल या नशे में मदहोश या मजूसी या मूर्ति पूजक या किसी दूसरे काफ़िरों ने शिकार किया हो।

2. हथियार का तेज़ होना भी शर्त है जिससे खून बह जाए। हड्डी या नाखून आदि को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो। शिकार उस हथियार की धार से घायल हुआ हो न कि उसके बोझ से। जहां तक शिकारी कुत्ते और परिन्दे की बात है जिनसे शिकार किया जाता है तो यदि ये शिकारी जानवर सिखाए हुए हों तो इनका पकड़ा हुआ शिकार जायज़ है।

शिकारी कुत्ते या परिन्दे की तरबियत

यह है कि जब आप उसे शिकार की तरफ़ जाने को कहें तो वह शिकार पकड़ने के लिए चला जाए और शिकार को पकड़ने के बाद अपने मालिक के लिए उसे रोक कर रखे, यहां तक कि मालिक उसके पास पहुंच जाए, न यह कि वह अपने लिए शिकार को पकड़े।

3. शिकार के हथीयार को शिकार करने के इरादे से छोड़ा जाए, यदि शिकार का भाला हाथ से छूट जाए और उससे कोई जानवर क़त्ल हो जाए तो वह जानवर हलाल नहीं होगा क्यों कि शिकार करने का इरादा नहीं किया गया।

इसी तरह कुत्ता अपने आप शिकार की तरफ दौड़ जाए और उसे मार डाले तो वह शिकार हलाल नहीं होगा क्यों कि यहां भी शिकार करने का इरादा नज़र नहीं आता और

मालिक ने उसे शिकार करने के लिए नहीं छोड़ा है। किसी ने एक शिकार पर निशाना लगाया वह निशाना दूसरे शिकार को लग गया या उस निशाने की वजह से कई परिन्दे या जानवर मर गए तो ये सारे के सारे हलाल होंगे।

चेतावनी: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल तीन कामों के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त दी है अर्थात शिकार करने के लिए, चौपाए की निगरानी के लिए या खेती की निगरानी के लिए। इसके अलावा किसी और मक़सद से कुत्ता पालना हराम है।

लिबास के अहकाम

इस्लाम सफ़ाई सुथराई और जमाल व साज सज्जा को पसन्द करने वाला दीन है। इस्लाम ने मुसलमानों के लिए अच्छे ढंग से पहनने ओढ़ने और बनाव सिंगार को अपनाने को मुबाह क़रार दिया है और इसके लिए उभारा भी है। अल्लाह ने ऐसे लिबास उपलब्ध कर दिए हैं जिनसे सतर पोशी और साज सज्जा हासिल होती है। अल्लाह का इर्शाद है:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف:٢٦]

''ऐ आदम की औलाद! हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे पोशीदा अंगों को भी छुपाता है और श्रृंगार का सबब भी है और तक़्वा का लिबास, यह उससे

बढ़ कर है। यह अल्लाह की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। (सूरह अल आराफ आयत 26)

लिबास के मामले में भी असल हिल्लत है सिवाय उन लिबासों के जिनकी हुर्मत नस से स्पष्ट कर दी गयी है। इस्लाम ने किसी खास प्रकार के लिबास को निष्चित नहीं किया है कि केवल उसी को पहना जा सकता है। अलबत्ता उसने कपड़ों के लिए कुछ नियम तै किए हैं। एक मुसलमान के लिबास में उन नियमों की पाबन्दी है, वे नियम ये हैं:

1. लिबास सतर पोशी करने वाला हो। जिस्म के हिस्सों की नुमाइश करने वाला न हो।

2. उस लिबास से काफ़िरों या उन लोगों की समानता न झलकती हो जो बुराइयों और मुन्करात करने के लिए मशहूर हैं।

3. उस लिबास के अन्दर फ़ुजूल खर्ची और घमंड का पहलू न हो। लिबास के मामले में इन नियमों की पाबन्दी करते हुए एक मुसलमान अपनी ज़रूरत और आदत के मुताबिक़ लिबास इस्तेमाल कर सकता है। लिबास व पोषाक की बिरादरी की वे चीज़ें जिनकी मनाही शरीअत में आयी है ये हैं:

1. मर्दों के लिए रेशमी लिबास और सोने का इस्तेमाल हराम औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं। इस की दलील अली बिन अबी तालिब रजि0 से मर्वी यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम को अपने दाएं हाथ में और सोने को अपने बाएं हाथ में लिया

और फ़रमाया ''ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैंश (अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा)

मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है जिसमें चांदी का इस्तेमाल हुआ हो और मर्द आम तौर पर उस तरह की चीज़ पहनते हों।

3. चांदी की तस्वीर वाली चीज़ें पहनना या इस्तेमाल करनाः मुसलमान के लिए ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं है जिसमें इन्सान या हैवान की तस्वीर हो, चाहे ये तस्वीरें कपड़े पर हों या ज़ेवरात पर हों या इस्तेमाल की किसी दूसरी चीज़ पर हो, आयशा रजियल्लाहु अन्हाकी रिवायत है कि उन्होंने एक छोटा तकिया खरीदा जिसपर तस्वीरें थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो दरवाज़े पर ठहर गए और घर के अन्दर दाखिल नहीं हुए। आयशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने आपके चेहरे पर ना पसन्दीदगी के निशान देखे तो मैंने अर्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजू करती हूं मैंने कौन सा गुनाह किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ये छोटा सा तकिया कहां से आया है? मैंने कहाः मैंने इसे आपके लिए खरीदा है ताकि आप उस पर बैठें और टेक लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» وَقَالَ: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ

क़ियामत के दिन इन तस्वीरों को बनाने वालों को अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो बनायी थी उनमें जान भी डालो, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस घर के अन्दर तस्वीरें हों उसमें फ़रिष्ते दाखिल नहीं होते हैं।

3. मर्दों के लिए कपड़े को टखनों से नीचे लटकाना हराम है। अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ दोनों टखनों से नीचे जो कपड़ा लटकाया जाएगा वह जहन्नम में होगा। (बुखारी 5787)

इस हदीस में कपड़े, पाजामे, पैन्ट और चादर आदि को टखने से नीचे लटकाने की मनाही है। यह केवल उन लोगों के साथ खास नहीं है जो घमंड की वजह से ऐसा करते हैं, जो घमंड की वजह से ऐसा करेगा उसके लिए और ज़्यादा सख्त सज़ा है।

इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ

''जिसने घमंड में अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटा, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ नजरे रहमत

से नहीं देखेगा। (मुत्तफ़क़ अलैह 2085, 3665)

4. इतने बारीक कपड़े पहनना जायज़ नहीं जिनसे सतर छुप न सकता हो और न इतना तंग व चुस्त कपड़े पहनना जायज़ है जो अंगों को ज़ाहिर कर दें। यह मनाही मर्दों व औरतों दोनों के लिए है।

लिबास व पोशाक में औरतों के लिए मर्दों की समानता और मर्दों के लिए औरतों की समानता अपनाना हराम है। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

औरतों को समानता अख्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों की समानता अख्तियार करने वाली औरतों पर लानत की है। (सही बुखारी 5885)

6. लिबास में काफ़िरों की समानता अख्तियार करना भी हराम है। एक मुसलमान के लिए उन लिबासों का पहनना जायज़ नहीं है जो काफ़िरों के लिए खास हैं। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म पर ज़र्द रंग के दो कपड़े देखे तो आपने फ़रमायाः यह कुफ़्फ़ार के कपड़े है इन्हें इस्तेमाल न करो। (मुस्लिम 2077)

लिबास की सुन्नतें और उसके शिष्टाचार

1. एक मुसलमान को लिबास के मामले में सुन्नतों पर भी अमल करना चाहिए। उनमें से एक यह है कि नया कपड़ा पहनते समय दुआ पढ़ी जाए। इसकी दलील अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। वे बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेते चाहे वह कमीस होती या अमामा, फिर यह दुआ पढ़ते.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

अल्लाहुम्म लकल हम्द अन्त कसौतनीहि अस्अलुक मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ लहु वअउजुबिक मिन शररीही व शररी मा सुनिअ लहु. ऐ अल्लाह! सारी प्रशंसाएं तेरे ही लिए हैं। तुझ ही ने मुझे यह लिबास पहनाया, मैं तुझ से इसकी भलाई और जिसके लिए इसे बनाया गया है उसकी भलाई का सवाल करता हूं और मैं इसकी बुराई से और जिसके लिए इसे बनाया गया है उसकी बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं। (अबु दाऊद 4020)

2. दायीं तरफ़ से कपड़ा पहनना सुन्नत है। इसकी दलील आइशा रजियल्लाहु अन्हाकी यह रिवायत है

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर काम को दायीं तरफ से शुरु करने को पसन्द करते थे। चाहे वह

वुज़ू करने का मामला हो या कंघी करने का या जूता पहनने का। (मुत्तफ़क़ अलैह . 268 426)

इसी प्रकार जब जूते पहनते तो दायीं ओर से शुरु करते और जूते उतारते समय बायीं तरफ़ का जूता उतारते फिर दायीं तरफ़ का। इसकी दलील हज़रत अबु हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا

''जब कोई व्यक्ति जूता पहने तो पहले दाएं पांव में पहने और जब जूता उतारे तो पहले बायां पांव से उतारे। या तो दोनों जूते पहन कर रहे या फिर दोनों को उतार दे। (मुत्तफ़क़ अलैह 5495, 5855)

हदीस में एक जूता पहन कर चलने की मनाही भी आयी है।

3. मुसलमान के लिए यह भी सुन्नत है कि वह अपने कपड़े और जिस्म को साफ़ सुथरा रखे और इन दोनों की पाकी का भी आयोजन करे। इसके लिए हर प्रकार का सिंगार व खुश मन्द होने की बुनियाद सफ़ाई सुथराई है। इस्लाम ने सफाई सुथराई का आयोजन करने और जिस्म व लिबास को साफ़ रखने की तर्गीब दी है।

सफ़ेद कपड़े पहना मुसतहब है इसकी दलील इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

तुम लोग सफेद रंग के कपड़े पहनो, यह तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर है और अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़ों का कफन दिया करो।(अबु दाऊद 915) वैसे तमाम रंग जायज हैं।

4. लिबास और जायज़ श्रृंगार में सन्तुलन रखना चाहिए। अल्लाह का इर्शाद है

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان:٦٧]

''और जब वह (मोमिन) खर्च करते हैं तो न बेजा खर्च करते हैं और न कंजूसी, बल्कि इन दोनों के बीच सन्तुलित तरीक़े पर खर्च करते हैं। (सूरह अल फ़ुरक़ान आयत 67)

और सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इर्शाद मन्क़ूल है कि ''खाओ, पियो, पहनो और सदक़ा व खैरात करो और इन कामों में बेजा खर्च, गर्व व घमंड और दिखावा से बचो।

शादी के अहकाम

निकाह सही होने की शर्तें

1. **पति व पत्नी की रज़ामन्दी**: अतएव किसी बालिग़ व आक़िल मर्द को किसी ऐसी औरत से शादी करने पर मजबूर करना सही नहीं है जिससे वह शादी करने की चाहत न रखता हो और न ही किसी बालिग़ा व आक़िला औरत को ऐसे आदमी से निकाह करने पर मजबूर करना सही नहीं है जिससे वह शादी करना न चाहती हो।

इस्लाम ने औरत की मर्ज़ी के बिना उसकी शादी करने से मना किया है। यदि औरत किसी व्यक्ति से निकाह करने के लिए तैयार न हो तो किसी के लिए भी यह जायज़ नहीं है कि उसे उस व्यक्ति से निकाह करने पर मजबूर करे चाहे वह उसका बाप ही क्यों न हो।

2. **वली का होना** : औरत के लिए वली के बिना निकाह सही नहीं होता। इसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इर्शाद है لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ''वली के बिना निकाह नहीं होता। (तिर्मिज़ी 1020)

यदि औरत ने स्वयं से ही अपने दाम्पत्य रिश्ते से बांध लिया तो उसका निकाह फ़ासिद होगा, चाहे उसने निकाह के काम को स्वयं अंजाम दिया हो या उसके लिए किसी ग़ैर को अपना वकील बनाया हो। कोई काफ़िर किसी मुसलमान औरत का वली नहीं बन सकता और जिस औरत का कोई वली न हो उसका निकाह कराने की ज़िम्मेदारी शासक के सर है।

वली से मुराद औरत का बाप, फिर वह जिसे औरत के बाप ने निकाह कराने की वसीयत की हो, फिर दादा ऊपर तक जो सबसे ज़्यादा क़रीबी हो। फिर औरत का बेटा, फिर बेटे के बेटे नीचे तक।

फिर सगा भाई, फिर अल्लाती भाई, फिर सगे भाई के बेटे, फिर अल्लाती भाई के बेटे जो ज़्यादा रिश्ते में क़रीब हो। फिर वह चचा जो मां और बाप दोनों की तरफ से चचा होता है फिर वह चचा जो बाप की तरफ़ से हो। फिर

इनके बेटे जो रिश्ते में ज़्यादा क़रीब हो, फिर बाप का चचा, फिर उस चचा के बेटे, फिर दादा का चचा, फिर उसके बेटे। वली हो सक्ते है, औरत की शादी कराने से पहले उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है।

औरत को शादी के लिए वली की मौजूदगी की हिकमत ज़िनाकारी के चोर दरवाज़े को बन्द करना है। इस लिए कि ज़ानी मर्द के लिए यह मुश्किल नहीं है कि वह औरत से कहे कि तुम इतने मेहर के बदले मुझसे शादी कर लो। फिर वह अपने दो साथियों का इसका गवाह बना दे या किसी और को गवाही के लिए तैयार कर ले।

3. **दो गवाहों का होना**: अक़्द निकाह की मज्लिस में दो या उससे ज़्यादा भरोसे योग्य मुसलमानों का होना ज़रूरी है। यदि इससे ज़्यादा लोग हों तो और बेहतर है और उन गवाहों का परहेज़गार होना ज़रूरी है अर्थात वे लोग गुनाहे कबीरा जैसे ज़िना और शराब नोशी आदि से बचने वाले लोग हों।

अक़्दे निकाह के कलिमात ये हैं कि होने वाला पति या उसका वकील यह कहे कि अपनी बेटी या अपनी वसीयत की हुई फ़लां महिला को मेरे निकाह में दे दीजिए तो वली कहे कि मैने अपनी बेटी या अपने तहत विलायत में रहने वाली फ़लां महिला का आपके निकाह में दिया। और पति कहे कि मैंने फ़लां महिला को अपनी पत्नी के तौर पर क़ुबूल कर लिया। पति चाहे तो इस काम के लिए किसी को अपना वकील भी बना सकता है।

4. **महर होना** : शरअी तौर पर पसन्दीदा यह है कि महर की मात्रा कम हो। जो महर कम और आसानी के साथ

तुरन्त अदाएगी योग्य हो वह अफ़ज़ल है। सुन्नत यह है कि अक़्द निकाह में महर का ज़िक्र किया जाए और अक़्द निकाह के साथ तुरन्त उसकी अदाएगी कर दी जाए। महर को देर से अदा करना या महर के कुछ हिस्से को टाल कर अदा करना भी सही है।

यदि पति ने संभोग से पहले पत्नी को तलाक़ दे दी तो पत्नी आधे महर की हक़दार होगी और यदि पति निकाह के बाद संभोग करने से पहले मर गया तो पत्नी को उसकी मीरास से हिस्सा मिलेगा और वह पूरे महर की हक़दार होगी।

निकाह के बाद साबित होने वाले हुकूक़

1. **खर्चः** निकाह के बाद पति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पत्नी के खाने पीने, कपड़ों और रहने का भले तरीक़े से खर्च उठाए। यदि वह वाजिब मात्रा में कंजूसी से काम लेगा तो वह गुनाहगार होगा। औरत का पति के माल में से ज़रूरत भर खर्च लेने का हक़ है। पत्नी पति के नाम पर क़र्ज भी ले सकती है और उस क़र्ज की अदाएगी पति के लिए लाज़िम है। पति के ज़िम्मे एक खर्च निकाह के बाद वलीमे की दावत करना है। यह सुन्नत है और इसका हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं भी अपने निकाह के बाद वलीमा की दावत दी और इसका हुक्म भी दिया।

2. **विरासतः** एक मुसलमान की किसी मुसलमान औरत से निकाह हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे की मीरास के हक़दार हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद हैः

''तुम्हारी पत्नियां जो कुछ छोड़ कर मरीं और उसकी औलाद न हो तो उसमें से आधा तुम्हारा है और यदि उनकी औलाद हो तो उनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, उस वसीयत के बाद जो वे कर गयीं हों या क़र्ज के बाद। और जो (तर्का) तुम छोड़ जाओ, उसमें उन के लिए चौथाई है, यदि तुम्हारी औलाद न हो और तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तर्का का आठवां हिस्सा मिलेगा, उस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो। और क़र्ज की अदाएगी के बाद। (सूरह अल निसा आयत 12)

शादी ब्याह की सुन्नतें और उसके शिष्टाचार

1. शादी का ऐलान करना और शादी शुदा जोड़े के लिए दुआ करना सुन्नत है। पति और पत्नी को यह दुआ दी जाएगी **बारकल्लाहु लक व बारक अलैक वजमअ बैनकुमा फिखैर** 'अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बरकत दे, तुम्हारे ऊपर बरकत दे और तुम दोनों को भलाई में जमा करे।

मुबाशिरत से पहले पति व पत्नी के लिए यह दुआ पढ़ना सुन्नत है: **بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا**

बिस्मील्लाही अल्लाहुम्म जन्निबना शशैतान वजन्निबी शशैतान मा रजक्तना ''अल्लाह के नाम से शुरु, ऐ अल्लाह! हमें शैतान से बचा और शैतान को हमारी औलाद से दूर रख।

3. पति व पत्नी दोनों के लिए मुबाशरत के दौरान की बातों को बयान करना मकरूह है।

4. पति के लिए हैज़ व निफ़ास की हालत में पत्नी के साथ मुबाशरत करना हराम है और पाक होने के बाद जब तक औरत गुस्ल न कर ले उसके साथ मुबाशरत करना जायज़ नहीं है।

5. पति के लिए पत्नी के पिछले हिस्से में मुबाशरत करना हराम है। यह कबीरा गुनाहों में से है जिसे इस्लाम ने हराम ठहरा दिया है।

6. पति के लिए पत्नि को मुबाशरत का पूरा हक़ देना वाजिब है। पति के लिए यह भी वाजिब है कि वह पत्नी की इजाज़त के बिना हमल के खतरे से या किसी और ज़रूरत के तहत अज़्ल न करे।

पत्नी की विशेषताएं जो ज़रूरी हैं

शादी का मक़सद एक दूसरे से आनन्द व मज़ा लेने और एक सदाचारी परिवार और अच्छे समाज की रचना है। जब पत्नी जाहीरी व माअनवी दोनों खूबियों वाली होगी तो यह बहुत ज़्यादा भलाई को हासिल करने का सबब बनेगा। जिन्सी खूबी व सुन्दरता से मुराद उसका मुकम्मल भरी पुरी औरत होना और माअनवी खूबी व जमाल से मुराद उसका दीनदार और नैतिक रूप से बेहतर होना है। लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत दीनदारी की है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके तअल्लुक़ से वसीयत की हैः औरत के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह नेक, सदाचारी और परहेज़गार मर्द की पत्नी बनने की कोशिश करे।

वे औरतें जिनके साथ निकाह हराम है

महरम औरतें दो तरह की हैं . एक वे जिन से निकाह हमेशा के लिए हराम है और दूसरी वे जिनसे निकाह सर्वकालिक तौर पर हराम है।

1. वे औरतें जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है,

वे औरतें जो नसबी रिश्ते की वजह से हराम हैं ये सात प्रकार की रिश्तेदार औरतें हैं। अल्लाह तआला ने इस आयत में इनका जिक्र किया है:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٣]

हराम की गयीं तुम पर तुम्हारी माएं और तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफ़ियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की लड़कियां और बहन की लड़कियां। (सूरह अन निसा आयत 23)

क– माओं के अन्दर दादियां और नानियां भी शामिल हैं।

ख– बेटियों के अन्दर सुलबी बेटियां, पोतियां और नवासियां सब शामिल हैं नीचे तक।

ग– बहनों के अन्दर सगी बहनें, अल्लाती और अख़याफ़ी बहनें सब शामिल हैं।

घ– फूफियों के अन्दर सगी फूफियां, बाप की फूफियां सब शामिल हैं।

ड. खालाओं के अन्दर सभी खालाएं, बाप की खालाएं, दादा नाना की खालाएं, मां की खालाएं और दादी की खालाएं सब शामिल हैं।

च. भाई की बेटियों के अन्दर सगे भाई की बेटियां, अल्लाती भाई की बेटियां, अख़याफ़ी भाई की बेटियां, बेटों की बेटियां और बेटियों की बेटियां नीचे तक सब शामिल हैं।

छ. बहन की बेटियों के अन्दर सगी बहन की बेटियां, अल्लाती बहन की बेटियां, अख़याफ़ी बहन की बेटियां, इन तमाम बहनों की बेटियों की बेटियां और इन तमाम की बेटियों की बेटियां नीचे तक सब शामिल हैं।

2. **वे औरतें जो रज़ाअत (दूध पीने) की वजह से हराम हैं।** ये औरतें हुर्मत के मामले में नसबी महरम औरतों ही की तरह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

रज़ाअत की वजह से भी तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसली रिश्ते की वजह से हराम हो जाते हैं। (मुत्तफ़क़ अलैह . 1447 2645)

लेकिन हुर्मत का सबब बनने वाली रज़ाअत के लिए कुछ शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है।

क– किसी बच्चे ने किसी औरत का पांच या इससे ज़्यादा बार दूध पिया हो। यदि बच्चे ने किसी औरत का चार बार दूध पिया है तो वह उसकी रज़ाओ मां नहीं होगी

ख. यह रज़ाअत दूध छोड़ने की उम्र से पहले की हो, अर्थात रज़ाअत के सबूत के लिए यह शर्त है कि पांच बार दूध पीने का अमल दूध छोड़ने की उम्र से पहले हो चुका हो। यदि बच्चे ने दूध छोड़ने की उम्र के बाद पांच बार किसी का दूध पिया या कुछ बार दूध छोड़ने से पहले और कुछ बार दूध छोड़ने के बाद किसी औरत का दूध पिया है तो वह औरत उसकी रज़ाओ मां नहीं होगी।

जब रज़ाअत की तमाम शर्तें पायी जाएंगी तो वह बच्चा दूध पिलाने वाली औरत के बेटे के हुक्म में होगा और उस औरत के बेटे बेटियां बच्चे के भाई बहन होंगे चाहे वे उस बच्चे से पहले के हों या बाद के। उस औरत के पति के बच्चे भी उस बच्चे के भाई बहन होंगे चाहे वे बच्चे दूध पिलाने वाली औरत से हों या किसी दूसरी औरत से। यहां पर एक बात को समझ लेना आवश्यक है कि दूध पीने वाले बच्चे की औलाद के अलावा उसके अन्य रिष्तेदारों का इस रज़ाओ रिश्ते से कोई संबंध नहीं होगा और यह रज़ाअत उन अन्य रिश्तेदारों के मामला में प्रभावी नहीं होगी।

3 वे औरतें जो शादी हो जाने की वजह से हराम हैं वे यह हैः

क. बाप दादा की बीवियां . ज्यों ही किसी मर्द ने किसी औरत से निकाह किया तो वह औरत उसके बेटों, बेटों के बेटों उसकी बेटियों के बेटों पर नीचे तक हराम हो गयी चाहे उस मर्द ने उसके साथ मुबाशरत की हो या न की हो।

ख. बेटों की बीवियां: किसी मर्द के द्वारा किसी औरत से निकाह करने के बाद वह औरत उसके बाप और दादा नाना के लिए ऊपर तक केवल अक़्द निकाह की वजह से हराम हो गयी, चाहे उसने उसके साथ मुबाशरत न की हो।

ग. पत्नी की मां और उसकी दादी नानी: किसी मर्द के द्वारा किसी औरत से निकाह करने के बाद उस औरत की मां और उसकी दादी नानी केवल अक़्द निकाह की वजह से उसके लिए हराम हो गयी। यद्यपि उसने पत्नी के साथ मुबाशरत न की हो।

घ. पत्नी की बेटियां, पत्नी के बेटों की बेटियां और पत्नी की बेटियों की बेटियां नीचे तक।

किसी मर्द के द्वारा किसी औरत से निकाह कर लेने और उसके साथ मुबाशरत कर लेने के बाद उस औरत की बेटियां, उसके बेटों की बेटियां और उसकी बेटियों की बेटियां नीचे तक उस मर्द के लिए हराम हो गयीं ये बेटियां चाहे पहले पति से हों या बाद के पति से हों। लेकिन यदि निकाह के बाद मुबाशरत से पहले ही दोनों के बीच अलाहदगी हो जाए तो ये तमाम औरतें उसके लिए हराम नहीं होंगी।

. वे औरतें जिनसे निकाह वक्ती तौर पर हराम है इसकी कुछ क़िस्में यह हैं:

क. पत्नी की बहन, उसकी फूफी और उसकी खाला रिश्ता निकाह बाकी रहने तक मर्द के लिए हराम है। यदि पत्नी की मौत या तलाक़ की वजह से अलाहदगी हो जाए तो

पत्नी की इद्दत खत्म होने के बाद वह उसकी बहन, फूफ़ी या खाला से शादी कर सकता है।

ख. दूसरे मर्द की इद्दत गुजारने वाली औरतः जब औरत दूसरे मर्द की इद्दत गुजार रही हो तो उसके लिए इद्दत के दौरान उससे निकाह करना या उसे निकाह का पैग़ाम देना जायज़ नहीं है। इद्दत खत्म हो जाने के बाद ये दोनों काम किए जा सकते हैं।

ग. वह औरत जो हज या उमरा की वजह से एहराम की हालत में हो ऐसी औरत से उस समय तक निकाह जायज़ नहीं है जब तक कि वह पूरे तौर पर एहराम से हलाल न हो जाए।

तलाक़

तलाक़ असल में मकरूह है लेकिन जब तलाक़ देना अत्यन्त ज़रूरी हो जाए. या तो इस वजह से कि औरत मर्द के साथ रहने में तकलीफ़ महसूस करती हो या इस वजह से कि मर्द को औरत के साथ रहने में यातना का अहसास होता हो या इस के अलावा कोई और बात हो जिसकी वजह से अलग होने के सिवा कोई रास्ता ही न रह गया हो तो इस स्थिति में अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर मेहरबानी करते हुए तलाक़ की इजाज़त दी है। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो तलाक़ देने में कोई हरज नहीं है। लेकिन पति के लिए तलाक़ देने से पहले निम्न बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है।

1. वह हैज़ की हालत में पत्नी को तलाक़ न दे। यदि उसने हैज़ की हालत में तलाक दे दी तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी और एक हराम काम किया। ऐसी हालत में पति के लिए ज़रूरी है कि वह उससे रुजू करे और पाक हो जाने तक उसे अपने निकाह में रखे। फिर चाहे तो तलाक़ दे दे। बेहतर यह है कि उसे अपने निकाह में रखे यहां तक कि उसे दूसरी बार हैज़ आ जाए, फिर जब वह पाक हो जाए तो चाहे तो उसे अपने निकाह में रखे चाहे तो तलाक़ दे दे।

2. वह पत्नी को उस पाकी की हालत में तलाक़ न दे जिसमें उसके साथ मुबाशरत की हो जब तक कि उसका हमल ज़ाहिर हो गया हो अर्थात किसी मर्द के दिल में पत्नी को उस समय तलाक़ देने का ख्याल आए जब कि उसने हैज के बाद पाकी की हालत में उसके साथ मुबाशरत की हो तो उसे चाहिए कि वह उस समय तक तलाक़ न दे, यहां तक कि औरत को दोबारा हैज़ आजाए, फिर वह पाक हो जाए यद्यपि यह मुद्दत लम्बी ही क्यों न हो, फिर पति चाहे तो उसके साथ मुबाशरत करने से पहले ही क्यों न हो, फिर पति चाहे तो उसके साथ मुबाशरत करने से पहले उसे तलाक़ दे सकता है यह कि उसका हमल ज़ाहिर हो गया हो या वह हामिला हो तो फिर उसे पाकी की हालत में मुबाशरत करने के बाद तलाक़ देने में कोई हरज नहीं है।

तलाक़ के असरात

चूंकि तलाक़ की वजह से पति व पत्नी के बीच अलाहदगी हो जाती है। अतः इसकी वजह से कई अहकाम सामने आते हैं:

1. यदि पति ने निकाह के बाद पत्नी के साथ मुबाशरत की है या उसके साथ एकान्त में रहा है तो तलाक़ के बाद औरत पर इद्दत वाजिब होती है, लेकिन यदि उसने एकान्त में मुबाशरत से पहले तलाक दे दी है तो फिर औरत पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होती। हैज़ वाली औरतों की इद्दत की मुद्दत तीन हैज़ है और जिसे हैज़ न आता हो उसकी इद्दत तीन माह है। यदि औरत हामला हो तो उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक है। इद्दत की हिकमत पति को पत्नी से रुजू करने का अवसर फ़राहम करना और औरत हामिला है या नहीं इसको यक़ीनी बनाना है।

2. यदि पति पहले भी दो बार तलाक़ दे चुका है तो अब इस तीसरी तलाक़ के बाद पत्नी पति के लिए हराम हो जाएगी अर्थात यह कि मर्द ने औरत को पहले कभी तलाक़ दी फिर इद्दत के दौरान उससे रुजू कर लिया या इद्दत गुज़रने के बाद फिर उससे निकाह कर लिया फिर उसने उसे दूसरी बार तलाक़ दे दी और इद्दत के दौरान रुजू कर लिया या इद्दत के बाद उससे निकाह कर लिया। फिर उसने अब तीसरी बार तलाक़ दी तो अब वह औरत उसके लिए उस समय तक हलाल नहीं होगी जब तक कि वह किसी दूसरे मर्द से सही तौर पर निकाह न कर ले। वह दूसरा पति उसके साथ मुबाशरत करे फिर वह किसी

वजह से बे रग़बत होकर उसे तलाक़ दे दे, तब ही वह पहले पति के लिए हलाल हो पाएगी। अल्लाह ने औरतों को पतियों के अत्याचारों से बचाने के लिए तीन तलाक़ के बाद पत्नी को पति के लिए हराम ठहरा दिया है।

खुलअ़

खुलअ़ यह है कि कोई औरत अपने पति को किसी वजह से हद से ज़्यादा ना पसन्द करे और वह कुछ माल के बदले पति से अलाहदगी की मांग करे ताकि पति उसे तलाक़ दे दे और आज़ाद कर दे। यदि पति पत्नी को ना पसन्द करता हो और वह स्वयं अलग होना चाहता हो तो फिर उसे पत्नी से फ़िदया के तौर पर कोई माल लेने का हक़ नहीं है। ऐसी सूरत में पति या तो सब्र करते हुए पत्नी को अपने साथ बाक़ी रखे या फिर उसे तलाक़ देकर अलाहदा कर दे।

औरत के लिए भी यह ज़रूरी है कि वह पति से बिला वजह खुलअ़ की मांग न करे, हां अलबत्ता यदि उसे पति की ओर से बहुत अधिक यातना का सामना करना पड़ रहा हो और वह सब्र व सहन से बाहर हो तो वह खुलअ़ की मांग कर सकती है। इसी प्रकार पति के लिए भी यह जायज़ नहीं है कि वह जान बूझ कर पत्नी को कष्ट व यातना दे ताकि वह उससे खुलअ की मांग करे। और पति के लिए खुलअ के समय पत्नी से अदा किए गए मेहर से ज़्यादा माल लेना भी मकरूह है।

निकाह को बाकी रखने या खत्म करने का अखतियार

कुछ कारणों से पति व पत्नी दोनों को घरेलू जीवन के इस रिष्ते को बाक़ी रखने न रखने का हक़ है। जैसे कि पति को अपनी पत्नी के अन्दर या पत्नी को पति के अन्दर किसी बीमारी या पैदाइशी ऐब का पता चले जिसे निकाह से पहले ज़ाहिर न किया गया हो तो फिर दूसरे पक्ष को इस रिशते को बाक़ी रखने या न रखने का हक़ होगा। जैसे

1. पति या पत्नी में से कोई एक पागल हो या उन दोनों में से कोई एक किसी ऐसे रोग का शिकार हो जिसकी नज़र से दूसरे पक्ष को पूरा दाम्पत्य जीवन का हक़ हासिल न हो सकता हो तो उसे निकाह फ़सख (तोड़ने) का हक़ होगा और पति को अपना दिया हुआ महर वापस लेने का हक़ होगा।

2. पति महर के तुरन्त अदा करने पर सामर्थ न हो तो फिर पत्नी को इसकी वजह से निकाह फ़स्ख करने का हक़ नहीं है।

3. तंग दस्ती व ग़रीबी की वजह से पति घर के खर्च को उठाने के योग्य न हो तो पत्नी जहां तक संभव हो इन्तिज़ाम करेगी। उसे शरअी अदालत के द्वारा निकाह फस्ख़ करने का हक़ होगा।

4. जब पति लापता हो जाए और उसकी मौजूदगी का किसी को भी पता न हो, उसने पत्नी के लिए खर्च चलाने का इन्तिज़ाम भी न किया हो और न कभी किसी को पत्नी को खर्च पूरा करने की वसीयत की हो, न कोई व्यक्ति उस पर खर्च कर रहा हो और न पत्नी के पास माल हो

जिससे वह अपने घर का खर्च उठा सके, फिर पति के वापस आने पर उससे वह माल हासिल कर ले तो ऐसी सूरत में उस औरत को शरअी अदालत के क़ाज़ी के ज़रिए निकाह फ़स्ख़ करने का हक़ होगा।

ग़ैर मुस्लिम के निकाह का मसला

ग़ैर किताब वाली काफ़िर औरत से शादी करना एक मुसलमान के लिए हराम है और मुसलमान औरत के लिए भी किसी भी ग़ैर मुस्लिम से शादी करना जायज़ नहीं है, चाहे वह किताब वाला हो या ग़ैर किताब वाला। इसी तरह यदि कोई औरत कुफ्र की हालत में रहने के बाद पति से पहले इस्लाम स्वीकार कर लेती है तो उसके लिए यह जायज़ नहीं है कि वह पती के इस्लाम स्वीकारने से पहले उसे मुबाशरत करे ग़ैर मुस्लिमों के निकाह से संबंधित कुछ अहकाम यहां पेश किए जाते हैं।

1. जब काफ़िर पति पत्नी इस्लाम स्वीकार कर लें तो वे अपने निकाह पर बाक़ी रहेंगे या यह कि कोई शरअी रुकावट हो तो फिर दोनों के बीच अलाहदगी करा दी जाएगी जैसे पत्नी पति की महरम हो या उस औरत से शादी करना इस्लाम में उस मर्द के लिए जायज़ न हो।

2. जब किताब वाली औरत का पति इस्लाम स्वीकार कर ले तो वे दोनों अपने पिछले निकाह पर बाक़ी रहेंगे।

3. ग़ैर किताब वाले पति व पत्नी में से कोई एक यदि मुबाशरत से पहले इस्लाम स्वीकार कर ले तो उनका निकाह बातिल हो जाएगा।

4. किसी ग़ैर मुस्लिम की पत्नी मुबाशरत से पहले इस्लाम स्वीकार कर ले चाहे मर्द किताब वाला हो या ग़ैर किताब वाला यह निकाह स्वयं अपने आप टूट जाएगा, इसलिए कि मुसलमान औरत काफिर के लिए हलाल नहीं है।

5. यदि मुबाशरत के बाद किसी काफ़िर की पत्नी मुसलमान हो जाए तो फिर इद्दत खत्म होने तक मामला ज्यों का त्यों रहेगा। यदि इद्दत खत्म होने के बाद पति ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो निकाह टूट जाएगा और पत्नी को अपनी मर्ज़ी से किसी मुसलमान से शादी करने का हक़ होगा और यदि उसे अपने पति से मुहब्बत है तो वह चाहे तो उसके मुसलमान होने का इन्तिज़ार करेगी। इस मुद्दत के दौरान मर्द पर औरत का पत्नी की हैसियत से कोई हक़ नहीं होगा और न औरत के ऊपर मर्द का कोई हुक्म चलेगा।

यदि इन्तिज़ार के बाद मर्द मुसलमान हो गया तो वह औरत निकाह की तजदीद किए बिना उसकी पत्नी हो जाएगी। यद्यपि उसने कई सालों तक इन्तिज़ार किया हो। यदि किताब वाली औरत का पति मुसलमान हो जाए तब भी यही हुक्म होगा।

6. जब पत्नी मुबाशरत से पहले इस्लाम से फिर जाए अर्थात मुर्तद हो जाए तो निकाह आप से आप फ़स्ख़ हो जाएगा और औरत को महर भी नहीं मिलेगा और यदि मुबाशरत से पहले पति मुर्तद हो जाए तब भी निकाह फ़स्ख हो जाएगा और मर्द के ज़िम्मे महर की पूरी रक़म की अदाएगी होगी और यदि पति व पत्नी में से कोई एक

मुर्तद हो जाने के बाद फिर इस्लाम स्वीकार कर ले तो वे दोनों पहले निकाह पर बाक़ी रहेंगे, बषर्ते कि इसकी वजह से उन दोनों के बीच तलाक़ की नौबत न आयी हो।

किताब वाली औरत से शादी के नुक़सानात

अल्लाह ने शादी ब्याह को इस लिए मुबाह किया है ताकि लोगों के अखलाक़ ठीक रहें, समाज बुराइयों और गन्दगी से पाक साफ़ हो, शर्मगाह की हिफाज़त हो सके और समाज में ख़ालिस इस्लामी जीवन व्यवस्था स्थापित हो सके। और इसके द्वारा एक ऐसी मुसलमान उम्मत तैयार की जा सके जो इस बात की गवाही देती हो कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये उद्देश्य उसी समय पूरे हो सकते है जबकि एक मुसलमान सदाचारी, दीनदार, इज़्ज़तदार और अखलाक़ वाली औरत को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश करेगा। यदि आज के दौर में कोई मुसलमान जवाज़ की वजह से किसी किताब वाली औरत से शादी करता है तो उसके निम्न नुक़सानात सामने आ सकते हैं।

1. घर और खानदान के अन्दर का हानिः घर और खानदान की सतह पर इस प्रकार की शादी ब्याह का प्रभाव यह हो सकता है कि यदि घर के निज़ाम में मुखिया पति है और वह प्रभाव शाली शख़सियत का मालिक है तो उसका प्रभाव पत्नी के ऊपर होगा और हो सकता है कि पत्नी उसके प्रभाव में रह कर इस्लाम स्वीकार कर ले।

लेकिन कभी इसके विपरीत भी होता है। घर में पत्नी का ज़ोर होने की वजह से वह हर वह काम करती है जो उसके दीन में जायज़ है जैसे शराब पीना, सुअर का गोश्त खाना और ग़ैर मर्दों के साथ दोस्ती आदि। इस की वजह से एक मुसलमान परिवार टूट व बिखर कर रह जाता है और टूट फूट जाता है। इसकी वजह से बच्चों में बुराइयों के फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। मामला उस समय और ज़्यादा संगीन हो जाता है जब कट्टर व सरकश पत्नी बच्चों को ईसाईयों की इबादतगाह अर्थात चर्च लेकर जाती है। वहां वे ईसाइयों की इबादत के तरीक़ों को देखने के आदी बनते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर होता है और जो व्यक्ति किसी अमल को करते हुए जवान होता है वह उसी पर बूढ़ा भी होता है।

अर्थात मरते दम तक उसका प्रभाव बाक़ी रहता है।

2. सामाजिक स्तर पर उसके नुक़सानात, मुस्लिम समाज में किताब वाली औरतों की बढ़ती संख्या अपने आप में खतरनाक है। इन की मौजूदगी मुस्लिम समुदाय के लिए फिकरी यलग़ार का रूप अख्तियार कर सकती है। ये औरतें जो ईसाई समाज व धर्म की आदतें व बातें अपनाएंगी उसका नतीजा नैतिक पतन व समाजी बिगाड़ के रूप में ज़ाहिर हो सकता है। उनके इस्लाम विरोधी काम व रहन सहन में सबसे ऊपर मर्दों और औरतों के बीच घुलना मिलना और उनका नंगा लिबास पहनना है। इसके अलावा भी उन की बहुत सी गतिविधियां इस्लामी शिक्षा के खिलाफ़ होती हैं।

इस्लाम में औरतों का मक़ाम और मर्तबा

इस्लाम में औरतों के हक़ों की बात करने से पहले अच्छा होगा कि हम पहले दुसरे धर्मों की औरतों के बारे में दृष्टिकोण को जान लें कि उनके नजदीक औरतों की क्या इ़ज़्ज़त है

यूनान में औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हक हासिल नहीं था, सभी हक मर्दों के पास थे, उन्हें केवल प्रयोग की वस्तु समझा जाता था। उन्हें पैतृक सम्पति में भी हक प्राप्त नहीं था। यूनान के मशहूर फिलोस्फ्र सुकरात कहता हैं कि दुनिया की बुराइयों का सबसे बड़ा कारण औरतें हैं। वह आगे कहता है कि औरतें उस जहरीले पेड़ के समान है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन जैसे ही पक्षी उसे खाता है वह फौरन ही मर जाता है।

रोम का मानना है कि औरतों में आत्मा होती ही नहीं है वहां औरतों को न तो कोई पद प्राप्त है और न ही कोई हक। वह सोचते थे कि औरतों में रूह नहीं होती इस लिए वह औरतों पर उबलता हुआ तेल डाल देते थे और उन्हें दीवारों में चुनवा देते थे।

यहाँ तक की वह मासूम औरतों को घोड़ों की पूंछ के पीछे बांध देते थे और घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाते थे जिस के कारण औरतों की मौत हो जाया करती थी।

औरतों के प्रति हिन्दुस्तानियों का भी यही दृष्टिकोण था बल्कि औरतों पर अत्याचार करने में वह और एक कदम आगे थे। वह पति के मरने के बाद औरतों को जिन्दा पति

की चिता के साथ ही जला दिया करते थे। चीनियों ने औरतों को उस बाढ़ के समान माना है जो खुशियों और दौलत को बहाकर ले जाती है। और एक चीनी मर्द को यह हक था कि वह अपनी बीवी को बेच दे या उसे जिन्दा दफन कर दे यहूदी. औरतों को लानत समझते थे उनका मानना था कि औरत ने ही आदम अलैहिस्सलाम को पेड़ का फल खाने के लिए मजबूर किया था। इसी तरह औरत जब माहवारी हैज़ से होती है तो उसे नापाक माना जाता है जिस के कारण उसका घर और उसके जरिया छुआ हुआ हर सामान नापाक हो जाता है। वह कहते हैं कि यदि औरत का भाई हो तो वह मां बाप की सम्पत्ति का हक़दार नहीं होती है।

नसारा औरतों को शैतान मानते थे। एक नसारा का कहना था कि औरतों में इंसानी जिन्स नहीं है। बोनावन्तुर. पादरी का कहना था कि जब तुम औरत को देखो तो ये मत सोचो कि तुम इंसान को देख रहे हो या किसी खूंखार जानवर को देख रहे हो वह शैतान है और उसकी जिन बातों को तुम सुन रहे हो वह सॉपों की फुंकार है।

अंग्रेजी कानून के अनुसार पिछली सदी तक औरतों को देश का नागरिक नहीं माना जाता था। उन्हें न तो कोई इंसानी हक़ हासिल था और न ही वह किसी चीज की मालिक हो सकती थी यहां तक कि जो कपड़े वह पहनती थी वह उन की भी मालिक नहीं थी।

स्कॉटलैंड की संसद ने सन 1567 में ये कानून पास किया कि औरतों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

इसी तरह आठवीं शताबदी में अंग्रेजी संसद ने कहा कि औरतों के लिए इंजील पढ़ना हराम है क्यों कि वह नापाक होती हैं और 586 में फ्रांस के लोगो ने एक कॉन्फ्रंस बुलाई जिस का विषय था क्या औरतें इंसान है या इंसान नहीं हैं? इस कॉन्फ्रंस के अंत में उन्होने पाया कि औरतें इंसान होती है। उसे मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। सन 1805 तक इंगिलश कानून में था कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है और उस समय औरतों की कीमत केवल 6 पौंड थी।

इस्लाम से पहले अरब देश में भी औरत की कोई इ़ज़्ज़त नहीं थी। उसे न तो सम्पत्ति में कोई हिस्सा मिलता था और न ही उसे ध्यान देने योग्य समझा जाता था। और न ही उसे किसी प्रकार का कोई हक़ ही प्राप्त था बल्कि कुछ अरब लोग तो अपनी बेटियों को जिन्दा ही दफन कर दिया करते थे।

इस के बाद इस्लाम आया ताकि औरत पर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर सके और दुनिया को यह बता सके कि मर्द और औरतें बराबर हैं। इसे भी कुछ हक़ प्राप्त हैं जिस तरह से मर्द को प्राप्त हैं। अल्लाह ताआला फरमाता हैः

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات:١٣]

यानी, ''ऐ लोगो हम ने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और इस लिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिये हैं। अल्लाह

के नजदीक तुम सब में से बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह जानने वाला और बाख़बर है। (सुरह अल हुजरात 13)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء:١٢٤]

एक दूसरी जगह फरमायाः यानी, ''जो ईमान वाला हो मर्द हो या औरत और वो नेक आमाल करे यकीनन वह जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली के बराबर भी उन पर अत्याचार न होगा। (सुरह निसा 124)

आगे फरमायाः وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا [العنكبوت:٨]

यानी, ''हम ने इंसान को अपने मां बाप के साथ अच्छा सूलूक करने की वसीयत की है। (सुरह अल अनकबुत 8)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

अच्छा मोमिन वह है जिस के अख़लाक़ अच्छे हों और तुम में से सबसे बेहतर वो है जिन के अख़लाक़ औरतों के प्रति सबसे अच्छे हों। एक व्यक्ति ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः लोगों में मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप ने फरमाया तेरी मां। उस व्यक्ति ने फिर पूछा फिर कौन? आप ने फरमायाः तेरी मां। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप ने फरमायाः तेरी मां। उसके बाद उस व्यक्ति ने फिर पूछा,

उसके बाद कौन? आप ने फरमायाः तुम्हारे पिता। संक्षेम में इस्लाम का औरतों के प्रति यही दृष्टिकोण है।

औरतों के सामाजिक हक़

इस्लाम में औरतों को कुछ सामाजिक हक भी दिये गए हैं यह जरूरी है कि आप उसे जानें और उनको मानें। ताकि एक औरत जब चाहे आप उसे वह हक़ दें। वह हक निम्नलिखित हैं:

1. मालिकाना हक़ः औरतों को घर, सामानों, फैक्टरियों, बागीचों, सोना . चाँदी और विभिन्न प्रकार के जानवरों आदि जिस की चाहें मालिक बन सकती हैं। चाहे घर में उसका दरजा बीवी का हो, मां का हो, बेटी का हो या बहन का।

2. शादी, पति का चुनाव, खुला करने और नुकसान की सूरत में उसे तलाक का हक़ हासिल है।

3. हर उन चीजों के बारे में इल्म हासिल करने का हक है जो औरतों के लिए आवश्यक है जैसे अल्लाह को पहचानने का इल्म, इबादत, को अदा करने का तरीका सीखना, अपने अधिकारों को तथा अपने फर्ज की आवष्यक जानकारी हासिल करना। जिन अच्छे अखलाक को अपनाना जरूरी है उनकी जानकारी हासिल करना, क्यों कि अल्लाह का फरमान आम है जिसमें बताया गया है किः यानी, ''इस बात को जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हैः ''इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है।

4. वे औरत जितना चाहे अपने माल का सदका कर सकती है। और जितना चाहे अपने नफ्स पर, औलाद पर, शौहर पर, वालिदैन पर खर्च कर सकती है। लेकिन यह सभी खर्च फूजूल खर्च के दायरे में होने चाहिए। इस सिलसिले में औरत का मामला मर्द जैसा ही है।

5. इसे पसंद या ना पसंद करने का हक़ हासिल है। वह नेक औरतों से मोहब्बत रख सकती है और अगर उसका शौहर है तो उसकी इजाज़त से उन से मिलने जा सकती है और तोहफा दे सकती है। उन को खत लिख सकती है, उनका हालचाल पूछ सकती है, मुसीबत में उनकी मदद कर सकती है। इसी तरह वह बुरी और खराब चीजों से नफरत करें और अल्लाह की खातिर उन्हें छोड़ दें।

6. अपनी जिन्दगी में ही उसे अपने एक तिहाई माल की वसीयत का हक़ भी हासिल है कि उसके मरने के बाद वह हिस्सा उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा और उस पर किसी को कोई एतराज का हक नहीं होगा। यह इस वजह से कि वसीयत करना एक व्यक्तिगत हक है जिस तरह से यह हक मर्दों को मिला है उसी प्रकार से औरतों को भी प्राप्त है क्यों कि अल्लाह के सवाब से कोई भी बेजार नहीं हैं। बषर्ते की वसीयत एक तिहाई माल से ज़्यादा की न हो। यह हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए हैं।

7. लिबास का हक़ः रेशम या सोना औरत जो चाहे वह पहन सकती है जब की मर्दों के लिये इन दोनों का इस्तेमाल करना हराम है। औरत के लिए रेशमी कपड़े तथा सोना आदि पहनने की शर्त ये है कि वह अपनी जीनत को

दूसरों के सामने जाहिर न करें। जैसे की आधे या एक चौथाई कपड़े पहनना या अपने सिर से कपड़ा हटा देना या सीने को खोल देना। ये सब ऐसे व्यक्ति के सामने करें जिस के सामने ऐसा करना जायज हो।

8. औरतों को अपने शौहर के लिए सिंगार करने का हक है। इसके लिए वह सुर्मे का इस्तेमाल कर सकती है अपने गालों तथा होंठों पर सुर्खी लगा सकती है बेहतर से बेहतर जेवर पहन सकती है। परन्तु उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिये, जो गैरमुस्लिम औरतें या गलत काम करने वाली औरतों की पहचान हो, उन्हें उससे बचना चाहिए।

9. औरतों को अपनी पसंद का खाना खाने और पीने का हक़ है। इस मामले में मर्द और औरत दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ जायज है वो दोने के लिए है, और जो चीजें हराम है उस में भी दोनों बराबर हैं। अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता हैः यानी, ''खूब खाओ और खूब पीओ और हद से न निकलो। यह अमल दोनों जिनसों के लिए है।

शौहर पर औरत के हक़

औरत के खास हकों में से उसके कुछ हक़ शौहर पर हैं। ये हक़ जो शौहर पर वाजिब है बिल्कुल वैसे ही औरत पर भी हैं। जैसे की औरत को चाहिए की अल्लह और उसके रसूल की नाफरमानी न करने के अलावा वह अपने शौहर की फरमाबर्दारी करे, उसके लिए खाना तैयार करे, उसका बिस्तर ठीक करे उसके बच्चों को दूध पिलाए, उनकी तरबीयत करे, उसके माल और इज़्ज़त की निगरानी करे, अपने नफ्स की हिफाज़त करे, और उसके लिए सिंगार करे

यहाँ उन अधिकारों की बात की जा रही है, जो शौहर पर वाजिब है, क्यों कि अल्लाह तआला ने फरमाया हैः यानी, ''और औरतों के भी वैसे ही हक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं अच्छाइयों के साथ। हम इन अधिकारों को इस लिए बता रहे हैं ताकि एक मोमिन औरत बिना शर्म व हया और डर व खौफ के उनका मुतालबा करे और शौहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी के अधिकारों को मानें, फिर चाहे बीवी कुछ अधिकारों को माफ कर दें। इस तरह एक बीवी को जो हक़ हासिल है उन में से कुछ इस तरह है।

1. शौहर अपनी हैसियत के अनुसार बीवी पर खर्च करेगा। इसमें कपड़े, खाना पीना, दवा और घर शामिल है।

2. बीवी की इ़ज्ज़त, जिस्म जान, माल और दीन की हिफाजत करेगा। क्यों कि मर्द उसका निगेहबान है और किसी भी चीज की निगेहबानी में उस चीज की हिफाजत और देख भाल भी शामिल होती है।

3. उसे जरूरी दीनी मसाईल सिखाएं और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता हो तो उसे दीनी मसाईल सीखने के लिए दीनी और इल्मी मजलिसों में शामिल होने की इजाज़त दे।

4. उस के साथ अच्छा माशरती मआमला करे अल्लाह तआला ने फरमाया हैः यानी, उन के साथ अच्छा माशरती मआमला करो ''अच्छे मआशरती में ये भी है कि जिमा (संभोग) के दृष्टिकोण से उसके हक को दबाया न जाए, गाली गलौज और बेइ़ज्ज़त कर के उस पर अत्याचार न किया जाए और हुस्ने मआशरती में ये भी शामिल है कि अगर फितना का अन्देशा न हो तो उसे रिष्तेदार के यहां

जाने दें। उसे ऐसे काम न दिये जाएं जो उसकी ताकत के बाहर हो उससे अच्छी तरह बातचीत की जाए और बेहतर तरीके से पेश आया जाए। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ''तुम में से सबसे बेहतर व्यक्ति वह है जो अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो।

पर्दा

इस्लाम ने समाज को बुराइयों से बचाने का हर मुमकिन इंतेजाम किया है और अच्छे अखलाक और बेहतर आदाब के जरिया उसकी हिफाजत का इंतेजाम किया है ताकि लोगों का दिल बुराइ से पाक साफ रह सके। इस में शहवत और खवाहिशात को न भटकाया जाए। इस्लाम ने शहवत को भटकाने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई है जो फितने का कारण बनती है। इस लिए मर्द और औरतों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया है।

इसी तरह अल्लाह तआला ने औरत की बेइज़्ज़ती से बचाव, तथा कमजोर दिल के लोगों को फित्ने से उसे बचाने और शरारती लोगों से दूर रखने के लिए, बेपर्दगी से, बुरी नजरों से तथा औरतों की अहमियत और इज़्ज़त बाकी रखने के लिए पर्दे को वाजिब क़रार दिया है।

इस्लाम के आलिम लोग औरतों के पर्दे की आवष्यकता पर एकमत हैं। औरतों पर वाजिब है कि वह गैर मर्द से अपने ज़ेब और जीनत को छुपा कर रखें उन पर जाहिर न होने दें। उलामाए कराम का चेहरे और दोनों हाथों के परदे पर दो नजरिया है। पर्दा और उस की आवष्यकता पर कई

सारी हदीसें मौजूद हैं। इन हदीसों की रोशनी में ही पर्दे को वाजिब क़रार दिया गया है। पर्दा करने की कुछ दलीलें इस प्रकार हैःअल्लाह तआला ने इर्शाद फरमायाः

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:٥٣]

यानी, ''यदि जब तुम नबी की बीवियों से कोई सामान मागा करो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, तुम्हारे और उन के लिए यही कामिल पाकीजगी है।(सुरतुल अहजाब 53)

दूसरी जगह इर्शाद फरमायाः

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٩]

यानी, ''ऐ नबी! अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमाना की औरतों से कह दो कि वो अपने उपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्दी उनकी पहचान हो जाया करेगी फिर न परेशान की जाएंगी और अल्लाह तआला माफ करने वाला मेहरबान है।(सुरतुल अहजाब 59)

आगे फरमायाः

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:٣١]

यानी, ''मुसलमान औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस्मत में फर्क न आने दें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके जो जाहिर है और अपनी गिरेबानों पर अपनी औढ़नी डालें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर न करें, सिवाय अपने शौहर के।(सुरह अलनूर 31)

आयशा रजियल्लाहु अन्हाबयान करती हैं कि

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ

मुसलमान औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज पढने के लिए चादरों में लिपट कर आती थी फिर नमाज के बाद अपने घरों को वापस जाती थीं तो सुबह के अंधेरे की वजह से कोइ उनको पहचान नहीं पाता था (बुखारी 578 मुस्लिम 645)

आयशा रजियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

''हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थे और सवार हमारे सामने से गुजर

रहे थे, जब वे हमारे करीब आते तो, हम अपने सिर की चादर सरका कर अपने चेहरे पर लटका लेते और जब वो गुजर जाते तो हम हटा देते थे

आयशा रजियल्लाहु अन्हा ही बयान करती हैं कि ''अल्लाह तआला मुहाजिरों की औरतों पर रहम और करम का मामला करें। अल्लाह ने जब उन पर आयते हिजाब नाज़िल की तो उन्होंने अपनी औढ़नियों को दो हिस्सों में बांट लिया और उससे अपने चेहरे को ढ़क लिया (सही बुख़ारी)

इस के इलावा भी बहुत सी दलीलें हैं। चाहे पर्दे के बारे में एक मत न हो फिर भी उलामा का इस बात पर एक मत है कि जरूरत की बुनियाद पर औरत का चेहरे को खोलना जायज़ है जैसे बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास और उसी तरह से सभी उलामा का इस बात पर भी एक मत है कि फित्ने का डर हो तो चेहरे का खोलना जायज़ नहीं है। जो लोग चेहरे खोलने को जायज़ क़रार देते है, उनका भी मानना है कि अगर फितने का डर हो तो ऐसी सूरत में चेहरे का ढकना वाजिब है। आज जब कि हर तरफ फितना है, इस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अकसर औरतें जो अपना चेहरा खोल लेती हैं, अपने चेहरे और आँखों पर सिंगार किया करती हैं, जिस के हराम होने (हुर्मत) पर सभी उलमा एक मत हैं।

इस्लाम ने औरतों पर अजनबी मर्दों से इख्तलात को हराम किया है। यह सभी बातें अख़्लाक़,खानदान और शराफत की हिफाजत के लिये हैं, इस्लाम बेपर्दा को फितने और शहवत को भड़काने वाली चीज़ मानता है। औरत जब घर

से निकलेगी दुसरे मर्दों से बात करेगी और बेपर्दा होगी तो ऐसी सूरत में बदनामी होगी और गुनाह करना आसान होगा और औरत पर दस्तदराजी आसान हो जाएगी। अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता हैं:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:٣٣]

यानी, तुम औरतें अपने घरों में रहो और जमाने जाहिलियत कि औरतों कि तरह बनाव सिंगार कर के ना निकलो (सुरह अहजाब 33)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखती से मर्दों और औरतों को इख्तलात से रोका है और उन सभी असबाब से मना फरमाया है जो इख्तलात की वजह बनते हैं, चाहे वो इबादत और उससे जुड़ी हुई जगह ही क्यों न हो

कभी कभी औरत को ऐसी जगहों में जाने की जरूरत पड़ जाती है, जहां मर्द होते हैं, जैसे ऐसा कोई जरूरी काम पूरा करना हो और घर में दूसरा कोई न हो जो इस काम को कर सके, या कुछ खरीदारी का काम हो जिससे वो खुद अपने या अपने से जुड़े लोगों के लिए कामकाज का इंतेजाम कर सके या उस के अलावा दुसरी जरूरतें हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन शर्त ये है कि वह शरीअत की पाबंदी करे यानी बापर्दा निकले, अपनी आराइश को जाहिर ना करे, मर्दों से दूर रहे और उन के साथ इख्तलात न करे।

इस्लाम ने समाज की हिफाजत के लिए जो हुक्म दिये हैं उन में एक हुक्म ये है कि अजनबी औरतों के साथ तन्हाई में मिलने को हराम कहा गया है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से अजनबी औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से रोका है। जब कि उन के साथ उन का शौहर या दूसरा कोई महरम न हो क्यों कि शैतान नफ्स को भटकाने के फिराक में रहता है।

हैज़ (माहवारी) और नफास के अहकाम (आदेश)

हैज़ का वक्त और अवधि (मुद्दत)

1. अकसर 12 से पचास साल की आयु तक की औरत को हैज आता है और कभी औरत अपने हालात या माहौल और वातावरण के कारण इस से पहले या बाद में भी हैज से होती है।

2. हैज़ की अवधि कम से कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है।

3. हामला (गर्भवती) का हैजः औरत जब हामला होती है तो अकसर हैज का खून नहीं आता है। लेकिन हामला औरत को बच्चे की पैदाइश से दो तीन दिनों पहले खून आये और उस के साथ दर्द भी हो तो यह नफास का खून होगा और अगर ये खून बच्चे की पैदाइश से दो . तीन दिनों पहले बिना दर्द के आये तो यह खून न तो नफास का होगा और न ही हैज का।

4. **हैज़ में पेश आने वाली हालतें या परेशानी**, हैज़ की हालत में पेश आने वाले मामले कुछ इस तरह हैं:

पहली हालतः कमी व बेशी. वैसे तो औरत को हैज़ छह दिन होता है या सात दिन होता है। परन्तु वह छह दिन बाद पाक होती है।

दूसरी हालतः जल्दी या देर से औरतों की माहवारी या तो महीने के आखिर में होती है। या महीने के शुरू में। औरत जब भी खून देखेगी जो हैज के खून के समान है तो वह हैज़ह हाएज़ा है और जब वह खून खत्म हो जाए तो वह पाक हो जाएगी, चाहे उसे यह अपनी आदत से ज़्यादा या कम आये और चाहे पहले आये या बाद में आये।

तीसरी हालतः खून का जर्द या मटमैले रंग का होना अगर खून जख्मों के पानी के रंग का हो या वो जर्द और काले के समान मटमैला हो और यह माहवारी के दौरान आये या उसके बाद पाकी से पहले आये तो वह हैज माना जाएगा और अगर पाकी के बाद आये तो हैज नहीं माना जाएगा

चौथी हालतः हैज में रुकावट। औरत हैज में रुकावट देखे जैसे कि एक दिन खून दिखे और दूसरे दिन न दिखे आदि (वगैरह) इस की भी दो हालतें हैं.

पहली हालतः अगर यह सूरते हाल हमेशा ऐसी ही रहे तो वो हैज का खून होगा और उस पर हैज़ का हुक्म साबित होगा

दूसरी हालतः इस हालत में औरत को बराबर खून न आये। बल्कि कभी कभी खून आये और उसे पाकी का वक्त मालूम हो। अगर एक दिन से कम में खून बन्द हो

तो उसे पाकी नहीं माना जाएगा। या औरत कोइ ऐसी चीज देखे जैसे कि औरत की आदत के अनुसार हैज का खून बन्द होना या सफेद पानी निकलना जो औरत की आदत के अनुसार हैज़ के खत्म होने पर निकलता है।

पाँचवीं हालतः हैज़ में सूखापन

औरत अगर सूखापन के साथ स्राव देखती है तो ये स्राव अगर पाकी से पहले हैज़ के दौरान हो तो ये हैज होगा और अगर ये पाकी के बाद हो तो हैज नहीं होगा।

हायज़ा के लिए हुक्म

1. पहला हुक्मः हैज के दौरान फर्ज और नफिल हर तरह की नमाज़ पढ़ना मना है और न ही उस पर वाजिब है अगर वो एक रकअत नमाज़ पाकी में पा ले पहले या आखिर में तो उस सूरत में उस पर नमाज़ वाजिब हो जाएगी, चाहे वो अव्वल वक्त पाई हो या आखिर वक्त। अव्वल वक्अत की मिसाल ये है कि किसी औरत को सूरज डूबने की एक रकत पढ़ने के वक्त की मुद्दत के बाद हैज आ जाए तो उस पर पाकी के बाद मगरिब की कजा नमाज़ वाजिब हो जाएगी। इस वजह से कि वो हैज़ होने से पहले एक रकअत नमाज़ पढ़ने का समय पाई थी। और आखिरी वक्त की मिसाल ये है कि कोई औरत सूरज उगने से पहले एक रकत नमाज़ पढ़ने तक पाक हो जाए तो पाकी हासिल करने के बाद नमाज़े फजर की कज़ा वाजिब हो जाएगी। क्यों कि उसने फज्र नमाज़ का इतना वक्त पाया है जिस में एक रकअत अदा हो जाए। जहां तक अल्लाह का जिक्र करने, तस्बीह वगैरह पढ़ने, खाने से

पहले बिस्मिल्लाह कहने, किताब या हदीस पढ़ने और दुआ पढ़ने और उन पर अमीन कहने और कुरआन सुन्ने की बात है तो उन में से कोई भी काम हराम नहीं है। हैज के वक्त बगैर छुए कुरआन की जबानी तिलावत करना जायज है। बल्कि जब उसे छूने की जरूरत पड़े, जैसे कुरआन के पेज पलटने के लिए, गलतियों को सही करने के लिए, या दूसरी चीजों के लिए तो किसी ओट से छूने में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर दोनों हाथों में दास्ताने हो या कोई दूसरी ओट हो।

2. दूसरा हुक्मः हायज़ा औरत पर फर्ज और नफिल दोनों तरह के रोजे हराम हैं। बल्कि उस पर फर्ज रोजों की कज़ा वाजिब है। अगर औरत रोजे से है और उस दौरान उसे हैज आ जाए तो उस का रोजा खत्म हो जाएगा, चाहे ये सूरज डूबने से कुछ पहले ही क्यों न हैज़ आये और अगर औरत को सूरज डूबने से पहले हैज का एहसास हो पर हैज सूरज डूबने के बाद जारी हो तो उसका रोजा मुकम्मल होगा। अगर सुबह फज्र के समय औरत हैज से है तो उस दिन का रोजा सही नहीं होगा चाहे वो सुबह फज्र के थोड़ी देर बाद ही पाक क्यों न हो जाए।

3. तीसरा हुक्मः हायज़ा औरत के लिए बेतुल्लाह का तवाफ चाहे वो फर्ज हो या नफिल हराम है। जहां तक दूसरे अफआले हज और उमरा का मसला है, जैसे सफा व मरवा के दौरान सयी करना, मिना में रात गुजारना वगैरह तो उन सभी कामों को अंजाम देना हायजा के लिए हराम नहीं है। इस बुनियाद पर अगर कोई औरत पाकी की

हालत में खाना काबा का तवाफ शुरू करती है और तवाफ के फौरन बाद या सयी के दौरान हैज़ आ जाए तो उस में कोई हर्ज नहीं है।

4. चौथा हुक्मः मस्जिद में बैठनाः हायजा के लिए मस्जिद में बैठना हराम है।

5. पाँचवां हुक्मः हम बिस्तरी शौहर पर हराम है कि वो अपनी बीवी से जिमा करे और औरत पर भी हराम है कि वो अपने शौहर को इस का मौका दे। जिमा के अलावा मर्दों के लिए ऐसे कामों को जायज़ किया गया है, जिससे उसका शहवत खतम हो सके जैसे बोसा लेना, गले लगाना वगैरह।

6. छठा हुक्मः अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक देना शौहर पर हराम है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है और हराम काम करता है। ऐसी सूरत में जरूरी है कि उसको (अक्द) शादी में लौटा ले और उस के पाक होने तक बाकी रखे और चाहे तो फिर तलाक दे। बल्कि बेहतर तो ये है कि दूसरी बार हैज आने का इंतजार करे और उससे पाक होने पर चाहे तो तलाक दे या अपनी शादी में बाकी रखे

7. सातवां हुक्मः गुस्ल का वाजिब होना। हायज़ा औरत पर वाजिब है कि हैज से पाक हो जाए तो वो पूरे बदन की पाकी के लिए गुस्ल करे। सिर के बाल खोलना वाजिब नहीं है। यह तभी करें जब बाल मजबूती से बाँधे हों और बालो की जड़ों तक पानी पहुंचन जाए अगर औरत नमाज़ के वक्त के दौरान पाक हो तो उसे गुस्ल करने में जल्दी

करनी चाहिए ताकि वो नमाज को वक्त पर अदा कर सके। अगर औरत सफर में हो और उसके पास पानी न हो या पानी हो पर उसे इस्तेमाल करने की सूरत न हो या वो बीमार हो और पानी के इस्तेमाल से नुकसान का खतरा हो, ऐसी सूरत में वो गुस्ल के बदले तयम्मुम करेगी और फिर जब वो ठीक हो जाए तो गुस्ल करेगी।

इस्तेहाजा और उस का हुक्म

इसतेहाजा उस खून को कहते हैं जो हमेशा जारी रहता है कभी बन्द नहीं होता है। या बहुत कम दिनों यानी महीने में दो तीन दिनों के लिए रुकता हो और एक दूसरी बात ये है कि जो खून पंद्रह दिनों से ज़्यादा आता है उसे इसतेहाजा कहते हैं मगर ये कि किसी औरत को पंद्रह दिन से ज़्यादा खून आता हो।

मुस्तहाजा की तीन हालत है.

पहली हालतः इसतेहाजा से पहले औरत को हैज की मुद्दत मालूम हो तो ऐसी सूरत में वो पहले हैज़ की मालूम मुद्दत में उस पर हैज के हुक्म साबित होंगे और उस के बाद इसतेहाजा का होगा और उस पर मुस्तहाजा के हुक्म होंगे। मिसाल के तौर पर औरत को हर महीने के शुरू में छह दिनों तक हैज आता था, फिर उसे इसतेहाजा तारी होता हो और उसे बराबर खून आने लगे तो उस के लिए हर महीने शुरू के छह दिन हैज के होंगे और उसके बाद जो खून आयेगा वो इसतेहाजा का होगा, इस बुनियाद पर जिस हायजा को हैज की मुद्दत मालूम होगी उतने समय

वह बैठेगी फिर गुस्ल करके नमाज़ पढ़े और उस वक्त गिरने वाले खून की परवा न करे।

दूसरी हालतः इसतेहाजा से पहले औरत को हैज की मुद्दत मालूम न हो, यानी जब से उसे हैज (माहवारी) का खून आया हो तभी से उसे इसतेहाजा का खून भी आया हो तो ऐसी सूरत में वो हैज और इसतेहाजा के बीच फर्क करेगी। उस का हैज काले रंग का या गाड़ा या बदबूदार होगा तो उस पर हैज का हुक्म साबित होता है और उस के बाद जो खून आयेगा वो इसतेहाजा का खून होगा। इसकी मिसाल ये है कि औरत ने पहली बार जो खून देखा वो ऐसे जारी रहता है। बल्कि वो दोनो खून के बीच फर्क कर सकती है जैसे दस दिन वह काला खून देखती है और महीने के बाकी दिनों में सुर्ख खून देखती है या दस दिन का खून गाढ़ा होता है और महीने के बाकी दिनों का खून पतला होता है या दस दिनों में हैज की बदबू आती है और बाकी महीने में बदबू नहीं आती है तो पहली मिसाल में काला खून वाला, दूसरी मिसाल में गाढ़ा खून और तीसरी मिसाल में बदबूदार खून हैज का होगा और उस के बाद का इसतेहाजा का खून होगा।

तीसरी हालतः औरत को न तो हैज की मुद्दत मालूम हो और न ही वह हैज और इसतेहाजा के बीच फर्क कर पाती हो यानी जब से उस ने खून देखा तभी से खून जारी हो और एक ही जैसा या अलग अलग तरह का हो और शायद वह हैज हो ही न। तो औरत इस बात को माने कि हैज की अवधि हर महीने के छह सात दिन होगी। जब से

खून दिखाई दिया जब से हैज की शुरूआत मानी जाएगी इस के अलावा बाकी दिनों का खून इसतेहाजा होगा।

इस्तेहाजा का हुक्म

मुस्तहाजा के लिए वही हुक्म है जो पाकी के हैं। मुस्तहाजा और पाक औरत के बीच कोई फर्क नहीं है सिवाय उस दौरान आने वाली परेशानियों के।

1. मुस्तहाजा के लिये हर नमाज़ के लिए वुजू जरूरी है।

2. जब वह वुजू करना चाहे तो खून देख लेगी और शर्मगाह पर पट्टी बांधेगी ताकि खून रोका जा सके।

नफास और उस का हुक्म

नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद या दो तीन दिन पहले दर्द के साथ जारी होता है। जब नफास का खून खत्म हो जाए तो औरत पाक हो जाएगी। अगर खून चालीस दिनों तक भी आये तो वो चालीस दिनों बाद गुस्ल कर लेगी।

इस लिए की नफास की अधिक से अधिक मुद्दत चालीस दिनो की है। अगर इस के बाद जारी खून हैज हो तो उससे पाक होने का इंतजार करे और फिर गुसल करेगी।

नफास गर्भ के बाद ही होगा जिस में इन्सान का ढाचां बन चुका हो। अगर वो पैदाइश वाजेह न हो तो वो नफास का खून नहीं होगा बल्कि वो रग का खून होगा और उस का हुक्म मुस्तहजाह का होगा और गर्भ ठहरने के दिनों में

इन्सान की तखलीक अस्सी दीन में वाजेह होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नौवे दीनों में।

नफास के भी वही हुक्म हैं जो हैज के होते हैं जिन को उपर बयान किया गया है:

हैज़ और हमल (गर्भ) को रोकने वाली चीज़ों का इस्तेमाल

औरत के लिए हैज को रोकने वाली दवाइयों का इस्तेमाल दो शर्तों के साथ जायज़ है।

1. पहली शर्त: इस से औरत को नुकसान न पहुंचे अगर हैज रोकने वाली दवा इस्तेमाल करने की सूरत में औरत को नुकसान होता हो तो उस का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं

2. दूसरी शर्त: अगर उस का सम्बन्ध शौहर से है तो शौहर की इजाज़त से किया जाए।

हैज जारी करने वाली दवाइयों के इस्तेमाल की भी दो शर्तें हैं

1. शौहर की इजाज़त

2. इस का मकसद वाजिब इबादतों को छोड़ना न हो, जैसे रोजे छोड़ना या नमाज़ छोड़ देना वगैरह।

हमल रोकने वाली चीज़ों के इस्तेमाल की भी दो शर्तें हैं:

1. इस के इस्तेमाल से हमल ठहरने की हमेशा के लिए रोक दिया जाए तो यह जायज़ नहीं।

2. इस के इस्तेमाल से कुछ वक्त के लिए हमल ठहरने को रोकना, मिसाल के तौर पर अगर औरत को जल्दी जल्दी गर्भ ठहर जाता हो और उससे वह कमजोर हो रही

हो जिस की वजह से वह अपने हमल को दो साल या उस जैसी मुद्दत तक रोकना चाहती हो तो वो जायज़ है। बशर्ते कि उसका शौहर इजाज़त दे दे और उससे औरत को कोई नुकसान न होता हो।

मुख्तसर सीरते नबवी

नुबुवत से पहले अरब के हालात

उस समय अरबों के यहां बुत परस्ती का चलन था। दीने फ़ितरत के खिलाफ़ बुत परस्ती के अपनाने की वजह से उस ज़माने को ज़मानए जाहिलियत का नाम दिया गया। वह लोग अल्लाह को छोड़ कर जिन बुतों की पूजा किया करते थे। उनमें मशहूर लात, उज़्ज़ा, मनात और हुबल हैं अलबत्ता अरबों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहूदियत, नसरानियत या मजूसियत को अपना धर्म मानते थे और बहुत थोड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी जो इबराहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत अर्थात दीने हनीफ़ के मानने वाले थे

जहां तक आर्थिक जीवन की बात है तो गांव के लोगों का आर्थिक जीवन मुकम्मल तौर पर जानवरों से हासिल होने वाली दौलत पर निर्भर था जिन्हें लोग चराया करते थे और शहर में बसने वाले लोगों का जीवन खेती बाड़ी और तिजारत पर निर्भर था। इस्लाम के आगमन के कुछ दिनों पहले तक मक्का अरब का सबसे बड़ा तिजारती शहर था और कुछ स्थान ऐसे भी थे जैसे मदीना और ताइफ़ जहां निर्माण से संबंधित तहज़ीब भी मौजूद थी अलबत्ता सामाजिक जीवन का बुरा हाल था। जुल्म व अत्याचार,

क़त्ल व मारकाट हर ओर फैला हुआ था। इनमें कमज़ोरों को हक़ से महरूम रखा जाता था, बच्चियों को ज़िन्दा गाड़ दिया जाता था, असमतें रौंदी जाती थीं। ताक़तवर लोग कमज़ोरों का हक़ खा जाया करते थे। वे लोग जितनी चाहे शादियां किया करते थे। बदकारी फैली हुई थी और मामूली मामूली बातों पर क़बीलों और कभी–कभी एक ही क़बीले के लोगों के बीच जंगें छिड़ जाया करती थीं।

इस्लाम के आने से पहले अरब की हालत का यह एक सरसरी जायज़ा है।

इब्ने ज़बीहैन (दो ज़बीहों का बेटा) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब की अधिक औलाद और मालदारी पर कुरैश गर्व किया करते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने नज़्र मानी कि यदि अल्लाह उन्हें दस लड़के प्रदान करेगा तो माबूदों की समीपता हासिल करने के लिए उनमें से एक लड़के को ज़बह कर देंगे। उन्होंने जो सोचा था वही हुआ। उनके दस लड़के पैदा हुए जिनमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप अब्दुल्लाह भी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब नज़्र पूरी करनी चाही तो उन्होंने अपने बेटों के बीच कुर्आ अन्दाज़ी (पर्चियां डाल कर नाम निकालना) की तो उसमें अब्दुल्लाह का नाम आया। उन्होंने अब्दुल्लाह को ज़बह करना चाहा तो लोगों ने इस काम से मना कर दिया ताकि बाद में यह चीज़ सुन्नत न बन जाए।

इसके बाद अब्दुल्लाह और दस ऊंटों के बीच पर्चियां डाली गयीं तो उसमें भी अब्दुल्लाह ही का नाम निकला। फिर

ऊंटों की तादाद बढ़ा दी तो उसमें भी उनका ही नाम निकला। इस प्रकार हर बार ऊंटों की तादाद बढ़ाने लगे। हर बार उसमें अब्दुल्लाह ही का नाम आता था। इस तरह करते करते ऊंटों की तादात सौ हो गयी तो इस बार ऊंट का नाम निकला तो अब्दुल मुत्तलिब ने सौ ऊंटों को ज़बह कर दिया और अपने बेटे अब्दुल्लाह की ओर से इन ऊंटों का फ़िदया दिया।

अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के सबसे चहेते बेटे थे। खास तौर से फ़िदया देने के बाद। जब अब्दुल्लाह बड़े हुए तो उनके बाप ने बनू ज़ोहरा की एक लड़की आमिना बिन्त वहब को चुना और आपकी उनसे शादी करा दी। आमिना का हमल ठहरा उनके तीन महीने के बाद अब्दुल्लाह तिजारती क़ाफिले के साथ मुल्क शाम चले गए। वापसी में बीमारी का शिकार हो गए तो उन्होंने मदीना में बनू नज्जार से तअल्लुक़ रखने वाले अपने मामूज़ाद भाई के यहां क़याम किया। इसी दौरान वहीं पर उनकी मौत हो गयी और वे दफ़न कर दिए गए।

हमल के महीने पूरे हो गए और आप पीर के दिन पैदा हुए, अलबत्ता आपकी पैदाइश के दिन और महीने की सही बात मालूम नहीं है। एक कथन है कि आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। दूसरा कथन है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तीसरा कथन यह है कि रमज़ान के महीने में पैदा हुए और इसके अलावा भी बहुत से कथन हैं। आपकी पैदाइश 571 ईसवीं में हुई, इस साल को आमुल फ़ील के नाम से भी याद किया जाता है।

क़िस्सए फ़ील (हाथियों का क़िस्सा) अबरहा हबशी जो यमन में शाह हबशा नजाशी का नायब था, देखा कि अरब मक्का में मौजूद खाना काबा का हज करते हैं और उसका सम्मान करते हैं और दूर दूर के इलाक़ों से आकर वहां फ़िदिया पेश करते हैं तो उसने सनआ में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया, ताकि वह अरब के हाजियों का रुख़ उसकी तरफ़ मोड़ सके। इस बात का पता क़बाइल अरब में से एक क़बीला बनू कनाना के किसी आदमी को लगा तो वह रात में वहां गया और उसकी दीवारों को गन्दगियों से खराब कर दिया। अबरहा को जब इस बात का पता चला तो वह भड़क गया और बहुत अधिक नाराज़ हुआ। उसने एक बड़ा लशकर तैयार किया जिसमें 60 हजार सैनिक थे उनके साथ 9 हाथी थे, अबरहा इस लशकर को लेकर खाना काबा को ध्वस्त करने के इरादे से मक्का की ओर चल पड़ा। अपने लिए उसने एक बड़ा हाथी चुना। उसने अपने लशकर को मक्का में दाखिल होने के लिए तैयार किया लेकिन हाथी बैठ गया और आगे नहीं बढ़ा। वे लोग उसका रुख दूसरी ओर करते तो उठ कर चलने लगता और काबा की तरफ़ करते तो बैठ जाता।

इसी हाल में थे कि अल्लाह ने उन पर अबाबील चिड़ियों को भेजा, जो उन पर छोटे–छोटे पत्थर बरसा रही थीं जिनको जहन्नम की आग में तपाया गया था। हर चिड़िया तीन पत्थर लिए हुए थी। एक पत्थर अपनी चोंच में, और चने की तरह दो पत्थरों को अपने पांव में, ये पत्थर जिसको लगते, उसके जिसमानी अंग कटकर गिरने लगते और उसके बाद वह मर जाता था। अतएव वे लोग रास्ते

में गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। अबरहा को अल्लाह ने एक बीमारी का शिकार बना दिया जिससे उसकी उंगलियां गिर गयीं और वह सनआ तक नहीं पहुंच सका की वह हलाक हो गया। उस समय कुरैश इस लशकर से डर कर अलग अलग घाटियों में बिखर गये थे और पहाड़ों में जा छुपे थे। जब वह लशकर अज़ाब का शिकार हो गया तो वे सही और ठीक ठाक अपने घरों में वापस लौट आए।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पचास दिन पहले यह घटना घटित हुई थी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत

जब आपकी पैदाइश हुई तो आपके चचा अबू लहब की बान्दी ने आपको दूध पिलाया। इससे पहले उन्होंने आपके चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजियल्लाहु अन्हु को भी दूध पिलाया था। इस तरह से वे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हुए। चूंकि अरबों का दस्तूर था कि वे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहाती औरतों को तलाश किया करते थे ताकि उनकी अच्छे ढंग से जिसमानी परवरिश हो सके। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दूध पिलाने वाली औरत के पास पहुंच गए। जिस समय आपकी पैदाइश हुई मक्का में बनु साअद की औरतों का एक गिरोह आया ताकि दूध पिलाने के लिए बच्चों को तलाश करे। औरतें घरों में घूमने लगीं। सभी औरतें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी और आपकी फ़क़ीरी की वजह से आप से मुंह मोड़ रही थी। जिन औरतों ने आप से मुंह मोड़ा था उनमें

हलीमा साअदिया भी थी लेकिन अधिकांष घरों का चक्कर काटने के बावजूद उन्हें खुशहाल खानदान का कोई बच्चा नहीं मिल सका, जिसे अपने साथ ले जा सकें ताकि उसकी मज़दूरी से तंगदस्ती और फ़क़ीरी को कम कर सकें। जबकि इस साल अकाल भी पड़ा हुआ था।

अतएव वे वापस आमिना के घर पहुंची और यतीम बच्चे और कम मज़दूरी को ही कुबूल कर लिया। हलीमा अपने पति के साथ एक दुबली पतली सुस्त रफ़तार गधी पर बैठ कर मक्का आयी थीं। वापसी के मौक़े पर जैसे ही रसूल अकरम को अपनी गोद में रखती हैं गधी तेज़ रफ़तारी के साथ दौड़ने लगती है और तमाम जानवरों को पीछे छोड़ देती है जिसे देखकर रास्ते के साथी और मिलने जुलने वाले हैरत में पड़ जाते हैं। इसी तरह दाई हलीमा बयान करती हैं कि उनकी छाती से बहुत ही कम दूध निकलता था जिसके कारण उनका बच्चा हमेशा भूख की तकलीफ़ से रोया करता था।

लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाना शुरु किया, दूध का फ़व्वारा बह पड़ा। इसी तरह से हलीमा बनू साअद की ज़मीनों के बंजर व खुश्क होने का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि जैसे ही उन्हें उस बच्चे को दूध पिलाने का गौरव हासिल हुआ, बनू साअद की ज़मीनें हरी भरी हो गयीं और जानवर बच्चा देने लगे। पहले की हालत यकायक बदल गयी और फ़क़ीरी व मोहताजी की जगह खुशहाली व आसाइश ने ले ली।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो साल तक हलीमा साअदिया के पास रहे वे आप को अपने यहां और रखने की इच्छुक थी क्योंकि वे बहुत सी विचित्र चीज़ें और हालतें इस बच्चे की वजह से पेश आते हुए देख रही थीं। दो साल पूरे होने पर हलीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी मां और दादा की सेवा में हाज़िर हुईं। इससे पहले हलीमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत को देखा था जिसने उनके हालात बदल दिए थे। इसी वजह से उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी बार अपने साथ ले जाने के लिए आमिना से आग्रह किया। अतएव आमिना ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी। हलीमा यतीम बच्चे को अपने साथ लिए क़बीला बनू साअद पहुंचीं। वे बड़ी खुश थीं और अपने सौभाग्य पर खुशी महसूस कर रही थीं।

शक़्क़े सदर की घटना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चार साल के हुए थे। आप एक दिन अपने रज़ाई भाई (हलीमा के बेटे) के साथ खेमों पर खेल रहे थे कि हलीमा का बेटा दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर भय की अलामतें नज़र आ रही थीं, उसने अपनी मां से अपने कुरैशी भाई को तलाश करने को कहा। हलीमा ने पूरी घटना के बारे में सवाल किया तो उसने बताया : ‘‘मैंने दो लोगों को सफेद कपड़ों में देखा, उन्होंने हमारे कुरैशी भाई को हम लोगों के बीच से पकड़ा और लिटाकर उसका सीना चाक किया, इस से पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, हलीमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

की तरफ़ दौड़ीं। उन्होंने देखा कि आप खड़े थे और हरकत नहीं कर रहे थे। आपका चेहरा ज़र्द हो रहा था और रंग उड़ा हुआ था। हलीमा ने आप के साथ पेश आई घटना के बारे में पूछा तो आपने बताया कि सब कुछ ठीक है और बताया कि आपके पास सफ़ेद कपड़े पहने हुए दो लोग आए और उन्होंने पकड़ कर आप का सीना चाक कर दिया। आपके दिल को निकाला और उसके सियाह धब्बे को निकाल कर फेंक दिया और दिल को ठंडे पानी से धोया और फिर उसे पेट में रख दिया। इसके बाद आपके सीने पर हाथ फेरा, फिर वे लोग चले गए और ग़ायब हो गए

हलीमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेमे में लायीं और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी मां की सेवा में जा पहुंचीं उन्हें उस समय देखकर आमिना को बड़ी हैरत हुई क्योंकि हलीमा बच्चे को अपने पास रखने की इच्छुक थीं। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां ने इस की वजह मालूम की तो उन्होंने शक़्क़े सदर की पूरी घटना बयान कर दी।

आमिना अपने यतीम बच्चे को लेकर क़बीला बनू नज्जार के अपने भाइयों से मुलाक़ात के लिए मदीना चली गयीं और वहीं कई दिन तक ठहरीं। वापसी की राह में अबवा नामक स्थान पर उनका इन्तिक़ाल हो गया और वहीं दफ़न कर दी गयीं।

6 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली और

आपको बड़े प्यार व मुहब्बत से रखा। लेकिन जब आप आठ साल के हुए तो आपके दादा भी वफ़ात कर गए तो उनके बाद चचा अबू तालिब ने अधिक संतान होने और माल व दौलत की कमी के बावजूद आपकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी संभाली। उन्होंने और उनकी पत्नी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने बेटे जैसा सुलूक किया। यही वजह है कि यह यतीम अपने चचा जान से बड़ी हद तक घुल मिल गया था। इसी माहौल में आप की पहली तर्बियत शुरु हुई और सच्चाई और अमानतदारी पर आपका लालन पालन हुआ यहां तक कि ये दोनों खूबियां आपका लक़ब हो गयीं। जब कहा जाता कि ''अमीन आ गए या ''सादिक आ गए तो इससे लोग समझ जाते कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो अपने जीवन के मामले और खाने कमाने के तअल्लुक़ से स्वयं अपने आप पर भरोसा करने लगे और थोड़े माल के बदले कुरैशियों की बकरियां चराने का काम भी किया।

मुल्क शाम का सफ़र करने वाले एक तिजारती क़ाफिले में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्कत की थी। इसमें खदीजा रजियल्लाहु अन्हाका बहुत ज़्यादा माल लगा हुआ था। खदीजा बहुत ही मालदार विधवा औरत थीं। इस तिजारती क़ाफिले में खदीजा के माल के वकील और दूसरे कामों का ज़िम्मेदार उनका सेवक मैसरा था। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और इमानदारी की वजह से तिजारत में बहुत अधिक लाभ हुआ। इस तरह का लाभ इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

खदीजा ने अपने सेवक मैसरा से इतने ज्यादा लाभ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सामान दिखाने और बेचने की ज़िम्मेदारी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अपने सर ली, जिसे देखकर बड़ी तादाद में लोग उनके पास आए तो इस तरह से जुल्म के बिना बहुत अधिक लाभ हासिल हुआ।

खदीजा ने अपने सेवक मैसरा की बातों को ध्यान से सुना। वे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे मे पहले से कुछ जानती भी थीं लेकिन यह घटना सुन कर उनकी पसन्दीदगी में इज़ाफ़ा हो गया। उसी समय रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की इच्छा उनके दिल में पैदा हुई। उन्होंने अपने एक क़रीबी रिश्तेदार को रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में भेजा ताकि इस बारे में आपकी राय से उन्हें आगाह करें। उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। अतः वह औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुई और उसने खदीजा की तरफ़ से शादी का पैग़ाम रखा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वीकार कर लिया। इस तरह यह शादी हो गयी और इनमें से हरेक दूसरे को पाकर खुश हुए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की दौलत की देखभाल की ज़िम्मदारी संभाल ली। आपने इस मैदान में अपनी सूझ बूझ और योग्यता साबित कर दी। इस तरह कई साल गुज़र गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा के कई औलाद हुई। लड़कियों में ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रजियल्लाहु

अन्हाथीं और लड़कों में क़ासिम और अब्दुल्लाह थे जो कम उम्र ही में वफ़ात पा गए।

नुबुवत

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही चालीस साल की उम्र के क़रीब हुए, आप मक्का के मश्रिक़ में मौजूद पहाड़ की हिरा नामक गुफ़ा के अन्दर एकान्त में अकेले रहने लगे। आप कई दिन और कई रातें उसी गुफ़ा में गुज़ारते और अल्लाह की इबादत करते। इक्कीसवीं रमज़ान को आप गुफ़ा ही में थे जबकि आपकी उम्र चालीस साल थी आपकी सेवा में जिबरईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और आप से कहा ''पढ़िए आपने कहा: ''मैं पढ़ना नहीं जानता। जिबरईल अलैहिस्सलाम ने यही बात दूसरी और तीसरी बार कही। तीसरी बार उन्होंने कहा: पढ़िए...

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) ﴾. [العلق].

इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इन्सान मिन अलक़, इक़्रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इन्सान मालम यालम

वहां से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। इस घटना के बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा गुफ़ा में ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाए। अतः घर लौट आए। अपनी पत्नी खदीजा

रजियल्लाहु अन्हाके पास गए। उस समय आपका दिल कांप रहा था। आपने कहा : ''मुझे चादर उढ़ादो, मुझे चादर उढ़ा दो खदीजा रजियल्लाहु अन्हाने आप पर चादर डाल दी। कुछ देर बाद आप की घबराहट कम हुई दिल से डर जाता रहा। आपने खदीजा रजियल्लाहु अन्हासे पूरी घटना बयान की और कहा ''मुझे अपनी जान के तअल्लुक़ से ख़तरा व अन्देशा होने लगा था खदीजा रजियल्लाहु अन्हाने कहाः ''कदापि नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता, आप रिष्ते नाते को जोड़ते हैं, लाचारों की मदद करते हैं, ग़रीबों को नवाज़ते हैं, मेहमानों की मेहनवाज़ी करते हैं और मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं।

कुछ मुद्दत के बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिरा गुफ़ा पर पहुंचे ताकि आप अपनी इबादत को जारी रख सकें। जब इबादत कर चुके तो मक्का वापस होने के इरादे से गुफ़ा से निकले। जब बीच वादी में पहुंचे तो आपको जिबरईल अलैहिस्सलाम दिखाई दिए। वे आसमान व ज़मीन के बीच कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस अवसर पर उन्होंने आप तक यह वहय पहुंचायीः

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (المدثر1.5)

या अय्युहल मुद्दस्सिर. कुम फ़अन्ज़िर वरब्बक फ़कब्बिर. व सियाबक फ़तहहिर. वर्रुज ज़ फ़हजुर (सूरह अल मुद्दस्सिर, आयत 1–5)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत आरंभ की तो ईमान की दावत को सबसे पहले आपकी

योग्य और अक़लमन्द पत्नी खदीजा ने स्वीकार किया। उन्होंने अल्लाह के एक होने का इक़रार किया और अपने पति की नुबुवत की गवाही दी। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम स्वीकार किया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगरी दोस्त अबू बक्र से इस दावत को बयान किया तो वे भी ईमान ले आए और खुलकर तसदीक़ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान, जिन्होंने आपकी मां और दादा की वफ़ात के बाद आपकी किफ़ालत और लालन पालन की ज़िम्मेदारी संभाली थी, उनके एहसानों की भरपाई करने के मक़सद से उनके बच्चों में से अली रजियल्लाहु अन्हु को पालने के मक़सद से अपने पास ही रखा था, अतएव अली रजियल्लाहु अन्हु ने ईमान के माहौल में आँखें खोलीं और इस दावत को स्वीकार किया। उसके बाद खदीजा के सेवक ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम स्वीकार किया।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार खुफ़िया तौर पर दावत देते रहे और लोग इस्लाम को पोशीदा रखते रहे। क्योंकि जिसके इस्लाम स्वीकार करने की बात कुरैश को मालूम हो जाती, उसे वे लोग इस्लाम से अलग करने के लिए सख़्त क़िस्म की यातनाएं दिया करते थे

एलानिया दावत

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन सालों तक खुफ़िया अन्दाज़ में व्यक्तिगत तौर पर लोगों को

दावत देते रहे। इसके बाद अल्लाह ने कुरआन मजीद की यह आयत उतारी

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر:٩٤]

जिस बात का आप को हुक्म दिया जा रहा है उसे खोलकर सुना दिजीए और मुशिरकीन से मुह फेर लिजीए (सूरह अल हिज्र आयत 94)

तो एक दिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर मक्का वालों को आवाज़ लगाने के लिए खड़े हुए आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग जमा हो गए जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आगे आगे था। जब आपके पास लोग जमा हो गए तो आपने फ़रमायाः

देखो यदि मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे दुशमन घात लगाकर बैठा हुआ है तो क्या तुम मेरी बात की तसदीक़ करोगे?

तमाम लोगों ने कहाः "हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। आपने कहाः "मैं तुम्हें एक दर्दनाक अज़ाब से डरा रहा हूं। इसके बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत, अल्लाह की इबादत और बुतों की पूजा को छोड़ने की दावत देने लगे। लोगों के बीच से अबू लहब बाहर निकला और कहाः "तुम बर्बाद हो क्या तुमने हमें इसी वजह से

जमा किया है? इस अवसर पर अल्लाह ने एक सूरह उतारी जो क़ियामत तक पढ़ी जाती रहेगी

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (المسد)

तब्बत यदा अबी लह बिवं व तब्ब . मा अग़ना अन्हु मा लुहु वमा कसब सयसला नारन ज़ात लह बिवं वमरअतुहू हम्मा लतल हतब . फीजीदिहा हब्लुम्मिम्मसद (सूरह मसद)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को जारी रखा और आपने लोगों के जमा होने की जगहों पर खुलकर दावत देना शुरु कर दिया। आप काबा के क़रीब नमाज़ पढ़ा करते थे। लोगों की मज्लिसों में आते, मुश्रिकों के बाज़ारों में तशरीफ ले जाते, ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दे सकें। आप को काफ़िरों की यातनाओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, इसी तरह से आप पर जो लोग ईमान लाए थे, काफ़िरों की यातनाएं उन पर बढ़ गयीं। इन्हीं में यासिर, सुमय्या और उनके बेटे अम्मार की यातनाएं भी हैं कि यासिर व सुमय्या यातनाओं की कठोरता की वजह से शहीद हो गए। सुमय्या इस्लाम में सबसे पहली शहीद महिला हैं। इसी तरह बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को उमय्या बिन खल्फ़ और अबू जहल के हाथों सख्त तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा। बिलाल रजियल्लाहु अन्हु अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु की कोशिशों से इस्लाम में दाखिल हुए थे जिसका उमय्या बिन खल्फ़ को पता लगा तो उसने यातनाओं और तकलीफों की सारी

हदें तोड़ दीं ताकि वे इस्लाम को छोड़ दें लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार कर दिया और अपने दीन पर क़ायम रहे

अतएव उमय्या बेड़ियों में जकड़ कर आपको मक्का के बाहर ले जाता और आपको गर्म रेत पर लिटा कर आपके सीने पर बड़ा भारी पत्थर रख दिया करता था। इसके बाद स्वयं वह और उसके दूसरे आदमी को कोड़ों से मारा करते थे। इस दौरान बिलाल ''अहद अहद अर्थात अल्लाह एक है, अल्लाह एक है कहा करते थे। एक दिन बिलाल रजियल्लाहु अन्हु इसी हाल में थे कि उनके पास से अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु का गुज़र हुआ तो उन्होंने बिलाल रजियल्लाहु अन्हु को उमय्या से खरीद लिया और उन्हें अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं मुसीबतों और परेशानियों की वजह से मुसलमानों को इस्लाम खुल कर ज़ाहिर करने से मना किया करते थे और इसी तरह उन्हें खुफिया तौर पर जमा किया करते थे, क्योंकि यदि आप उनको एलानिया तौर पर जमा करते तो शिर्क में मस्त लोग रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शिक्षा व रहनुमाई के बीच आड़े आ जाते और इससे दोनों गिरोहों के दरमियान जंग छिड़ जाती जो कि मुसलमानों की कम तादाद व बेसरो सामानी की वजह से मुसलमानों के विनाश और बर्बादी का कारण बन जाती अतएव हिकमत का तक़ाज़ा यही था कि दावत को खुफ़िया रखा जाए। जहां तक रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो आप कुरैश के काफ़िरों की

यातनाओं और अत्याचारों के बावजूद एलानिया तौर पर दावत और इबादत को मुश्रिकों के सामने अंजाम दिया करते थे।

हबशा की ओर हिजरत

जिन लोगों के इस्लाम का मामला स्पष्ट हो जाता। जो कमज़ोर होते, मुश्रिकीन उन्हें बराबर कष्ट व यातनाएं देते रहते थे। यह देख कर सहाबा किराम ने अपने दीन के साथ हबशा के शाह नजाशी के पास हिजरत कर जाने की इजाजत चाही, इस उम्मीद पर कि उसके पास सुख शान्ति का जीवन गुजार सकेंगे, खास तौर पर तब जबकि बहुत से मुसलमानों को कुरैश से अपनी जान व माल का खतरा पैदा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिजरत की इजाज़त दे दी। यह नबी बनाए जाने के पांच साल बाद की बात है।

इस अवसर पर लगभग सत्तर मुसलमानों ने अपने घर वालों के साथ हिजरत की जिनमें उसमान रजियल्लाहु अन्हु , उनकी पत्नी रुक़य्या बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थीं। कुरैशियों ने वहां भी अर्थात हबशा में भी उनके रहने सहने को खतरे में डालने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने बादशाह की सेवा में तोहफ़े भेजे और उससे मांग की कि इन भगौड़ों को उनके हवाले कर दे और उससे कहा कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां को गालियां देते हैं। जब बादशाह ने मुसलमानों से इस बाबत मालूम किया तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे मे कुरआन जो कहता है उन सारी चीज़ों को पेश

कर दिया और हक़ को पूरे तौर पर बयान कर दिया और उसके सामने सूरह मरयम की तिलावत की। अतएव शाह नजाशी ने मुसलमानों को अमान प्रदान की और उन्हें मुश्रिकों के हवाले करने से इन्कार कर दिया और वह स्वयं ईमान की दौलात से मालामाल हुआ और अपने इस्लाम लाने का एलान कर दिया।

इसी साल रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में लोगों के बीच तशरीफ़ ले गए और उनके बीच खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत करने लगे। वहां कुरैश के लोगों की एक बड़ी जमाअत मौजूद थी। उन काफ़िरों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरआन न सुनने की अपनी लगातार वसीयत व नसीहत की वजह से इससे पहले कुरआन करीम की तिलावत कभी नहीं सुनी थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह की उनके सामने तिलावत की और अल्लाह का कलाम उनके कानों से टकराया तो उनमें से हर व्यक्ति इसे ध्यान से सुनने लगा, उस समय उनके दिल में इसके सिवा कोई दूसरा विचार नहीं था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयते करीमा **فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا** [النَّجم:٦٢]. (सूरह अन नजम आयत 62) की तिलावत की तो आपने सज्दा किया और फिर ग़ैर इख़्तियारी तौर पर सारे लोग सज्दे में गिर पड़े।

कुरैश के लोग बराबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का विरोध करते रहे और इस

सिलसिले में उन्होंने विभिन्न साधनों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने मुसलमानों को यातनाएं दीं, तरह तरह से परेशान किया धमकियां दीं और तरह–तरह का लालच भी दिया। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने दीन के दामन को और अधिक मज़बूती से थामा और इस्लाम लाने वालों की तादाद बढ़ती ही गयी। उन्होंने इस्लाम के विरोध का एक नया तरीक़ा अपनाया और वह यह है कि एक सहीफ़ा लिखा और सारे लोगों ने उस पर दस्तख़त किए और उसे काबे के अन्दर लटका दिया। उन लोगों ने इसमें मुसलमानों और बनू हाशिम से पूरे तौर पर सामाजिक बायकाट करने की सन्धि की। अतएव उनके साथ खरीद व फरोख्त, शादी विवाह, सहयोग और किसी भी तरह का मामला नहीं किया जा सकता था।

इसकी वजह से मुसलमान मक्का से निकल कर एक घाटी ‘‘शेअबे अबू तालिब में जाने पर मजबूर हो गए। वहां मुसलमानों को सख्त मुसीबतों से दो चार होना पड़ा और वे भूख व तंग दस्ती से दो चार हुए। मालदार लोगों ने अपना सारा माल खर्च कर दिया। खदीजा रजियल्लाहु अन्हाने भी अपना पूरा माल खर्च कर दिया और उनके बीच बीमारियां फैल गयीं और उनमें से बहुत से लोग मौत के किनारे पर पहुंच गए, लेकिन वे लोग जमे रहे और सब्र करते रहे और उनमें से एक आदमी भी दीन इस्लाम से अलग नहीं हुआ। यह पाबन्दी तीन सालों तक क़ायम रही यहां तक कि कुछ कुरैशी लोग उठे जिनकी बनू हाशिम से रिष्तेदारियां थी और सहीफे में दर्ज सन्धि को तोड़ दिया और लोगों के बीच इस बात का एलान कर दिया।

जब कुरैश के लोगों ने सहीफ़े को निकाला तो देखा कि दीमक उसे खा गयी थी और ''बिइस्मिक अल्लाहुम्म के सिवा उसमें कुछ भी बाक़ी नहीं था। इस तरह से मुसलमानों को मुसीबत से नजात मिली और मुसलमान बनू हाशिम मक्का वापस लौट आए लेकिन फिर भी कुरैश के लोग मुसलमानों की दुश्मनी पर बराबर जमे रहे।

शोक भरा साल

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के जिस्म के अलग–अलग अंगों में सख्त बीमारी पैदा हो गयी और वे बिस्तर पर पड़ गए। जब वे मौत की सख्तियों को झेल रहे थे और उनके पास बहुत कम समय बचा था, उस समय रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिस्तर पर सर के पास इस उम्मीद में बैठे थे कि वे मौत से पहले **''लाइलाह इल्लल्लाह** का इक़रार कर लें, लेकिन उनके पास बैठे हुए उनके बुरे साथी जिनमें अबू जहल भी था, ने ऐसा करने से मना किया। वे लोग कह रहे थे कि क्या तुम अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दोगे? क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से मुंह मोड़ लोगे? ये लोग बराबर यही बात कहते रहे, यहां तक कि उनका इन्तिक़ाल शिर्क पर हो गया। तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा के तअल्लुक़ से दोहरा ग़म हुआ, क्योंकि वे कुफ्र की हालत में दुनिया से रुख्सत हुए। अबू तालिब की वफ़ात के लगभग दो महीने बाद खदीजा रजियल्लाहु अन्हाइस दुनिया से कूच कर गयीं, जिन का रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

को बहुत ही ज़्यादा दुख व पीड़ा हुई और आपके चचा अबू तालिब और आपकी पत्नी खदीजा रजियल्लाहु अन्हाके इन्तिक़ाल के बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी क़ौम की यातनाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ौतरी हो गयी।

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ में

कुरैशी बराबर सरकशी ज़ोर आज़माई और मुसलमानों को तकलीफ़ देने पर तैयार रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ जाने के बारे में सोचा, इस उम्मीद से कि शायद अल्लाह तआला उन्हें इस्लाम लाने की हिदायत दे दे। ताइफ़ का सफ़र कोई मामुली बात नहीं थी इस वजह से कि ताइफ़ के ऊंचे.ऊंचे पहाड़ों की गोद में स्थित होने की वजह से रास्ता बड़ा ही कठिन है लेकिन ताइफ़ वालों का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत और आपकी दावत को ठुकरा देना बड़ा ही बुरा था। उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना बल्कि आपको भगा दिया और आपके पीछे आवारा बच्चों को लगा दिया। उन बच्चों ने आपको पत्थरों से मारा, यहां तक कि आपकी दोनों ऐड़ियां खून से लत पत हो गयीं। अतएव मक्का की ओर वापसी के इरादे से लौट पड़े। उस समय आप हद दर्जा निराश, दुखी और पीड़ित थे। इस दौरान आपकी सेवा में जिबरईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उनके साथ पहाड़ों का फ़रिष्ता भी था।

जिबरईल अलैहिस्सलाम ने आप से कहा कि अल्लाह ने पहाड़ों के फ़रिष्ते को आपकी सेवा में भेजा है ताकि आप

जो चाहें इसे हुक्म दें। पहाड़ों के फ़रिष्ते ने कहाः ‘‘ऐ मुहम्मद! यदि आप चाहें तो मैं इन्हें दोनों पहाड़ों के बीच रख कर पीस दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ‘‘नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्ल में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो केवल अल्लाह ही की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धैर्य और सब्र और अपनी क़ौम की तरफ़ से तकलीफ़ें झेलने के बावजूद उनसे प्यार व मुहब्बत का यह बहुत बड़ा नमूना है

चाँद के दो टुकड़े होने की घटना

मक्का के मुशरिक विभिन्न तरीक़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैर व वाद विवाद पर तैयार रहते थे। उनमें से एक यह था कि वे आपकी रिसालत के सबूत के लिए मोजिज़ात की मांग किया करते थे। उन्होंने इस बात की मांग कई बार की। एक बार उन लोगों ने आप से चाँद को दो टुकड़ा करने को कहा। आपने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उनको दिखाने के लिए चाँद के दो टुकड़े करके दिखा दिए। क़ुरैश ने लम्बे समय तक इस चीज़ का मुशाहेदा किया, लेकिन वे ईमान से सरफ़राज़ नहीं हुए। उन्होंने यह कहना शुरु कर दिया कि मुहम्मद ने हमारे ऊपर जादू कर दिया था। एक व्यक्ति ने कहाः ‘‘यदि उसने तुम लोगों पर जादू कर दिया था तो वह सभी लोगों पर तो जादू कर नहीं सकता है। अतएव सफ़र से आने वालों का इन्तिज़ार करो। जब कुछ सफ़र करने वाले वापस आए और इस घटना के बारे में पूछा गया तो

उन्होंने कहा, कि हां हमने इस चीज़ का मुशाहिदा किया था। इसके बाद भी कुरैश अपने कुफ्र पर जमे रहे।

इसरा और मेअराज

ताइफ़ से वापसी और वहां यातनाओं और तकलीफ़ों को सहन करने, अबू तालिब की वफ़ात और खदीजा रजियल्लाहु अन्हाके इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कई तरह की मुसीबतें जमा हो गयीं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने दिलासा दिया। एक रात जबकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। आपके पास जिबरईल अलैहिस्सलाम बुराक़ जानवर के साथ आए। बुराक़ घोड़े की तरह एक जानवर है जिसके दो बाजू होते हैं और यह बिजली की रफ़्तार से दौड़ता है। अतएव जिबरईल अलैहिस्सलाम ने उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया और उन्हें लेकर फ़लस्तीन में मौजूद बैतुल मक़्दिस ले गए। फिर वहां से उन्हें लेकर आसमान पर चढ़े। वहां आपने अपने रब की निशानियों में से बहुत सारी चीज़ों को देखा। आसमान ही पर पांच समय की नमाज़ें फ़र्ज़ की गयीं। अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमा

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الإسراء:١]

पक है वह जात जिसने अपने बन्दे को रात ही रात में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा की सैर कराई जिसके

आस पास को हम बरकत वाला बना रखा है ताकी उसे हम अपनी निशानीयां दिखाएं बेशक वह सुनने और देखने वाला है (सूरह बनी इसराइल आयत 1)

सुबह हुई तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी घटना को लोगों से बयान करना शुरु किया जिसकी वजह से काफ़िरों के झुठलाने और उपहास उड़ाने में इज़ाफ़ा हो गया। उसी समय मौजूद लोगों में से किसी ने आपको विवश करने के मक़सद से बैतुल मक़्सिद की विशेषताएं बयान करने को कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके एक एक हिस्से की विशेषता को बयान करना शुरु कर दिया।

मुश्रिकों ने इन सवालों पर ही बस नहीं किया बल्कि उन लोगों ने कहा कि हमें कोई दूसरी दलील चाहिए। आपने फ़रमायाः कि मेरी मुलाक़ात मक्का की तरफ़ आने वाले एक काफ़िले से हुई। आपने आने का समय बताया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें सच साबित हुईं। मगर काफ़िर अपनी दुश्मनी, बैर और न मानने की वजह से गुमराह हुए। मेअराज ही की सुबह जिबरईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुए और आप को पांचों नमाज़ों की कैफ़ियत और उनके समय बताए। इससे पहले नमाज़ दो रकअत सुबह में और दो रकअत शाम में मशरूअ थी।

इस मुद्दत में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को केवल मक्का आने वालों तक सीमित रखा जबकि कुरैश बराबर हक़ से मुंह मोड़ते रहे। नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाफ़िलों से उन की क़यामगाहों में मिलते और उन्हें इस्लाम की दावत देते और उनके लिए इस्लाम की व्याख्या करते। आपका चचा अबू लहब आपके पीछेपीछे जाता और लोगों को आप से और आप की दावत से डराता था। एक बार रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वालों की एक जमाअत के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन लोगों ने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना और आपकी पैरवी करने और आप पर ईमान लाने पर सहमति ज़ाहिर की। मदीना वाले यहूदियों से सुना करते थे कि एक नबी के आने का समय क़रीब आ चुका है।

जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दावत पेश की तो वे लोग समझ गए कि यही वह नबी हैं जिसका ज़िक्र यहूदी किया करते थे अतएव उन्होंने इस्लाम कुबूल करने में जल्दी की और कहा कि इस मामले में यहूदी तुम से आगे न बढ़ जाएं। ये 6 लोग थे। दूसरे साल मदीना के बारह लोग तशरीफ़ लाए। वे लोग रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए तो आपने उनको दीन इस्लाम की बातें सिखायीं और जब वे मदीना वापस जाने लगे तो उनके साथ मुसअब बिन उमैर रजियल्लाहु अन्हु को कुरआन की शिक्षा और दीनी अहकाम सिखाने के लिए भेजा। अल्लाह की कृपा से इब्ने उमैर रजियल्लाहु अन्हु ने मदीना के समाज पर अच्छा असर छोड़ा। एक साल बाद जब मक्का वापस हुए तो उनके साथ मदीना के 72 मर्द और 2 औरतें थीं। वे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए

और आपके हाथ पर दीन की मदद और उसके कामों को अंजाम देने पर बैअत की और इसके बाद मदीना वापस लौटे

दावत का नया मर्कज़

मदीना हक़ और हक़ वालों के लिए एक महफ़ूज़ पनाहगाह बन गया। अतएव उसकी तरफ़ मुसलमानों की हिजरत का सिलसिला शुरु हो गया, अलबत्ता कुरैशियों ने मुसलमानों को हिजरत से रोकने का इरादा पक्का कर लिया। इसकी वजह से कुछ मुहाजिरों को बड़े कठिन हालात व ज़ुल्म व अत्याचार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि मुसलमान कुरैश से छुप कर हिजरत किया करते थे। अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु भी हिजरत की इजाज़त मांगा करते थे मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहतेः ''जल्दी न मचाओ, शायद अल्लाह तुम्हारा कोई साथी बना दे। यहां तक कि बहुत से मुसलमान हिजरत कर गए।

कुरैश ने मुसलमानों की हिजरत और मदीना में जमा होने को देखा तो उनका पागल पन हद से ज़्यादा बढ़ गया और उन्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत के ग़ालिब होने का डर सताने लगा। अतः उन्होंने इस बारे में आपस में सलाह व मश्वरा किया और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल करने पर सहमत हो गए। अबू जहल ने कहाः ''मेरा विचार है कि हम अपने–अपने खानदान में से एक एक ताक़तवर नवजवान को तलवार थमाएं। वे लोग मिल कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरें और एक साथ टूट पड़ें, इस तरह

से उनका खून पूरे क़बाइल में तक़सीम हो जाएगा और बनू बनु हाशिम सभी लोगों से दुश्मनी की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इधर अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से आगाह कर दिया तो अल्लाह से इजाज़त मिलने के बाद अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु से हिजरत के बारे में मश्वरा किया और रात में अली रजियल्लाहु अन्हु से कहा कि वे आप की जगह सो जाएं ताकि लोगों को एहसास हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ही में हैं।

साज़िशी लोग आए और उन्होंने घर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अली रजियल्लाहु अन्हु को बिस्तर पर देखा तो समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अतएव वे लोग आपके निकलने का इन्तिज़ार करने लगे ताकि वे घात लगा कर हमला करें और आपको क़त्ल कर दें। इस दौरान रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से निकले। वे लोग घर को चारों ओर से घेरे हुए थे आपने उनके सरों पर मिट्टी डाली जिससे अल्लाह ने उनकी आँखों की रौशनी खत्म कर दी और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकलने का पता ही न लग सका। आप अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु के पास गए और दोनों एक साथ मदीना की तरफ़ निकल पड़े और ग़ारे सौर में छुप गए।

कुरैश के नवजवान आपका इन्तिज़ार करते रहे यहां तक कि सुबह हो गयी। सुबह हुई तो अली रजियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से उठे तो वह

अपने हाथ मलते रह गए। उन्होंने अली रजियल्लाहु अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम किया लेकिन उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया जिस पर उन लोगों ने आपको मारा पीटा मगर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद कुरैश ने आपकी तलाश में हर ओर लोगों को भेजा और ज़िन्दा या मुर्दा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने वाले के लिए सौ ऊंटों का इनाम रखा। तलाश करने वाले ग़ार के मुंह तक पहुंच गए जिस में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु छुपे हुए थे यहां तक कि यदि उनमें से कोई अपने पांव के नीचे देखता तो वह आप दोनों को देख लेता, जिसे देख कर अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अत्यन्त दुखी हो गए। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहाः ''अबु बक्र इन दो लागों के बारे में तुम क्यों परेशान हो रहे हो जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है

कुरैश के लोगों ने आप दोनों को नहीं देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के दोस्त ग़ार में तीन दिन तक ठहरे, फिर मदीना के लिए चल दिए। रास्ता बहुत लम्बा था और धूप बहुत तेज़ थी। दूसरे दिन की शाम में आप दोनों का गुज़र उम्मे माअबद नामी एक महिला के खेमे से हुआ। आप दोनों ने उनसे खाना पानी मांगा, लेकिन इन्हें उनके पास कुछ नहीं मिला, अलबत्ता एक कमज़ोर बकरी थी जो चलने की तकलीफ़ की वजह

से चरागाह नहीं जा सकी थी। उसके थनों में दूध की एक बूंद का भी नामो निशान नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के पास गए और उसके थन पर हाथ फेरा अतएव दूध का फ़व्वारा बहने लगा। आपने उस बकरी को दुहा और एक बड़ा बर्तन भरा। यह देखकर उम्मे माअबद हैरान व परेशान हो गयीं। आप दोनों ने उसे पिया यहां तक कि पेट भर गया। फिर दूसरी बार बकरी को दुहा और बर्तन भर जाने के बाद उसे उम्मे माअबद के पास छोड़ दिया और अपना सफ़र जारी रखा।

उधर मदीना वाले रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचने का मदीना से बाहर निकल कर रोज़ाना इन्तिज़ार करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए तो वह लोग आपके पास आए और आपको खुश आमदीद कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के क़रीब कुबा नाम की जगह पर क़याम किया और चार दिन तक ठहरे इसी मुद्दत में आपने एक मस्जिद की बुनियाद डाली। वह मस्जिद कुबा इस्लाम में तामीर की जाने वाली सबसे पहली मस्जिद है। पांचवें दिन आप मदीना की ओर चल पड़े। बहुत सारे अन्सारी सहाबा की इच्छा थी कि वे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से सरफ़राज़ हों और उन्हें आपकी मेहमान नवाज़ी का गौरव प्राप्त हो। अतएव वे ऊंटनी की लगाम पकड़ लेते थे जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका शुक्रिया अदा करते और कहतेः ''इसे छोड़ दो क्योंकि यह अल्लाह की ओर से काम पर है। ऊंटनी जब उस मक़ाम पर पहुंची जहां

अल्लाह ने उसे ठहरने का हुक्म दिया था तो वह बैठ गयी। आप उससे नहीं उतरे, ऊंटनी उठी और कुछ दूर फिर चली, फिर मुड़ी और वापस आ गयी और पहली जगह रुक गयी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार ऊंटनी से उतर गए। यही मस्जिदे नबवी की जगह थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु के यहां क़याम किया।

अली रजियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मक्का में तीन दिन तक ठहरे इस दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई अमानतों को उनके मालिकों को वापस कर दिया और फिर मदीना के लिए रवाना हो गए और आपको कुबा में पा लिया

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में

जहां रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी उस जगह को उसके मालिकों से खरीदने के बाद आपने मस्जिद की तामीर वहीं की और मुहाजिरीन जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से तशरीफ़ लाए थे और अन्सार अर्थात मदीना वालों में से जिन लोगों ने मुहाजिरों की मदद की, इनके बीच भाइचारा कराया इस तौर कि हर अन्सारी सहाबी का मुहाजिरों में से एक को भाई बना दिया जो उसके माल में शरीक हो। इसके बाद अन्सार व मुहाजिरीन एक साथ काम करने लगे और उनके बीच भाई चारगी का रिश्ता मज़बूत हो गया।

कुरैश के मदीना के यहूदियों से दोस्ताना संबंध थे। यही वजह है कि यहूदी भी अपने तौर पर मुसलमानों के बीच बेचैनी और मतभेदों के बीज बोना चाहते थे दूसरी तरफ़ कुरैश के लोग मुसलमानों को खत्म करने की धमकी दिया करते थे। अतएव मुसलमानों को आन्तरिक व बाहरी हर ओर से खतरा था, मामला इतना संगीन हो गया था कि सहाबा किराम रातों में हथियार लेकर सोया करते थे। इस तरह के खतरनाक हालात में अल्लाह तआला ने जिहाद की इजाज़त दी जिसके बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की चलत फिरत पर निगाह रखते, मुश्रिकों को मुसलमानों की ताक़त का एहसास दिलाने और उनके दिलों में डर बैठाने के उद्देश्य से तिजारती क़ाफ़िलों को पकड़ने की खातिर इस्लामी सेना की टुकड़ियों को तर्तीब देने लगे ताकि वे लोग सुलह कर लें और इन्हें इस्लाम फैलाने और उस पर अमल के लिए आज़ाद छोड़ दें। इसी उद्देश्य से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ क़बीलों के साथ आपसी सहयोग की सन्धि भी की।

बदर की जंग

एक बार रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम से लौट रहे तिजारती क़ाफ़िलों को पकड़ने का इरादा किया। इस उद्देश्य के तहत आप 313 लोगों के साथ निकल पड़े। आपके साथ केवल दो घोड़े और सत्तर ऊंट थे जबकि कुरैश के काफ़िले में एक हजार ऊंट थे जिसकी क़ियादत अबू सुफ़ियान कर रहा था और उसके साथ

चालीस लोग थे। अबू सुफ़ियान को मुसलमानों के निकलने का आभास हो गया तो उसने एक क़ासिद मक्का भेजा ताकि वह उन्हें पूरी घटना की खबर पहुंचा दे और उन से मदद तलब करे। इधर अबू सुफ़ियान ने अपना रास्ता बदल दिया और दूसरी राह पर चल पड़ा, जिसकी वजह से मुसलमानों को वह क़ाफ़िला न मिल सका। दूसरी ओर कुरैश एक बड़े लशकर के साथ निकले जिनमें एक हजार जंगजू थे। इस दौरान उनके पास अबू सुफ़ियान के पास से क़ासिद पहुंचा और उसने क़ाफ़िले के सही और सुरक्षित बच जाने की सूचना दी और उन्हें मक्का वापस जाने को कहा। लेकिन अबू जहल ने वापसी से इन्कार कर दिया और लशकर ने अपना सफ़र जारी रखा।

जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के निकलने की खबर पहुंची तो आपने सहाबा से मशवरा किया। तमाम लोगों ने काफ़िरों और उनके सैनिकों का सामना करने की राय दी। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी की सुबह दोनों पक्षों की मुठ भेड़ हुई और दोनों के बीच खतरनाक और घमासान जंग हुई और मुसलमानों की जीत के साथ जंग का खात्मा हुआ। 14 मुसलमान शहीद हुए जबकि मुश्रिकों में से सत्तर मारे गए और इतने ही लोग गिरफ़तार भी हुए। जंग के दौरान ही रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और उसमान रजियल्लाहु अन्हु की जीवन साथी रुक़य्या का इन्तक़ाल हो गया जिनके साथ उनके पति मदीना में ठहरे हुए थे और इस जंग में शरीक नहीं हो सके थे क्योंकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी बीमार

पत्नी के पास रहने का हुक्म दिया था। जंग के बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमान रजियल्लाहु अन्हु से अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी कर दी, इसी वजह से उसमान रजियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। क्योंकि उनके निकाह में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आयीं।

जंगे बदर के बाद मुसलमान अल्लाह की मदद से खुश होकर मदीना वापस हो गए। उनके साथ क़ैदी और ग़नीमत का माल भी था। क़ैदियों में से कुछ ने अपनी जान का फ़िदया दिया और कुछ लोगों को बिना फ़िदया के छोड़ दिया गया और कुछ लोगों का फिदया यह था कि वे दस मुसलमान बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएं।

उहुद की जंग

बदर की जंग के एक साल बाद यह जंग मुसलमानों और काफ़िरों के बीच पेश आयी। मुश्रिकों ने बदर की जंग में पराजित होने के बाद मुसलमानों से बदला लेने का इरादा किया। अतएव वे लोग तीन हज़ार सैनिकों के साथ निकल पड़े। मुसलमानों ने उनका सामना लगभग सात सौ आदमियों से किया। शुरु में मुसलमान विजयी रहे और काफ़िरों पर ग़ालिब रहे और मुश्रिकीन मक्का की तरफ़ भाग खड़े हुए लेकिन मुश्रिकीन दूसरी बार लौटे और पहाड़ की तरफ़ से मुसलमानों पर टूट पड़े जिधर से वे तीर अन्दाज़ अपनी जगह से हट गए थे जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नियुक्त किया था और माले

ग़नीमत जमा करने के उद्देष्य से पहाड़ के ऊपर से उतर गए थे तो इस जंग में मुश्रिकों का पलड़ा भारी रहा

ग़ज़वए खन्दक़

जंगे उहूद के बाद कुछ यहूदी मक्का वालों के पास गए और उनको मदीना में मुसलमानों से लड़ने पर उभारा, इसी के साथ उन्होंने मदद करने व पूरे समर्थन का वायदा किया तो मुश्रिकों ने उनकी बात मान ली। इसके बाद यहूदियों ने दूसरे क़बीलों को भी मुसलमानों के साथ जंग पर आमादा किया तो उन्होंने भी इस तरह से उनकी बात मान ली। अतएव मुश्रिकीन हर जगह से मदीना के आस पास जमा होने लगे यहां तक कि मदीना के गिर्द दस हज़ार जंगजू जमा हो गए। नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों की चलत फिरत का पता था, इस वजह से आपने इस मामले में सहाबा किराम से मश्वरा किया तो सलमान फ़ारसी रजियल्लाहु अन्हु ने आपको मश्वरा दिया कि मदीना के जिस ओर पहाड़ नहीं हैं उधर खन्दक़ खोदी जाए। मुसलमानों ने खन्दक़ खोदने में हिस्सा लिया अतएव जल्द ही खन्दक़ खोद ली गयी और दूसरी ओर मुश्रिकीन मदीना के बाहर लगभग एक महीना कैम्प लगाए रहे। वे खन्दक़ में घुसने की हिम्मत न कर सके। इसके बाद अल्लाह ने सख्त आंधी भेजी जिस से उनके खेमे उखड़ गए। उस दिन से उनके दिलों में भय बैठ गया और जल्द ही अपने घरों को भाग खड़े हुए। अल्लाह ने अकेले ही तमाम जमाअतों को पराजय से दोचार किया और मुसलमानों को विजयी किया।

फतहे मक्का

सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई की और इसे फ़तह करने का फ़ैसला किया। आप दस हजार फ़ौज के साथ 10 रमजानुल मुबारक को निकले और बिना जंग व लड़ाई के मक्का में दाखिल हो गए। जहां कुरैश ने हथियार डाल दिए और अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह से नवाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदे हराम की तरफ गए, खाना काबा का तवाफ़ किया और उसके अन्दर दो रकअतें अदा कीं। इसके बाद काबा के अन्दर और उसके ऊपर मौजूद तमाम बुतों को तोड़ डाला। इसके बाद काबा के दरवाज़े पर खड़े हुए। उस समय नीचे कुरैश के लोग खड़े इस बात का इन्तिज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ क्या मामला करते हैं।

इस मौक़े पर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः ''ऐ कुरैश की जमाअत! तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करुंगा? उन लोगों ने कहाः ''भलाई की उम्मीद है कि आप बहुत ही शरीफ़ हैं और शरीफ व्यक्ति के बेटे हैं। आपने फ़रमायाः ''जाओ तुम सब आज़ाद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दुश्मनों की माफ़ी के मामले में एक बेहतरीन नमूना क़ायम किया जिन्होंने आप के सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम को सताया और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दीं और देश से निकाल दिया।

मक्का की फ़तह के बाद लोग गिरोह के गिरोह दीने इस्लाम में दाखिल होने लगे। सन 10 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। आपने अपनी ज़िन्दगी में यही एक हज किया। आप के साथ एक लाख से अधिक लोगों ने हज का फ़रीजा अदा किया। हज की अदाएगी के बाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस लौट गए।

वफ़ूद की आमद और बादशाहों के नाम खुतूत

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम ग़लबा पा गया और आपकी दावत फैल गयी, अतएव हर तरफ से वफ़ूद का आना और उनका इस्लाम में दाखिले के एलान का सिलसिला शुरु हो गया।

इसी तरह रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ दावत देने के मक़सद से बादशाहों, क़बीलों के अमीरों और हाकिमों के नाम खुतूत भेजे। कुछ लोगों ने आपकी दावत स्वीकार की और आप पर ईमान लाए और कुछ ने बेहतर अन्दाज़ से जवाब दिया और आपकी सेवा में उपहार भेजे। अलबत्ता वे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए और कुछ ऐसे भी थे जो गुस्सा हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्र को फाड़ दिया, जैसा कि शाहे फ़ारस ने किया। उसने आपके खत को फाड़ दिया तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद दुआ की और कहाः ''अल्लाह उसकी हुकूमत को टुकड़े टुकड़े कर दे। अतएव कुछ ही

दिनों बाद उसके बेटे ने उसके खिलाफ़ बग़ावत करके उससे बादशाहत छीन ली।

शाहे मिस्र मक़ोक़स ने इस्लाम तो स्वीकार नहीं किया, अलबत्ता उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद का सम्मान किया और उनके हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफ़े भेजे। क़ैसर रूम ने भी इसी तरह से क्यिा। उसने भले तरीक़े से जवाब दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान किया और आपके लिए हदया भेजा।

बहरैन के शासक मुन्ज़र बिन सावी के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा तो उसने अपने पास मौजूद लोगों के सामने उसे पढ़ा, अतएव कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोगों ने इन्कार किया।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज से वापसी के ढाई महीने बाद आप की बीमारी का सिलसिला शुरु हुआ और दिन प्रति दिन रोग में बढ़ौतरी होती चली गयी। जब आप लोगों को नमाज़ पढ़ाने की ताक़त न रख सके तो अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु से लोगों की इमामत करने को कहा।

पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़े आला से जा मिले। आपने 63 साल की उम्र पायी। जब इसकी खबर सहाबा किराम को मिली तो ऐसा लगता था कि वे होश व

हवास और अपनी अक़्ल खो बैठेंगे और उन लोगों को आपकी वफ़ात का विश्वास ही नहीं हुआ यहां तक कि अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु ने उनको शान्त करने के उद्देश्य से खुतबा दिया और बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्सान हैं और दूसरे लोगों की तरह उनको भी मौत से दोचार होना पड़ेगा। इसके बाद लोग शान्त हुए। आपकी पत्नी आयशा रजियल्लाहु अन्हाके कमरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और कफन दफ़न का काम अंजाम दिया गया।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नुबुवत से पहले चालीस साल और नुबुवत के बाद 13 साल और मदीना मुनव्वरा में नुबुवत के बाद 10 साल क़याम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने आम सहमति से अबू बक्र ;रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का खलीफ़ा चुन लिया। अतएव वह पहले खलीफ़ा राशिद थे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खूबियां

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाना क़द थे। आप न तो बहुत ज़्यादा लम्बे थे और न ही छोटे क़द के थे। आपके दोनों मूंढों के बीच फ़ासला था, आपके अंग सन्तुलित थे।, मुनासिब थे, सीना चौड़ा था। आपका चेहरा लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। आप सफ़ेद थोड़े सुर्ख थे। आपका चेहरा गोल था, आँखें सुरमई थीं, नाक पतली थीं, मुंह खूबसूरत था, दाढ़ी घनी थी, अनस रजि0 बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से

बेहतर न तो अम्बर की खुश्बू को पाया और न हीं मुश्क को और मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ज़्यादा नर्म किसी दूसरे इन्सान का हाथ नहीं देखा

आपका चेहरा हंसता हुआ था, हमेशा मुस्कुराया करते थे। आपकी आवाज़ बड़ी उमदा थी। आप कम बोलने वाले थे। आपके बारे में अनस रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन थे और सबसे बड़े दानी थे और सबसे बड़े बहादुर थे।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अच्छे अख़लाक़

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे। अली रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब कोई मुश्किल समय पेश आता और हमारा सामना किसी क़ौम से होता तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम बचा करते थे। आप लोगों में सब से बड़े दानी थे। आप किसी मांगने वाले को महरूम नहीं किया करते थे। इसी तरह रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सूझ बूझ वाले थे। आप अपने नफ्स के लिए बदला नहीं लेते थे और न ही अपने नफ्स के लिए गुस्सा होते थे, अलबत्ता जब अल्लाह की हुरमतों की पामाली की जाती तो आप अल्लाह के लिए बदला लिया करते थे। आप की निगाह में हक़ के मामले में क़रीबी और दूर और ताक़तवर व कमज़ोर सभी बराबर होते और आपने ताकीदी तौर पर कहा था कि किसी को दूसरे पर तक़वा की बुनियाद पर फ़जीलत हासिल है और

सभी लोग बराबर हैं। और पिछली क़ौमों की तबाही का कारण यह था कि उनमे जब कोई शरीफ इन्सान चोरी करता तो उसे छोड़ दिया करते थे और जब कमज़ोर इन्सान चोरी करता तो उसको सज़ा दिया करते थे। आपने इर्शाद फ़रमायाः **"अल्लाह की क़सम! यदि फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता।**

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खाने में दोश नहीं निकालते थे। यदि आपकी इच्छा होती तो खाते, वर्ना छोड़ दिया करते थे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर महीने दो महीने ऐसे भी आते जिनमें उनके घर में आग नहीं जलाई जाती। उनकी खूराक खजूर और पानी था। आप भूख की सखती में अपने पेट पर एक या दो पत्थर बांधा करते थे। आप जूती टांक लेते, कपड़े में पेवन्द लगाते और घर में अपने बाल बच्चों की मदद करते थे। आप बीमारों की बीमार पुरसी करते। आप बड़े ही खाकसार थे। आपको मालदार या फ़क़ीर और नींच और शरीफ में से जो कोई दावत देता, आप उसकी दावत स्वीकार कर लेते। आप मिसकीनों से मुहब्बत करते और उनके जनाज़ों में शिर्कत करते थे। बीमारों की बीमार पुरसी करते। किसी फ़क़ीर को उसकी मोहताजी की वजह से कमतर नहीं जानते और किसी बादशाह की बादशाहत से भय नहीं खाते थे। आप घोड़े, ऊंट, गधे और खच्चर में से हरेक की सवारी किया करते थे।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख, चिंता व परेशानी की अधिकता के बावजूद बहुत ज़्यादा मुस्कुराते थे। आप

खुश्बू पसन्द करते और बदबू को ना पसन्द किया करते थे। अल्लाह ने आपको ऊंचे दर्जे का अखलाक़ और बेहतरीन अमल से नवाजा था और आप को ऐसा ज्ञान प्रदान किया था कि उस जैसा ज्ञान और किसी को प्रदान नहीं किया था।

जबकि आप अनपढ़ थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और इन्सानों में से कोई आपका उस्ताद नहीं हुआ। यह कुरआन करीम अल्लाह की ओर से आप पर नाज़िल हुआ है जिसके बारे में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया है:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]

यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दिजीए कि तमाम इन्सान व जिन्नात मिलकर इस कुरआन की तरह लाना चाहें तो नही ला सक्ते अगर वह लोग इस काम के लिए आपस में एक दुसरे के मदतगार भी हो जाएं (सूरह बनी . इसराईल . आयत 88)

आपके अनपढ़ होने में एक बड़ी हिकमत उन झूठों के शक का पूरी तरह इन्कार है कि आपने कुरआन करीम को लिखा है या आपने किसी से सीखा है या पिछली क़ौमों की किताबों से हासिल किया है।

आप के कुछ मोजिज़ों का बयान

आपका सबसे बड़ा मोजिज़ा जो क़ियामत तक बाक़ी रहेगा वह कुरआन करीम है जिसने अरबी भाषा के माहिरों को

विवश कर दिया, अरबी के विज्ञानों को दहशत का शिकार बना दिया और अल्लाह ने तमाम लोगों को चुनौती दी कि इस जैसी दस सूरतें ही लाकर दिखाएं या एक ही सूरह लाएं या इस जैसी कोई एक ही आयत लाएं और मुश्रिकों ने भी इसके गौरव का एतिराफ़ किया है।

आपके मोजिज़ों में से एक यह है कि मुश्रिकों ने जिस समय आपसे निशानी की मांग की तो आपने उनके लिए चाँद के दो टुकड़े होने का मन्ज़र दिखाया कि चाँद के दो हिस्से हो गए। कई बार आपकी उंगलियों के बीच से पानी जारी हुआ, आपकी हथेली में कंकरी ने तसबीह पढ़ी। आपने उस कंकरी को अबू बक्र, फिर उमर और उसके बाद उसमान रजियल्लाहु अन्हु की हथेली में रखा तो उससे ‘‘सुब्हानअल्लाह की आवाज़ आयी। सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम खाने से तसबीह पढ़ने की आवाज़ सुनते। आपसे पत्थर और पेड़ सलाम करते और जब एक यहूदिया ने आपको मार डालने के इरादे से ज़हर लगा बकरी का दस्ता हदया किया तो दस्ता आपसे बात करने लगा। आपने एक बकरी के थन पर हाथ फेरा जिसमें दूध का नामो निशान नहीं था तो उसमें दूध जमा हो गया। आपने उसे दुहा, आपने उसे स्वयं पिया और अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु को भी पिलाया।

हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की आँखें आयी हुई थीं जिनमें आपने अपनी थूक लगायी तो वे उसी पल ठीक हो गयीं। किसी सहाबी का पांव घायल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना हाथ फेरा

तो वह ठीक हो गया। आपने अनस रजि0 के लिए उम्र में बढ़ौतरी की दुआ की, माल में अधिकता और औलाद के बारे में दुआ की कि अल्लाह उनको इन चीज़ों में बरकत प्रदान करे तो उनके 120 बच्चे पैदा हुए, उनके खजूर के बाग़ में साल में दो बार फल लगता था जबकि खजूर का मामूल यही है कि उनमें साल में एक बार फल लगता है और उन्होंने 120 साल की उम्र पायी। किसी सहाबी ने अकाल की शिकायत की, उस समय आप मिम्बर पर थे। आपने अपने दोनों हाथों को उठा कर अल्लाह से दुआ की। उस समय आसमान पर बादल भी नहीं था कि इस दौरान पहाड़ों के जैसे बादल छा गए और दूसरे जुमे तक मूसला धार बारिश हुई, यहां तक कि ज़्यादा बारिश होने की शिकायत की गयी तो आपने अल्लाह से दुआ की और बारिश रुक गयी और लोग धूप में चलते हुए निकले।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साअ जौ और एक बकरी में एक हज़ार खन्दक़ खोदने वाले लोगों को खिलाया। सभी लोगों ने पेट भर कर खाया और खाना कुछ भी कम नहीं हुआ था। इसी तरह बशीर बिन साअद रजियल्लाहु अन्हु की बेटी अपने बाप और मांमू के लिए थोड़ी खजूर लेकर आयी तो रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से पूरे ख़न्दक़ के लोगों को खिलायी। इसी तरह अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु के ज़ादे राह से पूरे लश्कर को खिलाया यहां तक कि सभी लोगों का पेट भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौ कुरैश के जवानों के बीच से उनके चेहरे पर मिट्टी डालते हुए निकल गए जबकि वे लोग आपको क़त्ल करने के

लिए आपका इन्तिज़ार कर रहे थे और उन लोगों ने देखा तक नहीं। और सुराक़ा बिन मालिक ने आपको क़त्ल करने के उद्देश्य से आपका पीछा किया, मगर ज्यों ही वह आपके क़रीब पहुंचा, आपने उसके लिए बद दुआ की जिससे उसके घोड़े का पांव ज़मीन में धंस गया।

सीरते रसूल से हासिल होने वाली शिक्षाएं

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम से हंसी मज़ाक़ किया करते थे लेकिन इस सूरत में भी हक़ बात ही कहा करते थे। इसी तरह अपने बाल बच्चों से दिल लगी किया करते थे और छोटे बच्चों का ख्याल रखा करते थे और अपने समय का एक हिस्सा उन्हें दिया करते थे और उनकी ताक़त और समझ के अनुसार उनके साथ मामला किया करते थे और उनकी नफ़सियात को समझते थे। आप अपने सेवक अनस रजियल्लाहु अन्हु से मज़ाक़ करते और कभी उन्हें ''या जल उज़नैन अर्थात ऐ दो बड़े कानों वाले कह कर पुकारते

एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आया और कहाः''ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे सवारी प्रदान कर दीजिए। आपने उससे मज़ाक़ में कहाः ''हम तो तुम्हें ऊंटनी के बच्चे पर सवार कराएंगे। वह बोला ''मैं ऊंट के बच्चे का क्या करुंगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ''आखिर हर ऊंट ऊंटनी का बच्चा ही तो होता है। (अबु दाऊद 4998)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते और सहाबा किराम के सामने आपके चेहरे पर खुशी हुआ करती थी। सहाबा किराम आपसे भली बातें ही सुना करते थे। अतएव जरीर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने जब से इस्लाम स्वीकार किया, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दीदार से रोका नहीं और मुस्कुरा कर ही देखा और मैंने आप से इस बात का शिक्वा किया कि मैं घोड़े पर ठीक ढंग से नहीं बैठ पाता हूं तो आपने दुआ की ''ऐ अल्लाह! तू इसे साबित क़दम रख और उसे हिदायत की राह दिखाने वाला और हिदायत पाने वाला बना दे। इस दुआ के बाद वह कभी घोड़े से नहीं गिरे।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिष्तेदारों से भी दिल लगी किया करते थे। अतएव एक बार अपनी बेटी फ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हाके घर तशरीफ़ ले गए तो देखा अली रजियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। आपने पूछाः ''अली कहां हैं? उन्होंने बतायाः ''मेरे और उनके बीच कुछ झगडा हो गया था। वह मुझ से नाराज़ होकर घर से चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रजियल्लाहु अन्हु के पास गए। वे मस्जिद में लेटे हुए थे और उनकी चादर गिर गयी थी और उनके जिस्म पर मिट्टी लग गयी थी। अतएव रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म से मिट्टी यह कहते हुए झाड़ने लगे ''ऐ अबू तुराब उठो, ऐ अबू तुराब उठो।

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ मामला

आप बच्चों के साथ भी अपने ऊंचे और महान अखलाक़ का मुज़ाहिरा किया करते थे। आप अपनी पत्नी आयशा रजियल्लाहु अन्हाके साथ दौड़ का मुक़ाबला किया करते और उन्हें सहेलियों के साथ खेलने दिया करते थे। आइशा रजियल्लाहु अन्हाबयान करती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुड़ियों से खेला करती थी और मेरी कुछ सहेलियां थीं जो मेरे साथ खेला करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो वे छुप जाया करती थीं। आप उन्हें मेरे साथ भेजते थे तो वे आकर मेरे साथ खेलती थीं।

इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों का ख्याल रखते और उनसे दिल लगी किया करते थे। अतएव अब्दुल्लाह बिन शद्दाद अपने बाप से नक़ल करते हैं कि उन्होंने बयान किया ''एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़रिब या इशा में से किसी नमाज़ के लिए तशरीफ लाए। आप हसन या हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को उठाए हुए थे। आगे बढ़कर आपने उन्हें एक तरफ़ बैठा दिया और नमाज़ के लिए तकबीर कह कर नमाज़ शुरु कर दी। सज्दे में गए तो उसे काफ़ी लम्बा कर दिया, मैंने सर उठाकर देखा तो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्त पर सवार था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे ही में थे। मैं यह देखकर दोबारा सज्दे में चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ अदा कर चुके तो लोगों ने अर्ज़ किया: ''ऐ अल्लाह

के रसूल! आपने आज नमाज़ में बहुत ही लम्बा सज्दा किया, मैं तो समझा कि शायद कोई हादसा पेश आ गया या आप पर वहय नाज़िल हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ''इन में से कुछ भी नहीं हुआ, अलबत्ता मेरा यह बेटा मेरे ऊपर सवार हो गया था, मैंने इसे इसकी इच्छा के पूरा होने से पहले जल्दी इसे पुश्त से उतारना बेहतर नहीं समझा। अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे अख़्लाक़ के मालिक थे। मेरा एक छोटा भाई था, उसे आप कहतेः ''अबू उमैर! नुग़ैर का क्या हुआ? नुग़ैर एक छोटी चिड़िया थी जिससे वह खेला करता था। इस तरह से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छोटे बच्चे का दिल बहलाते थे।

घर वालों के साथ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला

अहले खाना के साथ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरताव बहुत अच्छा था। आप बहुत खाकसार थे। हर समय घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते थे। आप एक औरत के मक़ाम व मरतबे को एक इन्सान, कि हैसियत से देखते थे चाहे वह मां, हो या पत्नी हो या बेटी हो

एक आदमी ने आपसे सवाल किया कि मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आपने फ़रमायाः ''तुम्हारी मां फिर तुम्हारी मां इसके बाद भी तुम्हारी मां,

और उसके बाद तुम्हारा बाप। इसी तरह आपने बयान फ़रमायाः ''जिसने अपने मां बाप को या उनमें से किसी एक को पाया और उनके साथ सद व्यवहार नहीं किया और इसी हाल में उनकी मौत भी हो गयी तो वह जहन्नम में दाखिल होगा और अल्लाह उससे दूरी बनाएगा।

आपकी पत्नी जब बर्तन से पानी पिया करतीं तो आप उस बर्तन को लेते और उसी जगह अपना मुंह रखते जहां उन्होंने रखा होता और आप कहा करते थेः ''तुम मे से बेहतर इन्सान वह है जो अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूं।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें

मेहरबानी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः ''रहम करने वालों पर अल्लाह तआला रहम करता है, ज़मीन वालों पर रहम व करम का मामला करो, तुम पर आसमान वाला रहम व करम का मामला करेगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खूबी व मेहरबानी के सबसे ऊंचे मक़ाम पर थे। यदि हम छोटे, बड़े, रिष्तेदार और अजनबी लोगों के साथ आपके मामलों को देखें तो यह चीज़ बहुत ही खुले तौर पर निखर कर सामने आती है।

आपकी मुहब्बत, शफ़क़त व रहमत ही का नतीजा है कि जब आप किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो नमाज़ को आप हल्की कर दिया करते थे और उसे लम्बी नहीं किया करते थे। क़तादा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत

है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः ''मैं नमाज़ में खड़ा होता हूं और सोचता हूं कि नमाज़ को लम्बी करूं, इतने में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूं तो मैं अपनी नमाज़ को हल्की कर देता हूं इस अन्देशे से कि इस बच्चे की मां पर भारी न गुज़रे।

उम्मत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हाल यह था कि वे हमेशा चाहते कि सभी लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं। एक यहूदी लड़का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा किया करता था बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखने तशरीफ़ ले गए। आप उसके सर के पास बैठ गए और उससे कहाः ''इस्लाम स्वीकार कर लो। बच्चे ने अपने बाप को देखा जो उसके पास ही खड़ा था उसके बाप ने उससे कहाः अबू क़ासिम की बात मान लो। इस तरह बच्चे ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और थोड़ी देर के बाद वफ़ात पा गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से यह कहते हुए निकले ''तमाम प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने इसे जहन्नम की आग से बचा लिया।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र

जहां तक रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र की बात है तो आपकी पूरी ज़िन्दगी सब्र व धैर्य और जिहाद व मुजाहिदों से इबारत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरआन की पहली आयत के नाज़िल होने के बाद से लेकर ज़िन्दगी के आखिरी पल तक सब्र व धैर्य का मुज़ाहिरा करते रहे। नबी सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम को पहली वही के समय फ़रिष्ते से मुलाक़ात के अवसर पर ही मालूम हो गया कि इस राह में उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उस समय आपको खदीजा रजियल्लाहु अन्हावरक़ा बिन नोफ़िल के पास लेकर गयीं। वरक़ा ने कहाः ‘‘काश मैं उस समय ज़िन्दा होता जबकि आप की क़ौम के लोग आपको मक्का से निकाल देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुछाः ‘‘क्या वे लोग मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहाः हां, क्यों कि आप जिस चीज़ को लेकर आए हैं उसे लेकर जो कोई इन्सान आया है उसे तकलीफ़ दी गयी है। अतएव पहली फुरसत में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आपको परिशानियों, कष्टों व यातनाओं और दुश्मनी के लिए तैयार कर लिया।

जिन घटनाओं से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र व इस्तक़ामत का पता चलता है उनमें से यह भी है कि आप मक्का में अपने पालनहार का सन्देश पहुंचा रहे थे और इस दौरान अपनी क़ौम, घर परिवार वालों की तरफ़ से दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं को सहन किया इन्हीं घटनाओं में से एक घटना वह है जो सही बुखारी में मौजूद है कि उर्वह बिन जुबैर ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु से मालूम किया कि मुश्रिकों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे सख्त क्या मामला किया? उन्होंने बतायाः ‘‘नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। इतने में उक़बा बिन अबू मुऔत ने आपकी गर्दन में अपना कपड़ा डाला और ज़ोर से खींचा। अबू बक्र रजियल्लाहु

अन्हु उसकी तरफ़ बढ़े और उसका मूंढा पकड़ कर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया और कहाः क्या तुम लोग एक आदमी को केवल इस वजह से क़त्ल करना चाहते हो कि वह कहता है कि मेरा पालनहार अल्लाह है।

एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे, अबू जहल और उसके साथी वहीं बैठे थे। उन्होंने एक दूसरे से कहाः कौन है जो फ़लां क़बीले के ऊंटों की ओझड़ियां लाकर मुहम्मद की पीठ पर डालेगा जब कि वह सज्दे में जाएगा? यह सुनकर क़ौम का सबसे बदबख़्त खड़ा हुआ और ओझड़ी लाकर ताक में बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सज्दे में गए तो आप की पीठ पर दोनों कांधों के बीच में ओझड़ी डाल दी। यह देख कर सभी हंस पड़े और एक दूसरे पर गिरने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे ही की हालत में थे। आप ने अपना सर नहीं उठाया, यहां तक कि आपकी बेटी फ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हाआयीं और उन्होंने आपकी पीठ से गन्दगी को हटाया।

इससे भी ज़्यादा कठोर वह मानसिक यातना थी जो अलग–अलग शक्लों में आपको दी गयी जैसे कभी आपकी दावत को ठुकराया गया और आपको झुठलाया गया, कभी आपको काहिन, कवि, मजनूं और जादूगर कहा और कभी आपकी पेश की गयी आयतों को पिछली क़ौमों के देव मालाई क़िस्से कहानियां क़रार दिया गया। इन्हीं में से अबू

जहल का यह कथन भी था जो उसने उपहास के तौर पर कहा था: ''ऐ मेरे अल्लाह! यदि यह तेरे पास से हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश उतार या हमें दुख दायी यातना का शिकार कर दे।

आपका चचा अबू लहब आपके पीछे पीछे लगा रहता। और आप लोगों की इज्तिमागाहों या बाज़ारों में दावत के उद्देश्य से तशरीफ़ ले जाते तो वह आपको झुठलाया करता और लोगों को आपकी बात मानने से मना करता और उसकी पत्नी उम्मे जमील लकड़ियों और कांटों को जमा करती और उन्हें आपके रास्ते में फैला दिया करती। जब आपको शेअबे अबू तालिब में घेर दिया गया था तो उस समय की मुसीबत अपनी चरम सीमा को पहुंच गयी, मुसलमानों ने भूख की सख्ती से पेड़ के पत्ते तक खाए और आपके दुख में और इज़ाफ़ा उस समय हुआ जबकि आपने उस चचा को खो दिया जो आपकी हिफ़ाजत किया करते थे और आपकी ओर से बचाव किया करते थे और दुख व पीड़ा दोगुना उस समय हो गये जब वे कुफ्र की हालत पर मरे। फिर अचानक आपकी पत्नी खदीजा रजियल्लाहु अन्हाकी वफ़ात हो गयी जो कि आपको तसल्ली दिया करती थीं और आपकी हर प्रकार से मदद किया करती थीं। इसके बाद आप अपने क़त्ल की कई कोशिशों के बाद अपने वतन को छोड़ कर हिजरत के लिए निकल पड़े। मदीना में सब्र व धैर्य, बलिदान और कुरबानी का सख्त से सख्त ज़िन्दगी का नया दौर शुरु हुआ यहां तक कि आप भूखे रहे और गुरबत का जीवन गुजारा और अपने पेट पर पत्थर तक बांधा। आप बयान करते हैं कि ''मुझे अल्लाह

की राह में इस शिद्दत से डराया गया कि इस जैसा किसी को नहीं डराया जा सकता। मुझे अल्लाह की राह में इतनी अधिकता से यातनाएं दी गयीं कि इतनी सख्त यातनाएं किसी को नहीं दी जा सकतीं। मुझ पर तीस दिन और रात ऐसे आए कि मेरे और बिलाल के पास कोई ऐसी चीज़ न थी जिसे ज़िन्दा इन्सान खाता है सिवाए उस थोड़े से सामान के जो बिलाल रजियल्लाहु अन्हु अपनी बग़ल में छुपाये रहते।

आपकी इज़्ज़त पर हमला किया गया। आपको कपटियों और जाहिल बद्दुओं से यातनाएं सहना पड़ीं। सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से मर्वी है कि एक बार रसूले अकरम ने ग़नीमत का माल तक़सीम किया। एक अन्सारी ने कहाः ''मुहम्मद ने इस तक़सीम से अल्लाह की खुशनूदी नहीं चाही है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुंचा और आपको इस घटना की खबर दी तो आपका चेहरा तब्दील हो गया और आपने इस अवसर पर फ़रमायाः अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फ़रमाए उन्हें इससे भी अधिक यातनाएं दी गयीं तो उन्हों ने सब्र किया।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अवसरों पर सब्र व धैर्य का मुज़ाहिरा किया, उनमें आपके बच्चों और बेटियों की वफ़ात के दिन भी हैं, आपके सात बच्चे थे। एक के बाद एक उनकी मौतें हुईं यहां तक कि फ़ातिमा रजियल्लाहु अन्हाके अलावा कोई बाक़ी नहीं बचा।

इससे रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो कमज़ोर पड़े और न ही नर्म हुए बल्कि अत्यन्त ही बेहतर अन्दाज़ में सब्र का दामन पकड़े रहे। आपके बेटे इबराहीम रजि0 की जब वफ़ात हुई उस दिन आपकी ज़बान से ये कलिमात अदा हुए: ‘‘आँखें भीगी हैं दिल दुखी है लेकिन इस अवसर पर हम वही कहेंगे जिसे हमारा पालनहार पसन्द करेगा, ऐ इबराहीम! हम तेरी जुदाई से दुखी हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र केवल यातनाओं और तकलीफ़ों तक ही सीमित नहीं था बल्कि आप अल्लाह के आज्ञा पालन की राह में भी सब्र का सबूत दिया करते थे क्यों कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था। अतएव आप इबादत व फ़रमां बरदारी में बड़ी हद तक मेहनत किया करते थे यहां तक कि आपके पांव में लम्बे क़याम की वजह से सूजन आ जाती थी। इस बारे में जब आप से मालूम किया गया तो आपने फ़रमाया: ‘‘क्या मैं शुक्र अदा करने वाला बन्दा न हो जाऊं।

वास्तविक अर्थों में ज़ाहिद उसे कहा जा सकता है जिसके पास असबाब मौजूद हों लेकिन उसने इससे अपने को बचाकर रखा और इससे बे रग़बत होकर इसे छोड़ दिया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े ज़ाहिद इन्सान थे और दुनिया में बहुत ही कम रग़बत रखते और ज़रूरत की मात्रा पर भरोसा किया करते थे। और तंग दस्ती के जीवन को वरीयता देते, यद्यपि दुनिया आपके सामने थी और आप अल्लाह की निगाह में

सबसे सम्मानित इन्सान थे। यदि आप चाहते तो अल्लाह तआला आपकी इच्छानुसार माल व नेमत प्रदान करता।

इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में खैसमा के हवाले से ज़िक्र किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गयाः ''यदि आप चाहें तो हम आपको इस ज़मीन के ख़जाने और कुन्जियां प्रदान कर दें जिसे हमने आप से पहले किसी नबी को प्रदान नहीं किया और आपके बाद किसी को नहीं देंगे और इसकी वजह से अल्लाह के निकट आपके मक़ाम व दर्जा में कोई कमी नहीं होगी। आपने फ़रमायाः ''इन सभी चीज़ों को मेरी आखिरत की ज़िन्दगी के लिए जमा करके रखो।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांसारिक जीवन बड़ा ही आष्चर्य जनक है। अबू ज़र रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम के साथ मदीना के पहाड़ी इलाक़े में चल रहा था कि हमने उहुद पहाड़ को सामने पाया आपने इर्शाद फ़रमायाः मुझे इस बात से खुशी नहीं होगी कि मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो और मेरे पास इनमें से एक दीनार के रहते हुए तीन दिन गुज़र जाएं, सिवाए उसके जिसे मैंने दीनी मक़्सद के तहत जमा कर रखा हो, या यह कि मैं अल्लाह के बन्दों के ऊपर दाएं बाएं और पीछे से खर्च कर दूं।

आप कहा करते थेः ''मुझे इस दुनिया से क्या मतलब, मैं इस दुनिया में उस सवार की तरह से हूं जिसने किसी पेड़ के नीचे साया हासिल किया और फिर उसे छोड़ कर आगे चल पड़ा।

आपका खाना और लिबास

जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की बात है तो एक महीना, दो महीने और तीन महीने गुज़र जाते थे और आपके घर में आग रौशन नहीं होती थी और आप का खाना खजूर और पानी हुआ करता था किसी दिन आप भूख की शिद्दत से निढाल हो जाया करते थे लेकिन आपको पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता था आप की ज़्यादा तर रोटियां जौ की हुआ करती थीं और आपके बारे में मन्कूल है कि आपने बारीक आटे की रोटी कभी नहीं खायी बल्कि आपके सेवक अनस रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि दोपहर या रात के खाने में कभी गोश्त और रोटी एक साथ नहीं होते या यह कि मेहमान आए हों

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास दूसरी चीज़ों की तरह मामूली ही होते थे। सहाबा किराम ने लिबास में आपके ज़ुहुद और तकल्लुफ न होने की गवाही दी है जबकि आप क़ीमती से क़ीमती कपड़ा बनवा सकते थे। एक सहाबी आप की पोशाक की खूबी बयान करते हुए कहते हैं ''मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी मसले की बाबत बातचीत करने के लिए आया तो देखा कि आप बैठे हुए थे और आपके जिस्म पर मोटे सूती कपड़े का इज़ार पड़ा हुआ था।

अबू बुरदह रजियल्लाहु अन्हु आइशा रजियल्लाहु अन्हाकी सेवा में हाज़िर हुए तो उन्होंने एक पेवन्द लगा हुआ कपड़ा और मोटा इज़ार निकाला और कहाः ''रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दो कपड़ों में वफ़ात

पायी। अनस रजिव बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आपके जिस्म पर एक मोटी धारी वाली नजरानी चादर पड़ी हुई थी।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत के समय दिरहम, दीनार, गुलाम या लौंडी या कोई दूसरी चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए सफ़ेद खच्चर, हथियार और ज़मीन के जिसे सदक़ा कर दिया था। आइशा रजियल्लाहु अन्हाबयान करती हैं ''जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्तिक़ाल हुआ उस समय मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जिन्दा इन्सान खाता है सिवाए थोड़े से जौ के। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के यहां कुछ जौ के बदले गिरवी रखी हुई थी।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न्याय

जहां तक न्याय करने की बात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पालनहार के साथ, अपने नफ़्स के साथ, अपनी पाक पत्नियों के साथ दूसरों के साथ चाहे वह कितने ही क़रीबी हों या अजनबी, साथी हों या दोस्त और हमराज़ हों या विरोधी सभी के साथ अपनी ओर से न्याय को ध्यान में रखते थे यहां तक कि जानी दुश्मन के साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्याय किया करते थे जिस पर कुछ लोग एतिराज़ किया करते थे और कुछ लोग आप की शान में ग़लतियां कर दिया करते थे मगर आप न्याय को हाथ से नहीं जाने देते थे। सफ़र में हो या क़याम में हर हालत में नबी सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम न्याय व समानता को पसन्द किया करते थे और उन्हीं की तरह मुष्किलों व मुसीबतों को सहन करते थे। आप सहाबा किराम से मुमताज़ रहना पसन्द नहीं किया करते थे।

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बदर के दिन हम लोग एक ऊंट पर तीन सवार थे। अबू लबाबा और अली रजियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदल चलने की बारी आयी तो उन दोनों ने कहाः ''आप सवार रहें हम पैदल चलते हैं। आपने फ़रमायाः ''तुम दोनों मुझ से ज़्यादा ताक़तवर नहीं हो और न ही मैं तुम दोनों से ज़्यादा अज्र व सवाब से महरूम रहने वाला हुं।

उसैद बिन हुज़ेर रजियल्लाहु अन्हु अपने साथियों से मज़ाक़ कर रहे थे और उन्हें हंसा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कमर में लकड़ी चुभोई उसैद ने कहाः ''आपने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मैं आप से इसका बदला लूंगा। आपने कहाः ''बदला ले लो। उसैद ने कहाः ''आपके जिस्म पर क़मीस है जबकि मेरे जिस्म पर क़मीस नहीं थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी क़मीस को हटा दिया। उस समय उसैद रजियल्लाहु अन्हु आप से चिमट गए और आपकी कमर और पसली की हडडी के बीच के हिस्से का बोसा लेने लगे। उसैद ने कहाः ''अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मक़सद यही था।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सीमाओं को नहीं छोड़ा करते थे जिन्हें अल्लाह ने लोगों के बीच न्याय करने के लिए स्थापित किया है। चाहे जुल्म करने वाला आपका क़रीबी और चहीता ही क्यों न होता, अतएव मख़ज़ूमी महिला की चोरी की घटना में है कि आपने इस बारे में उसामा रजियल्लाहु अन्हु की सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया और वह मशहूर बात कहीं ''ऐ लोगो! तुम से पहले लोग केवल और केवल इस वजह से हलाक हो गए कि उनमें जब कोई शरीफ़ इन्सान चोरी करता तो उसे छोड़ दिया करते थे और जब कोई कमज़ोर इन्सान चोरी करता तो उसको सज़ा दे देते थे। अल्लाह की क़सम! यदि फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ग़ैर मुस्लिमों के कथन

नीचे की पंक्तियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ दार्शनिकों और पश्चिमी स्कालरों के कुछ कथन बयान किए जा रहे हैं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता, आपकी नुबुवत, उमदा खूबियां और आपकी लाई हुई शरीअत की हक़ीकत के ऐतिराफ़ का पता चलता है। इसमें उन खुराफ़ात का कोई अंश भी नहीं जिन्हें इस्लाम दुश्मनों ने फैला रखा है।

प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक बरनाडशा अपनी प्रख्यात किताब ''मुहम्मद जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने जला डाला था, में कहता है: ''आज दुनिया को मुहम्मद की फिक्र विचारों के हामिल

इन्सान की ज़रूरत है जिन्होंने अपने दीन को हमेशा दूसरों की निगाह में सम्मान योग्य बना के रखा। यह दीन तमाम सभ्यताओं को हज़म करने की सबसे अधिक कुदरत रखता है। यह सदैव बाक़ी रहने वाला दीन है। मैंने अपनी क़ौम के बहुत से लोगों को देखा कि वे दलीलों के आधार पर इस दीन में दाखिल हुए और शीघ्र ही यह दीन यूरोप में बड़े पैमाने पर जगह पाएगा।

उसने आगे लिखाः ''मध्य युग में विभिन्न दीनी हस्तियों ने जिहालत और तास्सुब के कारण दीने मुहम्मदी की ग़लत तस्वीर पेश की। वे इस दीन को मसीहियत का विरोधी माना करते थे लेकिन मैंने इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की तो बड़ी विचित्र चीज़ें मालूम हुईं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह व्यक्ति मसीहियत विरोधी नहीं था बल्कि सच्ची बात यह है कि इसे मानवता का मुहाफ़िज़ कहा जाए। मेरा ख्याल है कि यदि आज उसे दुनिया की हुकूमत हासिल हो जाए तो वह हमारी मुश्किलात को ऐसे उसूलों के ज़रिए हल करने में कामयाब हो जाएगा जो सौभाग्य व सलामती की ज़मानत हैं।

प्रसिद्ध नोबेल इनाम विजेता अंग्रेज फ़लसफ़ी थामस कार लायल अपनी किताब अल इबताल में लिखता हैः ''इस ज़माने में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह हो गयी है कि उन लोगों की बातों पर कान धरे जो कहते हैं कि दीन इस्लाम झूठा है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं और धोखे बाज़ हैं।

इस प्रकार की जो घटिया और रुसवा कुन बातें फैलाई जाती हैं ज़रूरी है कि हम उनके खिलाफ़ जंग छेड़ें, क्योंकि उस नबी ने जो संदेश पहुंचाया है वह बारह सदियों तक लग भग बीस करोड़ लोगों के लिए रौशन चिराग़ बना रहा । क्या कोई यह समझ सकता है कि ये करोड़ों लोग जिन्होंने इस पैग़ाम के तहत ज़िन्दगी गुज़ारी और इसी पर वफ़ात पा गए वे सभी झूठ के शिकार और फ़रेब खाए हुए थे?

हिन्दू फलसफ़ी राम कृष्ण राय कहता हैः ''जिस समय मुहम्मद प्रकट हुए, अरब का टापू उल्लेखनीय नहीं था। इसी क्षेत्र से मुहम्मद ने अपनी महान आत्मा की बुनियाद पर एक नयी दुनिया, आधुनिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति और नयी हुकूमत स्थापित की जो मराकश से हिन्द व पाक तक फैली हुई थी। उसने तीन महाद्वीपों के विचार व जीवन पर प्रभाव डाला अर्थात ऐशिया, अफ्रीक़ा और यूरोप पर

मुश्तष्रिक कैन्डी ज़्वेमर कहता हैः ''मुहम्मद निःसन्देह महानतम धार्मिक कायदीन में थे। उन पर यह बात सादिक़ आती है कि वे शक्ति शाली, सुधारक, भाषाविद विजय हासिल करने वाले साहसी और महान विचारक थे। यह बात सही नहीं है कि हम उनकी ज़ात की ओर ऐसी चीज़ों को जोड़ दें जो उनकी खूबियों के विरोधी हों। वे जो कुछ लेकर आए, उनमें हमने उसी चीज़ को पढ़ा है और उसकी सीरत भी उसी चीज़ की गवाही देती है।

अंग्रेज़ सर विलियम कहता हैः ''मुसलमानों के नबी मुहम्मद अपने अखलाक़ की बेहतरी और व्यवहार की अच्छाई की

वजह से बचपन ही से तमाम शहर वालों के निकट सहमति से अमीन के लक़ब से पुकारे गए। बात चाहे जो भी हो मुहम्मद इस बात से उच्च हैं कि खूबियां बताने वाले उनको पहचान सकें और उनके बारे में न जानने वाला व्यक्ति उनके मूल्य व सम्मान को नहीं पहचान सकता है। उनके बारे में जानकार वह है जिसने उनकी रौशन तारीख पर सोच विचार किया हो जिस तारीख को मुहम्मद ने रसूलों और विचारकों के पेशवा के तौर पर छोड़ा है।

वह आगे कहता हैः ''मुहम्मद अपने वाजह कलाम और आसान दीन की वजह से मुमताज़ हैं। उन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि अक़्लें हैरान हैं और तारीख ने ऐसे किसी सुधारक को नहीं देखा है जिसने लोगों को जगा दिया हो और अखलाक़ को ज़िन्दा कर दिया हो और कम ही समय में भले कामों की महानता को स्पष्ट कर दिया हो जैसा कि इस्लाम के नबी मुहम्मद ने किया है।

प्रसिद्ध रूसी फलसफ़ी और नाविल निगार टालस्टाय कहता हैः ''मुहम्मद के गर्व के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि उसने ज़लील झगड़ालू क़ौम को बुरी आदतों के शैतानी चंगुल से नजात दिलायी और उनके सामने तरक़्क़ी और आगे बढ़ने की राह खोल दी। एक दिन मुहम्मद का दीन अक़्ल व हिक्मत के अनुसार होने की वजह से दुनिया पर छा जाएगा।

आस्टीरिया का नागरकि शबरक कहता हैः ''इन्सानियत को मुहम्मद जैसे इन्सान की ओर निसबत पर गर्व है क्यों कि वह अनपढ़ होने के बावजूद लगभग दस सदी पहले एक

शरीअत लाए। हम यूरोप वाले उस दिन को बड़ा ही भाग्यवान महसूस करेंगे जबकि उसकी बुलन्द चोटी पर पहुंच जाएंगे।

आख़िरत का दिन

ईमान के 6 अरकान में से एक आख़िरत के दिन पर ईमान लाना है। कोई इंसान उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह आख़िरत (परलोक) और उससे संबंधित चीज़ों और वहां पेश आने वाले मामलों पर ईमान न ले आए।

आख़िरत के दिन के बारे में जानकारी हासिल करना और उसको कसरत से याद करना बहुत ही अहम है। क्योंकि मानवीय स्वभाव में सुधार, तक़्वा और दीन पर जमे रहने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भुमिका है। दिल तभी कठोर होता है और गुनाहों की हिम्मत करता है जबकि हम उस दिन को भूल बैठते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل:١٧]

यानी, ''तुम यदि काफिर रहे, तो उस दिन कैसे पनाह पाओगे जिस दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। (सूरह मुज़म्मिल, आयत 17) और फ़रमाया:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج:١:٢]

''लोगो, अपने पालनहार से डरो! निस्संदेह कियामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे कि हर दूध पिलाने वाली दूध पीते बच्चे को भूल जायेगी और सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जायेंगे। और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखायी देंगे, यद्यपि वास्तव में वे मतवाले नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख़्त है।

मौत

इस दूनिया में हर ज़िन्दा चीज़ एक दिन समाप्त हो जाती है। इसी समाप्ति का नाम मौत है। अल्लाह तआला फ़रमाता है: **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ** [آل عمران:١٨٥]

यानी, ''हर नफ़्स को मौत का मज़ा चखना है। (सूरह आले इमरान आयत 185)

अल्लाह तआला ने और फ़रमाया: **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** [الرَّحمن:٢٦

यानी, ''ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने वाली हैं। (सूरह अलरहमान आयत 26)

अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सम्बोधित करते हुए कहा: **اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** [الزُّمر:٣٠]

यानी, ''यक़ीनन आपको भी मौत आयेगी और यह सब भी मरने वाले हैं। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए ज़िन्दा नहीं रहेगा। (सूरह अल–जुम्र आयत–30 31)

अल्लाह तआला ने इसी सच्चाई को बयान करते हुए कहाः

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ [الأنبياء:٣٤]

यानी, ‘‘आप से पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी। (सूरह अल अंबिया आयत 34)

1. अधिकांष लोग मौत से ग़फ़लत बरतते हैं, हालांकि मौत एक अकाट्य सत्य है जिस में किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं है। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अधिक से अधिक मौत को याद करे। और समय बीतने से पहले अपनी इस दुनिया में नेकी के ज़रिया अपनी आख़िरत (परलोक) का सामान तैयार कर ले।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया हैः **اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ**

पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले ग़नीमत जानो। अपनी ज़िन्दगी को मौत से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, फ़ुर्सत को व्यस्तता से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले और सम्पन्नता को तंगहाली से पहले। (इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है।)

मुर्दा अपने साथ क़ब्र में दुनिया का साज़ो सामान नहीं ले जाता है। बल्कि उसके साथ उसका अमल रहता है। अतः आदमी को चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल

करे ताकि हमेशा की सआदत हासिल कर सके और उसके कारण अज़ाब से छुटकारा पा सके।

2. मौत कब आयेगी इसका पता नहीं चलता। इसका पता अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं होता। कोई आदमी न तो यह जानता है कि उसकी मृत्यु कब होगी, क्योंकि ये ग़ैबी चीज़ें है जिसे केवल अल्लाह ही जानता है।

3. जब मौत आएगी तो उसे दूर करना, समय को टाल देना, या मौत से भाग जाना संभव नहीं है।

अल्लाह तआला फ़रमाता हैः यानी,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف:٣٤]

और हरेक गिरोह के लिए एक अवधि सुनिष्चित है, सो जिस समय उनकी अवधि पूरी हो जायेगी, उस समय एक घड़ी न पीछे हट सकेगी और न आगे बढ़ सकेगी। (सूरह अल आराफ़ आयत 34)

4 मोमिन को जब मौत आती है तो उसके पास मलकुल मौत अच्छी शक्ल व सूरत और अच्छी सुगन्ध के साथ आते हैं और मलकुल मौत यानी मौत के फ़रिषते के साथ रहमत के फरिषते भी आते हैं जो उसे जन्नत की शुभसूचना सुनाते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ [فصِّلت:٣٠]

यानी, ''वास्तव में जिन लोगों ने कहा कि हमारा पालनहार अल्लाह है और फिर उसी पर जमे रहे उनके पास फ़रिषते यह कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी आशंका और ग़म न करो बल्कि उस जन्नत की शुभसूचना सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। (सूरह फुस्सिलत आयत 30)

अलबत्ता काफिर इंसान के पास मौत का फ़रिष्ता डरावनी शक्ल, काली कलौटी सूरत और विभत्सय रूप में आता है और उसके साथ अज़ाब के फ़रिषते भी आते हैं और अज़ाब की सूचना देते हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام:٩٣]

यानी, ''और यदि आप उस समय देखें जबकि ये ज़ालिम लोग मौत की सख़्तियों में होंगे और फ़रिषते अपने हाथ बढ़ा रहे होगें कि हां, अपनी जानें निकालो। आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जायेगी। इस वजह से कि तुम अल्लाह तआला के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह तआला की आयतों से तकब्बुर (घमंड) करते थे। (सुरह अनआम 93)

जब मौत आती है तो सच्चाई ज़ाहिर हो जाती है। और हर इंसान का मामला खुल जाता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون:١٠٠]

यानी, ''यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाती है तो कहता है, ऐ मेरे पालनहार! मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक आमाल कर लूं, कदापि ऐसा नहीं होगा। यह तो केवल एक कथन है जिसका यह क़ायल है। उनके पीठ पीछे तो एक पर्दा है, उनके दोबारा जी उठने के दिन तक। (सूरह अल मोमिनून आयत 99—100)

जब मौत आती है तो काफ़िर और गुनहगार इंसान दुनियावी ज़िन्दगी में वापस जाना चाहता है ताकि वह नेक काम कर सके, लेकिन समय निकल जाने के बाद निदामत किसी काम की न होगी। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشُّورى:٤٤]

यानी, ''ज़ालिम लोग अज़ाब को देखकर कह रहे होंगे कि क्या वापस जाने की कोई राह है। (सूरह अल शूरा आयत 44)

5अल्लाह तआला का अपने बन्दों पर बड़ा रहम व करम है कि मौत से पहले जिस इंसान की अंतिम बोली, ''ला इलाहा इल्लल्लाह होगी तो वह जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

दुनिया में जिस इंसान का आखिरी कलाम ''ला इलाहा

इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। (इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।)

इसका कारण यह है कि इस कठिन समय में एक इंसान इख़्लास से ही इस कलिमा को कहेगा। अलबत्ता जो मुख्लिस नहीं होगा, वह मौत की परेशानियों की शिद्दत की वजह से भूल जायेगा। इसी लिए मृत हालत में पड़े व्यक्ति के पास मौजूद लोगों के लिए सुन्नत है कि वह उसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को प्रेरित करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: **لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ**

अपने मुर्दों को ''लाइलाह इल्लल्लाह दोहराने की तलक़ीन किया करो। (सही मुस्लिम 916)

अलबत्ता इसका आग्रह न करें, ताकि वह उकता कर कोई अनुचित बात जुबान से अदा न कर दे।

क़ब्र

अनस रजियल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الكَافِرُ - أَوِ المُنَافِقُ - فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ

النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

मैयत को जब क़ब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस होते हैं तो वह उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फ़रमायाः फिर उसके बाद दो फ़रिषते आते हैं और उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं तुम उस आदमी के बारे में क्या कहते थे?

यदि वह व्यक्ति मोमिन होगा तो कहेगाः मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। फिर उससे कहा जाता है कि जहन्नम में अपनी जगह देख लो, जिसे अल्लाह ने जन्नत की जगह से बदल दिया है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फ़रमायाः ''वह व्यक्ति दोनों जगहों को देखेगा।

यदि मरने वाला व्यक्ति काफ़िर या मुनाफ़िक़ हो तो इस सवाल के जवाब में कहेगाः मुझे नहीं मालूम, मैं लोगों से सुनता था कि वह कुछ कहा करते थे, वही मैं भी कहा करता था। तो उससे कहा जाता है कि न तो तुम्हें मालूम हुआ और न ही तुमने उसे जानने की कोशिश की। उसके बाद उस व्यक्ति के कानों के बीच लोहे की हथौड़ी से मारा जाता है, जिसकी वजह से वह इतनी ज़ोर से चीखता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा उसके पास मौजूद सारी मख़लूक़ात इस चीख़ को सुनती हैं। (सही बुख़ारी 1338, सही मुस्लिम 2870)

क़ब्र में रूह का शरीर में वापस आना आख़िरत के मामलों में से एक है जिसका सांसारिक जीवन में इंसानी अक़्ल व शुऊर अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तमाम मुसलमान इस बात पर सहमत हैं कि यदि इंसान मोमिन हो और नेमतों का मुस्तहिक़ हो तो उसको कब्र ही में नेमतों से नवाज़ा जाता है और यदि अज़ाब का अधिकारी है तो कब्र में ही अज़ाब से दो–चार हो जाता है। यदि अल्लाह तआला ने उसे माफ़ किया है। अतएव अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٦]

यानी, ''आग है जिसके सामने यह हर सुबह व शाम लाये जाते हैं और जिस दिन क़ियामत क़ायम होगी, फ़रमान होगा कि फिरऔनियों को सख़्ततरीन अज़ाब में डालो। (सूरह अल ग़ाफिर आयत 46)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है: ''तुम लोग क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सही अक़्ल इन चीज़ों का इन्कार नहीं कर सकती है क्योंकि इंसान दुनियावी जिन्दगी में इससे क़रीबतर चीज़ों का तजरबा करता है। जैसा कि सोने वाला इंसान महसूस करता है कि उसे सख़्त अज़ाब दिया जा रहा है। वह चिल्लाता है, चीख़ता है, और मदद चाहता है। जबकि उसके बगल में दुसरा इंसान इस तरह की किसी भी चीज़ों को महसूस नहीं कर रहा होता है। जबकि

मौत और ज़िन्दगी में बहुत बड़ा अन्तर है। क़ब्र में अज़ाब शरीर और आत्मा दोनों को होता है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः ''क़ब्र आख़िरत की मन्ज़िलों में से पहली मन्ज़िल है। यदि इंसान इसमें निजात पा जाए तो उसके बाद की मन्ज़िलें आसान हो जायेंगी। लेकिन यदि इंसान इसमें निजात नहीं पा सकेगा तो बाद की मन्ज़िलें उससे सख़्त होंगी

यही कारण है कि एक मुसलमान को क़ब्र के अज़ाब से कसरत से पनाह मांगने की शिक्षा दी गयी है। विशेष कर नमाज़ में सलाम फेरने से पहले। और बुराइयों से दूर रहे जो क़ब्र और जहन्नम में अज़ाब से दो.चार होने का पहला कारण है। इस अज़ाब को अज़ाबे क़ब्र कहा जाता है, इस वजह से कि अक्सर लोगों को क़ब्र में दफ़्न कर दिया जाता है, अन्यथा डूब कर या जल कर मरने वाले को, या उस व्यक्ति को जिसे दरिंदों ने खा लिया हो, उनको भी बरज़ख़ में अज़ाब दिया जाता है।

अज़ाबे क़ब्र में लोहे के हथौड़े से मारा जाता है और उसके सिवा दूसरी तरह से भी अज़ाब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर क़ब्र को तारीकी से भर दिया जाता है। या जहन्नम को आग का बिछौना कर दिया जाता है और उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और उसके अमल को बदसूरत, बदबूदार इंसान की शक्ल व सूरत दे दी जाती है जो उसके साथ क़ब्र में बैठता है। यदि इंसान काफ़िर या मुनाफ़िक़ हो तो वह इस अज़ाब में बराबर मुबतला रहेगा। लेकिन यदि इंसान मोमिन हो

जिससे गुनाह सरज़द हुए हों, तो उसके गुनाह के अनुसार उसका अज़ाब अलग–अलग होगा। और उसका अज़ाब समाप्त भी हो जाता है।

जहां तक मामला मोमिन का है तो क़ब्र में उसे नेमतों से नवाज़ा जाता है, उसके क़ब्र को कुशादा कर दिया जाता है, क़ब्र को नूर से भर दिया जाता है और उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जिससे जन्नत की खुशबू और सुगंध आती है और उसके लिए जन्नत का बिछौना कर दिया जाता है और उसके अमल को एक खूबसूरत इंसान की सूरत दे दी जाती है, जिससे वह क़ब्र में उनसियत हासिल करता है।

क़ियामत और उसकी निशानियां

1. अल्लाह ने इस सृष्टि को हमेशा बाक़ी रहने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि यह सृष्टि (कायनात) समाप्त हो जायेगी। यही वह दिन होगा जिसमें क़ियामत बरपा होगी। क़ियामत का बरपा होना एक ऐसी सच्चाई है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ:٣]

कुफ़्फार कहते हैं कि हम पर क़ियामत नहीं आयेगी, आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब की क़सम! वह यक़ीनन तुम पर आयेगी। (सूरह सबा आयत 3)

क़ियामत क़रीब है, क्योंकि अल्लाह तआला क़ुरआन में फ़रमाता है:

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء:١]

यानी, "लोगों के हिसाब का समय क़रीब आ गया, फिर भी वह बेख़बरी में मुंह फेरे हुए हैं। (सूरह अल अंबिया आयत 1)

क़ियामत का क़रीब आना इंसानों के अनुमान के एतिबार से नहीं है बल्कि वह अल्लाह के ज्ञान और दुनिया की आयु के हिसाब से है।

क़ियामत का ज्ञान ग़ैबी मामलों में से है। अल्लाह तआला ने अपने लिए ख़ास रखा है और अपनी मख़लूक़ों में से किसी को इससे अवगत नहीं कराया। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب:٦٣]

यानी, "लोग आप से क़ियामत के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उसका ज्ञान तो अल्लाह ही को है। आप को क्या ख़बर बहुत मुम्किन है कि क़ियामत बिल्कुल ही क़रीब हो। (सूरह अल अहज़ाब आयत 63)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बतायी हैं जो क़ियामत के क़रीब होने का संकेत हैं। उनमें से एक मसीह दज्जाल का ज़ाहिर होना है जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ित्ना होगा। अल्लाह तआला उसे बहुत से ऐसे कामों को करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ़ होंगे। जिससे लोग धोखे में पड़ जायेंगे। वह आसमान को आदेश देगा कि बारिश कर और वर्षा होने लगेगी। घास को आदेश देगा तो वह निकल आयेगी। मुर्दा को ज़िन्दा करेगा और उसके अलावा बहुत से अस्वभाविक काम करेगा।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वह काना है और वह जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ लेकर आयेगा। वह जिसे जन्नत कहेगा वह जहन्नम होगी और जिसे जहन्नम कहेगा वह जन्नत होगी। वह चालीस दिन ज़मीन पर रहेगा, एक दिन एक साल के बराबर होगा। एक दिन एक महीने के बराबर होगा और एक दिन एक सप्ताह के बराबर होगा और शेष दिन आम दिनों जैसे होंगे और वह मक्का व मदीना छोड़कर दुनिया के तमाम हिस्सों में जायेगा।

क़ियामत की निशानियों में से ईसा अलैहिस्सलाम का अवतरित होना भी है। आप दिमश्क़ के पूरब में सफेद मिनारे पर सुबह के समय उतरेंगे जहां लोगों के साथ नमाज़ अदा करेंगे और फिर दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे पकड़ कर मार डालेंगे। क़ियामत की निशानियों में एक निशानी सूरज का पश्चिम की तरफ से निकलना है।

जब लोग इसे देखेंगे तो डर जायेंगे और ईमान कुबूल कर लेंगे। यद्यपि उस समय ईमान कुबूल करना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इसके अलावा क़ियामत की दूसरी निशानियां भी हैं।

क़ियामत बुरे लोगों पर बरपा होगी। उसकी कैफ़ियत यह होगी कि अल्लाह तआला क़ियामत से पहले पाकीज़ा हवा भेजेगा जो मोमिनों की रूहों को क़ब्ज़ कर लेगी। जब अल्लाह तआला मख़लूक़ात को मौत से दो चार और दुनिया को समाप्त करना चाहेगा तो फ़रिषतों को सूर (बड़ा शेंपू) फूंकने का आदेश देगा जिसे सूनकर लोग बेहोश हो जायेंगे। अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ [الزُّمر:٦٨]

यानी, ''और सूर फूंक दिया जायेगा। पस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। (सूरह अल ज़ुमर आयत 68)

जिस दिन क़ियामत बरपा होगी वह जुमा का दिन होगा। उसके बाद सभी फ़रिषतों को मौत आ जायेगी और केवल अल्लाह की ज़ात बाक़ी रह जायेगी।

पीठ के नीचे की हड्डी के सिवा पूरा मानवीय अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसे मिट्टी खा जायेगी। अलबत्ता नबियों के शरीर को मिट्टी नहीं खाती है। फिर अल्लाह तआला आसमान से पानी बरसायेगा, जिस से इंसान के शरीर दोबारा उग आयेंगे। जब अल्लाह लोगों को दोबारा जिन्दा करना चाहेगा तो सूर फूंकने के ज़िम्मेदार फ़रिषते

इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को पहले ज़िन्दा करेगा। अतएव वे दूसरी बार सूर फुकेंगे तो अल्लाह तआला तमाम मख़लूक़ को ज़िन्दा कर देगा और लोग अपनी क़ब्रों से उसी तरह नंगे पांव नंगे शरीर और नंगे मादरज़ाद अवस्था में निकलेंगे जिस तरह से अल्लाह तआला ने उन्हें पहली बार पैदा किया था। अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता हैः

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس:٥١]

यानी, ''और सूर फूंका जायेगा तो लोग अपनी क़ब्रों से निकल कर अपने रब की बारगाह की तरफ़ दौड़ पड़ेंगे। (सूरह यासीन आयत 51)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ(٤٣) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ(٤٤المعارج)

यानी, ''जिस दिन ये क़ब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, मानो कि वह किसी जगह की ओर दौड़.दौड़ कर जा रहे हैं। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। उनपर ज़िल्लत छा रही होगी। यह है वह दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था। (सूरह अल मआरिज आयत 43—44)

उस दिन सबसे पहले क़ब्र से नबी अकरम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे। उसके बाद लोगों को मैदाने महशर जो बहूत ही लंबा चौड़ा मैदान होगा, ले जाया जायेगा। काफ़िरों को औंधे मुंह जमा किया जायेगा।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया: ''काफ़िर को उसके चेहरे के बल किस तरह से जमा किया जायेगा? आपने फ़रमाया:

أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

जिस ज़ात ने दुनिया में उसे पैरों पर चलाया क्या वह इस बात का सामर्थ्य नहीं रखता कि वह क़ियामत के दिन चेहरे के बल चलाए। (सही मुस्लिम 2806)

अल्लाह के ज़िक्र कुरआन पाक से बचने वालों को नाबीना अंधा बनाकर मैदान महशर में इकट्ठा किया जायेगा। सूरज उनके नज़दीक आ जायेगा। लोग अपने आमाल के अनुपात में पसीने में शराबोर होंगे। किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा। किसी के मुंह तक पसीना होगा और ऐसा उनके आमाल के हिसाब से होगा।

वहां कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तआला अपने साये तले जगह देगा जिसके साये के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

सात तरह के लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तआला अपने साया तले उस दिन जगह देगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। न्याय प्रिय बादशाह, नवजवान जिसका लालन पालन अल्लाह की इबादत में हुआ हो, वह आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लटका रहता है, वे लोग जो अल्लाह की राह में दोस्ती करते हैं, उसी के लिए जमा होते हैं, उसी के लिए जुदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सून्दर महिला ने बदकारी के लिए बुलाया हो, मगर उसने कह दिया हो कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसा व्यक्ति जिसने छुपाकर सदक़ा किया हो, यहां तक कि उसके बायें हाथ को भी मालूम न हो कि उसके दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। और ऐसा व्यक्ति जो तनहाई में अल्लाह तआला को याद करता हो तो उसकी आँखें भर आती हों। (सही बुख़ारी 1423, सही मुस्लिम 1031)

यह केवल मर्दों के लिए ख़ास नहीं है बल्कि महिलाओं के आमाल का भी हिसाब किताब होगा। यदि उसने बेहतर कर्म किया होगा तो उसके साथ बेहतरी का मामला होगा और यदि बुरा कर्म किया होगा तो उसके साथ बुरा मामला होगा। औरत को भी मर्द की तरह ही सवाब और बदला नसीब होगा।

उस दिन, जो पचास हज़ार साल के बराबर होगा, लोगों को शिद्दत के साथ प्यास महसूस होगी। अलबत्ता यह समय मोमिन के लिए एक फर्ज़ नमाज़ पढ़ने की अवधि के समान होगा, जो जल्द ही गुज़र जायेगी।

मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ पर जायेंगे और उससे पानी पीयेंगे। (हौज़ एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ख़ासतौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेगा। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, उसकी खुशबू मुष्क से ज़्यादा पाकीज़ा और उसमें मौजूद बर्तन सितारों की संख्या में होंगे। इससे जो एक बार पी लेगा, वह कभी प्यासा नहीं रहेगा।)

लोग मैदाने महशर में लम्बे समय तक रहेंगे और अपने बीच फैसला किये जाने और हिसाब व किताब का इन्तिज़ार करेंगे और साथ ही धूप भी तेज़ होगी तो लोग ऐसे व्यक्ति की खोज में निकलेंगे जो मख़लूक़ात के बीच फैसले के लिए सिफ़ारिश कर सके।

सभी लोग आदम अलैव के पास पहुचेंगे, लेकिन वे असमर्थता व्यक्त कर देंगे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जायेंगे वह भी उज़्र कर लेंगे। उसके बाद इबराहीम अलैव की सेवा में पहुचेंगे, वे भी माज़रत कर लेंगे तो लोग मूसा अलैव के पास जायेंगे, लेकिन वह भी असमर्थता व्यक्त कर देंगे

फिर लोग ईसा अलैहिस्सलाम की सेवा में पहुंचेंगे, मगर वे भी असमर्थता व्यक्त कर देंगे।

अतएव अन्त में सभी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर होंगे, तो आप कहेंगे कि मैं सिफ़ारिश करुंगा और अर्श के नीचे सजदे में गिर जायेंगे। और रब की वह तारीफ़ें बयान करेंगे जिन्हें अल्लाह इस अवसर पर आपको बतायेगा। उसके बाद आपसे कहा

जायेगा,'ऐ मुहम्मद! अपना सिर उठाओ, मांगो, दिया जायेगा और सिफ़ारिश करो, तुम्हारी सिफ़ारिश कुबूल की जायेगी

फिर अल्लाह तआला लोगों के बीच फैसले और हिसाब–किताब की इजाज़त देगा और सबसे पहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब किताब होगा

बन्दों के आमाल में सबसे पहले नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा। यदि वह ठीक होगी और स्वीकार कर ली जायेगी तो अन्य कर्मों को देखा जायेगा। और यदि नमाज़ रद्द कर दी गयी तो दूसरे आमाल भी रद्द कर दिये जायेंगे।

बन्दों से पांच चीज़ों के बारे में सवाल किया जायेगा। उसकी आयु के बारे में कि उसे उसने किस चीज़ में खर्च किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहां गुज़ारा, उसके माल के बारे में कि उसे कहां से कमाया और कहां खर्च किया और इल्म (ज्ञान) के बारे में कि कितना उस पर अमल किया।

अलबत्ता मामलात में बन्दों के बीच सबसे पहले ख़ून का फैसला किया जायेगा। उस दिन नेकियों और बुराइयों के ज़रिया क़ेसास दिया जायेगा। किसी व्यक्ति के नेकियों को लेकर उसके फ़रीक़ को दे दिया जायेगा और जब उसकी नेकियां खत्म हो जायेंगी तो उसकी बुराइयां उस व्यक्ति के खाते में डाल दी जायेंगी।

उस दिन पुल सिरात स्थापित किया जायेगा। सिरात एक पुल होगा जो बाल से अधिक पतला और तलवार से अधिक तेज़ होगा। उसे जहन्नम के ऊपर स्थापित किया

जायेगा। जिन लोगों ने अच्छा अमल (कर्म) किया होगा वे पलक झपकते उस पुल से गुज़र जायेंगे, तो कुछ हवा की तरह गुज़रेगें, कुछ अच्छे क़िस्म के घोड़े की गति में पार कर जायेंगे तो कुछ लोग घिसटते हुए पुल सिरात को पार कर जायेंगे।

पुल सिरात पर आंकस लगे होंगे जो लोगों को उचक लेंगे और उन्हें जहन्नम में डाल देंगे। काफ़िरों और मोमिनों में से जिन गुनहगार बन्दों को अल्लाह चाहेगा, वे जहन्नम में गिर जायेंगे। काफ़िर तो हमेशा–हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, जबकि वह मोमिन जिन से कुछ गुनाह हो गया होगा, उन्हें अल्लाह जितना चाहेगा, अज़ाब देगा और फिर उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल कर देगा।

अल्लाह तआला रसूलों और नबियों में से जिन्हें चाहेगा, उन्हें अहले तौहीद में से जहन्नम में दाखिल हुए लोगों के हक़ में सिफ़ारिश करने की अनुमति देगा। और उनकी सिफ़ारिश से अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग से निकालेगा।

पुल सिरात को पार करने वाले जन्नती लोग जन्नत और जहन्नम के बीच एक पुल पर रुकेंगे, जहां एक दूसरे का बदला दिलाया जायेगा। उनमें से जिसके ज़िम्मे उसके भाई का कोई हक़ होगा तो जब तक बदला नहीं दिला दिया जायेगा और हरेक का दिल दूसरे के प्रति ठीक न हो जायेगा वह जन्नत में दाख़िल न होगा।

जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में दाख़िल हो जायेंगे तो मौत को एक मेंढ़े की शक्ल में लाया जायेगा

और उसे जन्नत व जहन्नम के बीच ज़िब्ह कर दिया जायेगा। उसको जन्नती और जहन्नमी सभी लोग देख रहे होंगे

उसके बाद कहा जायेगा कि जन्नतियो! अब हमेशा ज़िन्दा रहना है, मौत नहीं आयेगी, जहन्नमियो! अब हमेशा ज़िन्दा रहना है, मौत नहीं आयेगी। उस समय यदि खुशी से मरना संभव होता तो जन्नती मारे खुशी के मर जाते और ग़म से मरना संभव होता तो जहन्नमी ग़म से मर जाते।

जहन्नम और उसके अज़ाब

अल्लाह ने फ़रमाया हैः

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة:٢٤]

यानी ''उस आग से बचो जिसका इंधन इंसान और पत्थर हैं जो काफ़िरों के लिए तैयार किया गया है। (सूरह अल बक़रा आयत 24)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को संबोधित करते हुए कहाः

نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا، مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ» قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا

तुम लोग जिस आग को जलाते हो वह जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। सहाबियों ने कहाः ''यह आग ही अज़ाब के लिए काफ़ी थी, यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह आग 69 गुना

ज़्यादा है और हर गुना उसी दुनियावी आग की तरह गर्म है। (सही बुख़ारी 3265, सही मुस्लिम 2843)

जहन्नम (नरक) के सात खण्ड हैं। हर खण्ड में पहले की तुलना में ज़्यादा कठोर अज़ाब दिया जाता है। और प्रत्येक खण्ड में अपने कर्मों के अनुसार कुछ लोग होंगे। सबसे निचले खण्ड में जहां का अज़ाब सबसे ज़्यादा सख़्त होगा, मुनाफ़िक़ीन होंगे।

काफ़िरों को अज़ाब दिये जाने का सिलसिला हमेशा—हमेशा चलता रहेगा। वह कभी खत्म नहीं होगा। जब जब वे जल कर राख हो जायेंगे, तो उन्हें और अज़ाब दिये जाने के लिए पहली अवस्था में लौटा दिया जायेगा। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ [النساء:٥٦]

यानी, ''जब उनकी खालें पक जायेंगी हम उनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वे अज़ाब चखते रहें। (सूरह अल निसा आयत 56)

एक दूसरी जगह फ़रमाया गया है:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ [فاطر:٣٦]

यानी, ''और जो लोग काफ़िर हैं उनके लिए दोजख़ की आग है, न तो उनको मौत ही आयेगी कि मर ही जाएं और न

दोजख़ का अजाब ही हलका किया जायेगा। हम हर काफ़िर को ऐसी ही सज़ा देते हैं।(सूरह अल फ़ातिर आयत 36)

जहन्नम में काफ़िरों को बेड़ियों में जकड़ दिया जायेगा और उनकी गर्दनों में तौक़ डाल दिये जायेंगे।

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ(٤٩) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ(٥٠ إبراهيم

यानी, ''आप उस दिन गुनहगारों को देखेंगे कि ज़ंजीरों में मिले जुले एक जगह जकड़े हुए होंगे। उनके लिबास गंधक के होंगे और आग उनके चेहरों पर भी चढ़ी हुई होगी। (सूरह इबराहीम आयत 49–50)

जहन्नमी थूहड़ का फल खायेंगे। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم(٤٣) طَعَامُ الأَثِيمِ(٤٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ(٤٥) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ(٤٦) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ(٤٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ(٤٨ الدُخان

यानी, ''निस्सन्देह थूहड़ का पेड़ गुनाह करने वालों का खाना है, जो तिलछट के हैं और पेट में खौलता रहता है, तेज़ गर्म पानी के समान। (सूरह अल दुख़ान आयत 46)

जहन्नुम के अज़ाब की सख़्ती और जन्नत की नेमतों का अन्दाज़ा सही मुस्लिम की उस हदीस से लगाया जा सकता है। जिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

क़ियामत के दिन दुनिया के सबसे ऐश व आराम में रहे जहन्नमी इंसान को लाया जायेगा और उसे जहन्नम में डुबकी लगवायी जायेगी और उससे पुछा जायेगा, ऐ आदम की औलाद! क्या तुम्हें कभी सुख—चैन नसीब हुआ? क्या तुम्हें कभी नेमत हासिल हुई? वह कहेगा, नहीं, अल्लाह की क़सम! मेरे पालनहार, नहीं।

उसके बाद दुनिया के सबसे मुहताज जन्नती को लाया जायेगा, उसे जन्नत में कुछ देर के लिए भेजा जायेगा और उससे पुछा जायेगा, क्या तुम्हें कभी मुहताजी लाहीक़ हुई थी? क्या तुम कभी सख़्त हालात से दोचार हुए थे? वह कहेगा, नहीं, मेरे परवरदिगार, अल्लाह की क़सम! न तो मुझे कभी मुहताजी लाहीक़ हुई और न ही मुझ पर कभी सख़्त हालात आए।

काफ़िर इंसान जहन्नम की एक डुबकी ही से दुनियावी नेमतों और ऐश व आराम को भूल जायेगा और मोमिन इंसान जन्नत में एक पल बिताने के बाद दुनियावी मुसीबतों और सख़्त हालात को भूल जायेगा।

जन्नत और उसकी नेमतें

जन्नत हमेशा रहने और मान–सम्मान की जगह है। अल्लाह तआला ने उसे अपने नेक बन्दों के लिए तैयार किया है। उसमें ऐसी नेमतें हैं जिन्हें न आंखों ने देखा है, न कानों ने सुना है और न ही किसी इंसान के दिल में उनका ख़्याल ही आया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة:١٧]

यानी, ''कोई नफ़्स नहीं जानता जो हमने उनकी आँखों की ठंडक उनके लिए छुपा कर रख छोड़ी है। जो कुछ करते थे, यह उसका बदला है। (सूरह अल सजदा आयत 17)

जन्नत के विभिन्न दर्जे और मरतबे हैं। उसमें मोमिनों के ठिकाने उनके आमाल के अनुसार होंगे। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة:١١]

यानी, ''अल्लाह तआला तुम में से उन लोगों को जो ईमान लाये हैं, और जो इल्म दिये हैं, दर्जे बुलन्द कर देगा। (सूरह अल मुजादिला आयत 11)

जन्नती लोग जन्नत में जो चाहेंगे खायेंगे, पीएंगे, उनमें पानी की नहरें हैं जो पुरानी होने की वजह से बदबूदार नहीं होती हैं। और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदलता है। साफ़ शफ़्फ़ाफ़ शहद की नहरें होंगी और शराब की भी नहरें होंगी जिससे पीने वालों को सुरूर

हासिल होगा। अलबत्ता उनकी शराब दुनियावी शराब जैसी नहीं होगी। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧ الصَّفات

यानी, ''जारी शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो साफ शफ़्फ़ाफ़ और पीने में मज़ेदार होगा। न उससे सिर में दर्द होगा न उसके पीने से बहकेंगे। (सूरह अस साफ़्फ़ात आयत 45–47)

जन्नती जन्नत में हूरे ईन से शादी करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है:

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

''यदि जन्नत की कोई महिला ज़मीन वालों की ओर झांक ले, तो आसमान और ज़मीन के बीच खाली जगहों को रौशन कर दे और उसे खुशबू से भर दे। (सही बुख़ारी 2796)

जन्नतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जन्नतियों को पेशाब–पाखाना की ज़रूरत नहीं होगी। वे न खेखारेंगे, न थूकेंगे। उनकी कंघिया सोने की होंगी और उनका पसीना मुश्क होगा। उन्हें मिलने वाली नेमतें स्थायी होंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी और न ही कम होंगी

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ

जन्नत में जो कोई दाख़िल होगा, वह ऐश करेगा, मुहताजी से दो–चार नहीं होगा, न उसके कपड़े पुराने होंगे और न उसकी जवानी खत्म होगी। (सही मुस्लिम 2836)

सबसे कमतर जन्नती, ईमान वालों में से जो सबसे बाद में जहन्नम से निकलेगा और जन्नत में दाख़िल होगा,उसके हिस्से में आने वाली नेमतें पूरी दुनिया की नेमतों से दस गुना ज़्यादा बेहतर होंगी।

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

विषय सूची

क्र.स.		पृष्ठ
1	**भूमिका**	3
2	**अक़ीदा (आस्था) के मूल स्रोत**	6
3	एकैश्वरवाद (तौहीद) और उसकी क़िस्में	6
4	तौहीदे रबूबियत	6
5	तौहीदे उलूहियत	9
6	तौहीदे अस्मा व सिफ़ात	10
7	कलिमए तौहीद	12
8	कलिमए तौहीद की फ़ज़ीलत	14
9	कलिमए तौहीद की शर्तें	15
10	मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का अर्थ	23
11	ईमान और उसके अरकान	25
12	1. अल्लाह पर ईमान	27
13	इस्लाम के अरकान ये हैं	33
14	2. फ़रिशतों पर ईमान	34
15	3. आसमानी किताबों पर ईमान	35
16	4. रसूलों पर ईमान	37
17	5. आख़िरत के दिन पर ईमान	38
18	6. क़ज़ा व क़द्र पर ईमान	39
19	शिर्क और उसकी क़िस्में	40
20	शिर्के अकबर यानी बड़ा शिर्क	41
21	शिर्के असग़र यानी छोटा शिर्क	42
22	नाजिया' समुदाय का अक़ीदा	43
23	**तहारत और नमाज़**	50
24	नापाकी का बयान	50
25	नजासत की क़िस्में	52

26	नजासत के कुछ अहकामात	53
27	शौच की आवश्यक्ता	53
28	वुज़ू का बयान	54
29	वुज़ू का तरीका	56
30	मोज़े पर मसह	57
31	वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें	59
32	नापाक होने के बाद कौन सी चीजें हराम हैं	60
33	तयम्मुम	60
34	तयम्मुम का तरीक़ा	61
35	माहवारी और नफ़ास	62
36	**नमाज़ के अहकाम**	63
37	नमाज़ से संबंधित अहम अहकाम	66
38	नमाज़ का समय	69
39	ऐसी जगहें जहां नमाज़ सही नहीं होतीं	70
40	नमाज़ की कैफ़ियत	70
41	नमाज़ के बाद की दुआएं	76
42	मसबूक़ (जिसकी नमाज़ का कुछ हिस्सा छूट गया हो)	78
43	नमाज़ को बातिल कर देने वाली चीज़ें	78
44	जो बातें नमाज़ में वाजिब हैं	79
45	नमाज़ के अरकान	79
46	सहव का बयान	80
47	सुनन रवातिब	82
48	नमाज़े वित्र	83
49	फ़ज्र की दो रकअतें	85
50	चाश्त की नमाज़	86

51	जिन औक़ात में नमाज़ पढ़ना मना है	88
52	**ज़कात के अहकाम**	89
53	किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है?	90
54	सोना और चांदी की ज़कात	90
55	व्यापार के सामान पर ज़कात	92
56	शेयर्स की ज़कात	93
57	गल्लों और फलों की ज़कात	93
58	चौपायों की ज़कात	94
59	ऊंट की ज़कात	95
60	गाय की ज़कात	96
61	बकरी की ज़कात	97
62	ज़कात किन को दिया जाए	98
63	**रोज़े के अहकाम**	101
64	रमज़ान की फ़ज़ीलतें	102
65	रमज़ान का महीना	104
66	रोज़ा छोड़ने की अनुमति	105
67	जिनसे रोज़ा टूट जाता है	106
68	जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता	108
69	रोजा़ की सुन्नतें	110
70	तरावीह की नमाज़	112
71	नफ़्ली रोज़े	113
72	जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है	114
73	**हज के अहकाम**	115
74	हज का हुक्म और उसकी श्रेष्ठता	115
75	हज की शर्तें	116
76	हज के शिष्टाचार	117

77	एहराम	118
78	एहराम से पहले इन कामों को अंजाम देना मसनून है	119
79	हज की क़िस्में	120
80	हज की तीन क़िस्में हैं.	120
81	एहराम का तरीक़ा	121
82	मर्दों के लिए ये चीज़ें भी हराम हैं:	123
83	तवाफ	124
84	तवाफ़ करने का तरीक़ा	125
85	सअ़ी	127
86	ज़िल हिज्जा की 8वीं तारीख़ के आमाल	130
87	नवीं तारीख़ (यौमे अरफ़ा)	130
88	दसवीं तारीख़ (ईद का दिन)	131
89	बारहवीं ज़िल हिज्जा:	134
90	हज के अर्कान	136
91	हज के वाजिबात	136
92	मस्जिदे नबवी की ज़ियारत	137
93	**खाने पीने के अहकाम**	138
94	ज़बह के अहकाम	141
95	ज़बह करने की शर्तें	142
96	ज़बह के शिष्टाचार	144
97	शिकारी कुत्ते या परिन्दे की तरबियत	145
98	**लिबास के अहकाम**	146
99	लिबास की सुन्नतें और उसके शिष्टाचार	151
100	**शादी के अहकाम**	153
101	निकाह सही होने की शर्तें	153

102	निकाह के बाद साबित होने वाले हुकूक़	156
103	पत्नी की विशेषताएं जो ज़रूरी हैं	158
104	वे औरतें जिनके साथ निकाह हराम है	159
105	वे औरतें जो हमेशा के लिए हराम है	159
106	वे औरतें जो रज़ाअत की वजह से हराम हैं	160
107	वे औरतें जो शादी होने की वजह से हराम हैं	161
108	जिनसे निकाह वक्ती तौर पर हराम हैं	162
109	तलाक	163
110	तलाक़ के असरात	165
111	खुलअ़	166
112	निकाह को बाकी रखने या खत्म करने का अखतियार	167
113	ग़ैर मुस्लिम के निकाह का मसला	168
114	किताब वाली औरत से शादीकेनुक़सानात	170
115	**इस्लाम में औरतों का मक़ाम**	172
116	औरतों के सामाजिक हक़	176
117	शौहर पर औरत के हक़	178
118	पर्दा	180
119	हैज़ (माहवारी) और नफास के आदेश	185
120	हैज़ का वक्त और अवधि (मुद्दत)	185
121	हैज़ में पेश आने वाली हालतें	186
122	हायज़ा के लिए हुक्म	187
123	इस्तेहाजा	190
124	मुस्तहाजा की तीन हालत है.	190
125	इस्तेहाजा का हुक्म	192
126	नफास और उस का हुक्म	192

127	हैज़ और हमल (गर्भ) को रोकने वाली चीज़ों का इस्तेमाल	193
128	**मुख़्तसर सीरते नबवी**	**194**
129	नुबुवत से पहले अरब के हालात	194
130	क़िस्सए फ़ील	197
131	नबी करीम की रज़ाअत	198
132	शक़्क़े सदर की घटना	200
133	नुबुवत	204
134	एलानिया दावत	206
135	हबशा की ओर हिजरत	210
136	शोक भरा साल	213
137	नबीए करीम ताइफ़ में	214
138	चाँद के दो टुकड़े होने की घटना	215
139	इसरा और मेअराज	216
140	दावत का नया मर्कज़	219
141	नबी अकरम मदीना में	223
142	बदर की जंग	224
143	उहुद की जंग	226
144	ग़ज़वए खन्दक़	227
145	फतहे मक्का	228
146	वफ़ूद की आमद और बादशाहों के नाम खुतूत	229
147	नबी अकरम की वफ़ात	230
148	नबी अकरम की पैदाइशी खूबियां	231
149	नबी अकरम के कुछ अच्छे अख़लाक़	232
150	आप के कुछ मोजिज़ों का बयान	234

151 सीरते रसूल से हासिल होनेवाली शिक्षाएं 237
152 आप का बच्चों के साथ मामला 239
153 घर वालों के साथ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला 240
154 रसूले अकरम की रहमतें 241
155 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र 242
156 आपका खाना और लिबास 249
157 रसूले अकरम का न्याय 250
158 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ग़ैर मुस्लिमों के कथन 252
159 **आख़िरत का दिन** **256**
160 मौत 257
161 क़ब्र 262
162 क़ियामत और उसकी निशानियां 266
163 जहन्नम और उसके अज़ाब 276
164 जन्नत और उसकी नेमतें 280
165 **विषय सूची** 283